राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या: 02

गुरुवार,

10 फरवरी 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान से नारे व पोस्टर प्रदर्शन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, गलत परम्परा न डालें, अध्यक्ष की बात सुनें। (व्यवधान) माननीय कटारियाजी, आप अध्यक्ष की बात सुनें। अध्यक्ष की बात सुनें। (व्यवधान) माननीय कटारियाजी, आप अध्यक्ष की बात सुनें। (व्यवधान) कटारियाजी, गलत परम्परा न डालें, अध्यक्ष की बात सुनें। (व्यवधान) कटारियाजी, अध्यक्ष की बात सुनें, आप गलत परम्परा डाल रहे हैं।

अंकित नहीं होगा।

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व पोस्टर प्रदर्शन)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

प्रश्नकाल का स्थगन संसदीय लोकतंत्र के प्रतिकूल

माननीय सदस्य, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है पर विपक्ष सदन की कार्यवाही को थोप नहीं सकता। यह जो गलत परम्परा डाल रहे हैं, उसकी मैं कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं।

माननीय कटारिया साहब, मैं आपको और आपकी पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि आज दिन तक केवल मात्र चार बार प्रश्न काल में सदन स्थगित हुआ, प्रश्न काल कभी स्थगित नहीं होता। यदि इस तरह

(श्री अध्यक्ष)

की परम्परा डाली गयी तो राजस्थान का संसदीय लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होगी। यह भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है, बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रही है। जिस तरह का ये काम कर रहे हैं उससे राजस्थान के लोगों और नौजवान पीढ़ी के लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और संसदीय परम्पराओं में अपनी बात कहने का आपको अधिकार है। प्रश्न काल को समाप्त करने का काम करेंगे तो यह गलत परम्परा होगी। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय परम्पराओं को खतम करके लोकतंत्र में जनता की बात न करने का अधिकार न आपको है और न किसी और को है। संसदीय परम्परा को बनाये रखना जरूरी है।

मैं फिर एक बार आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठें, अपनी बात को कहें। शून्य काल में आपको पूरा मौका दिया जाएगा। मैं शून्य काल में सरकार को स्टेटमेंट देने के लिए कहूंगा लेकिन आपके कहने से नहीं कहूंगा। शून्य काल में राजस्थान सरकार रीट के बारे में अपनी बात कहेगी। आप अपने स्थान पर बैठें और संसदीय लोकतंत्र में जनता के सामने बात पता पड़ जाएगी कि आप क्या चाहते हैं। आप जनता के साथ न्याय नहीं करना चाहते हैं, छात्रों के साथ न्याय नहीं करना चाहते हैं, आप समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं। यह गलत परम्परा है। मैं आपसे एक बार पुन: निवेदन करना चाहता हूं, आप प्रश्न काल को चलने दीजिये, फिर अपनी बात कीजिये। मैं फिर आपको यही कहना चाहता हूं।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 1

श्री शंकर सिंह रावत।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया।)

प्रश्न संख्या 2

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

(माननीय सदस्या द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया।)

श्री हरीश चन्द्र मीना।

देवली नगरपालिका के मास्टर प्लान में राजस्व गांवों को सम्मिलित करने की योजना

3. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका देवली (टोंक) के मास्टर प्लान 2003-2023 में सम्मिलित कई राजस्व गांवों को अब तक उक्त नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त राजस्व गांवों को उक्त नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। यह सही है कि नगरपालिका देवली के मास्टर प्लान 2003-2023 में शामिल टोंक जिले के राजस्व ग्राम देवली, अम्बापुरा, माधोसिंहपुरा एवं भीलवाड़ा जिले के कुचलवाडा कलां एवं ऊंचा को नगरपालिका देवली क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त राजस्व गांवों को नगरपालिका देवली क्षेत्र में शामिल किये जाने हेतु नगरपालिका मण्डल की बैठक दिनांक 09.12.2021 में प्रस्ताव पारित किया जाकर उक्त प्रस्ताव दिनांक 18.01.2022 को विभाग को प्राप्त हुआ है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण कराकर इन गांवों को सम्मिलित करने पर विचार किया जायेगा।

(2) इस बिंदु का उत्तर बिंदु संख्या 01 में निहित है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): स्पीकर सर, मेरा सप्लीमेंट्री है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी समय सीमा तय कर दी जाये ताकि देवली की जनता को अति शीघ्र इसका लाभ मिले और हमारे क्षेत्र का विकास हो सके।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी शहर का मास्टर प्लान बनाते समय वहां की जनसंख्या और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान का निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। देवली का गांव देवली, अम्बापुरा और पनवाड़ का माधोसिंहपुरा, ये तीनों टोंक जिले के गांव हैं, इनको तो देने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि कलेक्टर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

की अनुशंसा आ जाती है तो निश्चित तौर पर इन तीनों गांवों को हम नगरपालिका देवली में शामिल करने के लिए तैयार हैं, इस पर विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा भीलवाड़ा का जो गांव है, जहाजपुर का कुचलवाड़ा कलां और ऊंचा, उसके लिए तो प्रोसीजर यह है कि एक जिले का कलेक्टर दूसरे जिले के कलेक्टर को लिखेगा और लिखने के बाद में उसका नाम, सीमाएं, सीमा का निर्धारण, नक्शा और सम्पूर्ण जानकारी दूसरे कलेक्टर को भेजेगा। अगर वो कलेक्टर अभिशंसा करता है तो फिर वो मामला राजस्व विभाग को जाएगा, सचिवालय में जाएगा। सचिवालय में आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से उसका परीक्षण करके फिर स्वायत्त शासन विभाग को भेज देगा तो निश्चित तौर पर ये दोनों गांव भी नगरपालिका देवली में शामिल किये जा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसकी माननीय सदस्य जैसी डिमाण्ड कर रहे थे उससे भी ज्यादा मैंने संतुष्ट करने का आपको प्रयत्न किया है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद, सर।

श्री अध्यक्ष: श्री पानाचन्द मेघवाल।

रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य का पर्यटन विकास

4. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़) (श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू) के स्थान पर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गयी है? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त अभयारण्य में बाघों को बसाकर पर्यटन के रूप में विकसित करने में विलम्ब के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार की बारां जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में चीतों को बसाकर पर्यटन के रूप में विकसित करने की कोई कार्ययोजना है? यदि हां, तो क्या? उक्त विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार को बारां के शेरगढ़ अभयारण्य का प्रशासनिक नियंत्रण कोटा से हटाकर बारां में करने हेतु कोई पत्र या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब व उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 05.07.2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य व निकटवर्ती क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व बनाये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(2) एनटीसीए द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबीटाट (कोर) एवं बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु धारा 38V (4) के अनुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

समिति द्वारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जिला बून्दी के कोर (सी.टी.एच.) तथा बफर क्षेत्र के निर्धारण हेतु रिपोर्ट दिनांक 24.01.2022 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की गयी है। समिति की रिपोर्ट का परीक्षण कर राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(3) वन्यजीव अभयारण्य, शेरगढ़ में पैंथर प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं। यहां टाइगर एवं चीता शिफ्ट करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है, अपितु वन्यजीव अभयारण्य शेरगढ़ में चीता छोड़े जाने की सम्भावनाओं का जायजा लिये जाने की दृष्टि से विचार करने हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का प्रारम्भिक अवलोकन किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। रिपोर्ट में शेरगढ़ अभयारण्य का क्षेत्रफल कम होने के कारण समीपस्थ अतिरिक्त वन क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने, चारों ओर फेंसिंग किये जाने, ग्राम सुरपा को बाहर विस्थापित किये जाने आदि के उपरान्त ही यह अभयारण्य चीता की 3-4 यूनिट बनाने हेतु उपयुक्त हो सकता, बाबत उल्लेखित किया गया है।

इस सम्बन्ध में एनटीसीए द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.12.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रथम चरण में चीता बसाने की कार्यवाही मध्य प्रदेश में की जा रही है। अन्य स्थानों के सम्बन्ध में बाद के चरणों में कार्यवाही की जायेगी।

(4) बारां के शेरगढ़ अभयारण्य का प्रशासनिक नियंत्रण कोटा से हटाकर बारां में करने के सम्बन्ध में माननीय विधायक बारां-अटरू, श्री

(वन मंत्री)

पानाचन्द मेघवाल से उनका पत्र दिनांक 31.03.2021 प्राप्त हुआ, जिस पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की राय ली गयी। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की राय के अनुसार शेरगढ़ अभयारण्य का प्रबन्धन एवं प्रशासनिक नियंत्रण वन्यजीव मण्डल, कोटा में रखा जाना उचित है, जिससे अभयारण्य में वन्यजीवों एवं उनके हैबीटाट का प्रबन्धन, रेस्क्यू कार्य इत्यादि सुचारु रूप से हो पायेगा।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां के वन अभयारण्य में वन विभाग की ओर से चारदीवारी करने का विचार रखते हैं या नहीं? दूसरा, क्या जंगली जानवरों के फसल को नष्ट करने पर मुआवजा देने का विचार रखते हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): जंगली जानवरों द्वारा फसल नष्ट करने का मामला अलग प्रश्न है। यह रामगढ़ से सम्बन्धित है, तो उसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में जहां-जहां भी बाघों को बसाये जाने की बात चल रही है, कुम्भलगढ़ में भी चल रही है, तो इससे पूर्व क्या-क्या तैयारियां की गयीं, कहां-कहां ग्रासलैंड डवलपमेंट किया गया और प्रे-बेस के लिए क्या व्यवस्था की गयी? यदि नहीं, तो कैटल लिफ्टिंग और मैन ईटिंग की स्थिति पैदा हो जायेगी। उससे पूर्व विभाग ने क्या-क्या व्यवस्थाएं की हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): यह प्रश्न तो रामगढ़ विषधारी और मुकुन्दरा से सम्बन्धित है। आप यह जो बाघ संरक्षण और वन्यजीव की बात कर रहे हैं, यह सिर्फ इस प्राधिकरण से ही सम्बन्धित है।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री महोदय, मेरा वहां से भी मतलब है, वहां पर क्या तैयारी की है? वहां पर प्रे-बेस के लिए और प्रे-बेस को बढ़ाने के लिए ग्रासलैंड कितने डवलप किये हैं, यह जानना चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्रश्न संख्या 5

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया।)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 6

अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया।)

प्रश्न संख्या 7

अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया।)

अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद बसों का पुन: संचालन

8. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से संचालित रोडवेज़ की कई बसों का संचालन बंद कर दिया गया है? यदि हां तो क्यों? वर्ष 2019 से अब तक बंद की गयी बसों के रूट सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्रामीण परिवहन की उक्त बंद बसों का संचालन पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बंद बसों का संचालन पुन: प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को पत्र लिखे गये हैं? यदि हां तो उक्त पत्रों पर सम्बन्धित द्वारा क्या कार्यवाही की गयी व कितनी बंद बसें पुन: संचालित की गयीं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) जी हां। निगम के सीमित संसाधनों एवं कोरोना महामारी के कारण निगम वाहनों को पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने से पूर्व में संचालित विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ निगम वाहनों का संचालन बन्द किया गया है। उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

(2) जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण परिशिष्ट-1 में अंकित बन्द की गयी निगम की किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों की बसों का संचालन फिलहाल किये जाने का विचार नहीं है।

(3) निगम द्वारा किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के स्थानीय जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

पूर्व में बंद की गयी बसों में से जन प्रतिनिधियों की मांग पर विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण मार्गों की जिन बसों को पुन: संचालित किया गया है, उनका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर के परिशिष्ट-1 में बताया कि किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 बसों का संचालन बंद किया गया है। आप खुद समझ सकते हैं, एक छोटे-से क्षेत्र में अगर ग्रामीण परिवहन की 50 बसें बंद हो जायेंगी तो क्या स्थिति होगी। आज की स्थिति में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन यदि ग्रामों में जाएं तो वहां सबसे बड़ी दुविधा है रोडवेज़ बसों का संचालन। अभी कोविड को लेकर 50 बसें बंद हुई हैं, उनमें से मुश्किल से आपके प्रयासों से 10 बसें चालू हुई हैं। यह बहुत विकट स्थिति है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या ये जो 40 बसें बंद हुई हैं एक छोटे-से विधान सभा क्षेत्र में, ये वापस चालू होंगी अथवा नहीं?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, इनमें से अधिकांश बसें कोरोना काल में बंद की गयी हैं। ज्योंही पहली लहर के बाद हमने बसें चलाने की कोशिश की, त्योंही दूसरी लहर आ गयी जो उससे भी भयंकर थी। उसके बाद तीसरी लहर आ गयी। अब ज्योंही स्थिति सामान्य होगी, हम गुण-अवगुण के आधार पर उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए बसों को संचालित करने के लिए पुनर्विचार करके उस पर समीक्षा करके कोशिश करेंगे।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, आपने मेरे प्रश्न के खण्ड 2 में जवाब दिया "जी नहीं"। मुझे यह चिंता है कि यदि ये बसें नहीं चलीं तो हमारी स्थिति बहुत विकट हो जायेगी। क्या सरकार ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए ग्रामीण परिवहन बस सेवा का पुनर्संचालन करना चाहेगी?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद आप हमें बता दें कि कौन-कौन-सी बसें ज्यादा जरूरी हैं, हम अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए उनकी समीक्षा कर लेंगे।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि मंत्री जी एक बार दोनों चीफ मैनेजर्स को फोन करें। जो आवश्यक दो-तीन बसें हैं, उन्हें जरूर चालू करें ताकि मेरी शिकायतें जो कुछ ज्यादा हैं, वे ठीक हो सकें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): आप जो दो-तीन बसें बता रहे हैं, वे आप लिखकर दे दें। मैं दोनों चीफ मैनेजर्स को आपसे सम्पर्क करने के लिए कहूंगा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): थैंक यू सर, धन्यवाद।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कोविड में आपने मारवाड़ जंक्शन की जिन बसों को बंद किया था, क्या आप उन्हें पुन: चालू करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक? दूसरा, ग्रामीण परिवहन सेवा, जिसे लागू करने की माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है, वहां पर कब लागू की जायेगी?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र से ही सम्बन्धित है।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री महोदय, यह सम्पूर्ण प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, यह किशनगढ़ का ही प्रश्न है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्रश्न संख्या 9

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

श्री अविनाश।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया।)

प्रश्न संख्या 10

अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया।)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 11

अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया।)

अगला प्रश्न। श्री बलजीत यादव।

थानों में पेपर आउट के दर्ज प्रकरण

12. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में पेपर आउट व लीक के कितने प्रकरण कब-कब किस-किस थाने में दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में कितने-कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारियां हुईं व वर्तमान में क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरणों को रोकने हेतु सख्त कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में पेपर आउट/लीक के कुल 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनका थानेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों में दर्ज कुल 8 प्रकरणों में 85 व्यक्तियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। चार प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है। एक प्रकरण में चालान न्यायालय में पेश किया जाना शेष है। तीन प्रकरणों में अनुसंधान जारी है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य में होने वाली परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का मामला प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, क्या सरकार इस बात को जानती है कि व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ादायक स्थिति कोई होती है तो वह होती है उसके सपनों का खून हो जाना और उसकी उम्मीद का टूट

(श्री बलजीत यादव)

जाना? मैं जानना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति का खून करने पर सज़ाए-मौत का प्रावधान है, उस आदमी को फांसी तक की सज़ा दी जाती है तो क्या सरकार लाखों बेरोजगारों के सपनों का खून करने वाले पेपर लुटेरों के बारे में ऐसी कोई कड़ी सज़ा का प्रावधान करना चाहती है? हां या न, और अगर हां, तो क्या और कब तक इस बारे में कोई कानून बनाना या बिल लाना चाहती है? यह मैं जानना चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है कि इस मामले को रोकने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए या विधि में कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो उसके लिए बिल तैयार किया जा रहा है, जिसमें कड़े प्रावधान किये गये हैं ताकि इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार की अनियमितताएं आगे से न हों।

रीट पर हल्ला करने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि रीट के पेपर दो बार आउट हुए हैं, 2016 में और 2018 में। लेकिन वह जांच इन्होंने एसओजी को नहीं दी। सीबीआई की बात करते हैं पर एसओजी को भी जांच नहीं दी, थाने वाले जांच कर रहे हैं। इनके वक्त में 5 बार पेपर लीक हुए हैं। 5 बार में से खासतौर पर रीट का पेपर दो बार आउट हुआ, 2016 में हुआ और 2018 में हुआ, लेकिन वह जांच थानों में दे दी। आज जो यह कहते हैं कि सीबीआई से इन्क्वायरी करवाओ, वे एसओजी तक को जांच नहीं दे पाये। इनको शर्म आनी चाहिये।

जहां तक आपका जो सवाल है, निश्चित तौर पर अगला जो विधेयक तैयार हो रहा है उसको इसी विधान सभा में पेश किया जाएगा और पास किया जाएगा जिसमें कड़े प्रावधान होंगे।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार में जो पेपर लूट के प्रकरण हुए थे उन प्रकरणों में सीबीआई की जांच करवायी गयी थी या नहीं करवायी गयी थी? यह मैं जानना चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पिछली सरकार में जितने भी पेपर आउट हुए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 में आरएएस का पेपर आउट हुआ,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

2014 में ही आरजेएस का पेपर आउट हुआ, 2013 में एलडीसी का पेपर आउट हुआ, यूनिवर्सिटी की सात परीक्षाएं 2017 में निरस्त हुई, जेल प्रहरी का पेपर 2018 में आउट हुआ, लेकिन एक भी प्रकरण एसओजी को छोड़कर सीबीआई में देने का प्रश्न ही नहीं हुआ। एक बार भी सीबीआई को पेश नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): जो पीछे के केस थे और पिछली सरकार में जिनकी जांच नहीं की गई और जिनसे स्टूडेंट्स असंतुष्ट हैं उनको रफा-दफा कर दिया गया और उसी का कारण यह रहा कि जो पेपर लुटेरे थे, जो मुलजिम थे उनको सज़ा नहीं मिली, बहुत से लोग बच गये जिसके कारण उन्होंने फिर उस घटना को अंजाम दिया तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि 2014 से 2018 तक जो प्रकरण दर्ज हुए उनकी सरकार दोबारा से जांच कर सकती है या उन पीछे वाले प्रकरणों को सीबीआई को जांच के लिए दे सकती है ताकि उनकी जांच हो सके? अगर नहीं, तो फिर यह दोहरा चरित्र क्यों है कि अपनी सरकार में उनको दबाया जाएगा और दूसरी सरकार होगी तो थोथी नेतागीरी की जायेगी? यह दोहरा चरित्र क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूं। अगर सरकार की मंशा साफ है तो पिछले जो प्रकरण दर्ज हैं, उनकी भी पुन: जांच की जाए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, यह मैं मांग करता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहला जो पेपर लीक/आउट हुआ उसमें कुल मिलाकर 10 आदमियों की गिरफ्तारी हुई, दूसरे में सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, तीसरे में 11 आदमियों की गिरफ्तारी हुई, चौथे में 12 आदमियों की गिरफ्तारी हुई, पांचवें में भी 12 आदमियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अभी इस रीट के मामले में 38 से भी ज्यादा आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

जहां तक सवाल इस बात का है कि माननीय सदस्य ने जो सन्देह व्यक्त किया है कि प्रोपर जांच न होने के कारण ही उन लोगों की हिम्मत बढ़ी और बढ़ने के बाद यह रीट का प्रकरण चल रहा है, इसमें उन लोगों ने शामिल होकर पेपर आउट किया, निश्चित तौर पर यह सन्देह सही है। अब जिस तरीके की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है कि बिल लाया जाए तो उस बिल में कड़े प्रावधान डाले गये हैं जिससे निश्चित तौर पर इस पर रोक लगने की सम्भावना रहेगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहता हूं कि एक बार हैदराबाद में एक वेटेरिनरी डाक्टर के साथ सामूहिक रेप हुआ, रेप होने के बाद चार दिनों में मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनका एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने जो उनका एनकाउंटर किया उसकी तारीफ सड़क से लेकर संसद तक हुई, सोशल मीडिया में हुई। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि ये जो पेपर लुटेरे हैं इनके खिलाफ इस प्रकार की सख्त कार्यवाही करने की छूट क्या राजस्थान पुलिस को देने की भी मंशा राजस्थान की सरकार रखती है? क्योंकि इन लुटेरों को छोटी-मोटी सज़ा देने से इनका कुछ होने वाला नहीं है। हैदराबाद में एक युवती के साथ में जिस प्रकार से उन्होंने जघन्य अपराध किया और पुलिस ने कार्यवाही की, उसी प्रकार से लाखों युवाओं के सपनों का जो ये पेपर लुटेरे बलात्कार कर रहे। सिर्फ नेतागीरी करके उसको दबा दिया जाता है, कोई कड़े प्रावधान नहीं किये जाते, जिससे उनको सज़ा मिले, आगे से पुनरावृत्ति नहीं हो और युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वह न हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं मांग करना चाहता हूं कि क्या सरकार राजस्थान की पुलिस को इस प्रकार की छूट दे सकती है कि हैदराबाद वाला ही यहां पर करके बताये?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं आश्वस्त होना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता, हिन्दुस्तान की जनता जो गलत कार्य इस प्रकार का करता है..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। भाषण नहीं, प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): उसका समर्थन करती है या फिर कोई फांसी की जैसी सज़ा इनको मिले। मैं विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार भी कानून बनाए और केन्द्र सरकार भी कानून बनाए कि जो पेपर लूट की घटना में शामिल हो उसको फांसी की सज़ा मिले। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, भाषण नहीं। भाषण नहीं। बैठें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): उसको सैकड़ों लोगों की हत्या का दोषी माना जाये, यह मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या 13

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

प्रश्न संख्या 14

अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनियां।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

अगला प्रश्न। श्री भरत सिंह।

वेटलैण्ड अथोरिटी के गठन का उद्देश्य

15. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद) के स्थान पर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में वेटलैण्ड अथोरिटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो इसके गठन के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में गठित वेटलैण्ड अथोरिटी में सरकारी अधिकारियों के अलावा कुल कितने गैर सरकारी प्रतिनिधि सदस्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश के हर जिले में कुछ वेटलैण्ड का चयन कर विकास करने की विभाग की कोई योजना है? यदि हां, तो किस-किस जिले में? उक्त में विकास के क्या कार्य करवाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वेटलैण्ड अथोरिटी के गठन के बाद इस समिति के सदस्यों ने कुल कितने वेटलैण्ड का मौके पर जाकर अवलोकन किया तथा उनके द्वारा विकास के क्या सुझाव दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी हां। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 की धारा 5 के तहत किया गया है। उक्त नियमों के अधीन राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्य किये जाने हैं:-

विनियमन हेतु चिन्हित आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना, डिजिटल सूची

(वन मंत्री)

तैयार करना, अनुज्ञात किये जाने वाले कार्यकलापों और प्रभाव क्षेत्र की सूची विकसित करना, संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्य नीतियां परिभाषित करना, सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना, इत्यादि।

(2) आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत उप नियम 5 के प्रावधान अतंर्गत राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। उपनियम 5 (xvii) के अनुसार राजकीय सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य के रूप में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्य की, भू-दृश्य योजना और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का एक-एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना है।

(3) जी नहीं। वेटलैण्ड्स का चयन कर विकास करने की विभाग की कोई योजना नहीं है। जिला कलेक्टर्स द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत Indian Space Research Organization (ISRO) द्वारा प्रकाशित National Wetland Atlas में से धारित डेटा अनुसार प्रदेश के हर जिले में वेटलैण्ड्स को चिन्हित किया जाना है एवं प्रबंध योजना तैयार की जानी है। आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार वेटलैण्ड्स का विकास संबंधित स्वामित्व वाले विभाग द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत किया जाना है।

(4) वेटलैण्ड अथोरिटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा कई वेटलैण्ड्स जैसे कि सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर), चन्दलाई (जयपुर), बरखेड़ा (जयपुर), आनासागर (अजमेर), नक्की झील (माउन्ट आबू), फतेहसागर एवं पिछौला झील (उदयपुर), कायलाना (जोधपुर), इत्यादि का निरीक्षण किया गया है। इन वेटलैण्ड्स के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर्स एवं सम्बन्धित स्वामित्व वाले विभागों से चर्चा कर उचित दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अथोरिटी के गठन के बाद इसकी कब-कब बैठकें हुई और इस अथोरिटी में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन कब तक कर लिया जायेगा? वेटलैंड के बारे में प्रबन्ध योजना कब तक तैयार कर ली जायेगी और वेटलैंड पर जो पक्के निर्माण हैं, उनको हटाने के बारे में आपकी क्या कार्ययोजना है?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.09.2017 के प्रावधानों के तहत 27.11.2019 को प्रदेश में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है। अथोरिटी के तहत गैर सरकारी सदस्य का जो मनोनयन करना है, उनका अभी तक नोमिनेशन नहीं किया गया है और जल्दी ही मुख्य मंत्री जी के स्तर से इनका नोमिनेशन किया जाना है, प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी को भेज दिया गया है, जल्द ही उनका नोमिनेशन हो जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने यह पूछा है, आपने कहा कि प्रबन्ध योजना तैयार की जाती है, तो प्रबन्ध योजना कब तक तैयार कर ली जायेगी और वेटलैंड पर जो पक्के निर्माण हैं, उनको कब तक हटाया जायेगा?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): जो वेटलैंड्स हैं, उसका चिह्नीकरण कर लिया गया है, कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवा ली गयी है। उसमें इसरो के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है। उसके अनुसार राज्य में कुल 46 हजार 748 वेटलैंड्स हैं और उसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से ढाई हैक्टेयर से ज्यादा के वेटलैंड्स 12 हजार 625 हैं। इस प्रकार जहां कहीं भी पहले से वेटलैंड्स पर कोई अतिक्रमण है तो कलेक्टर्स को निर्देश देंगे। वैसे जिस-जिस विभाग का जो भी अलग-अलग स्वामित्व है, वह विभाग ही इसकी कार्ययोजना बनाये। यह विभाग तो सिर्फ मानिटरिंग का कार्य करेगा। वेटलैंड्स पर जो काम करना है, वह वहां के जिला स्तर के कलेक्टर्स करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अथोरिटी के गठन के बाद, किस-किस विभाग ने वैटलैड्स पर से अतिक्रमण हटाये हैं, पक्के निर्माण हटाये हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अथोरिटी के गठन के बाद कलेक्टर्स से वेटलैंड्स के बारे में सूचना मंगाई गयी थी, जिसके तहत मैंने अभी आपको बताया कि कुल 46 हजार 748 वेटलैंड्स हैं। अभी तक सूची प्राप्त नहीं हुई है। इस पर अतिक्रमण वगैरह है। इसकी हमें कोई सूचना नहीं मिली है। कलेक्टर्स से सूचनाएं मंगवाएंगे। अगर किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होगी कि वेटलैंड्स पर अतिक्रमण हैं, तो उनको हटाने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये जो उदयपुर की पिछोला और फतेहसागर झील है। इस सदन में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द जी कटारिया 1977 से आये हुए हैं, क्या राज्य सरकार वहां पर उनकी प्रतिमा लगाने का विचार रखती है? पिछोला और फतेहसागर में।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): यह प्रतिमा लगाने का प्रश्न है। यह अलग प्रश्न है। इसके बारे में जवाब नहीं दे सकता।

प्रश्न संख्या 16

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया।)

श्री गिरधारीलाल।

व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस

17. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 4 जून, 2021 से पहले व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस करवाने के लिए राजस्व जिले की बाध्यता नहीं थी व प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत व्यावसायिक वाहन की फिटनेस किसी भी सेंटर पर करवाई जा सकती थी?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग ने दिनांक 04.06.2021 को अपने आदेश क्रमांक एफ7(53)एफसीमु/2020/9639 दिनांक 04.06.2021 के द्वारा पंजीकृत व्यावसायिक वाहन को संबंधित जिले में ही फिटनेस करवाने के लिए बाध्य किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार वाहन स्वामियों के हित में उक्त आदेश को निरस्त कर फिटनेस के लिए पुरानी व्यवस्था को जारी रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) जी हां।

(2) जी हां। विभाग द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर निजी फिटनेस सेंटरों की अनुचित व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को रोकने, उनकी आर्थिक व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने एवं वाहन स्वामियों की सुविधा एवं सुगमता के उद्देश्य से दिनांक 04.06.2021 को अपने आदेश 9/2021 क्रमांक एफ7(53)(एफसी)परि/नियम/मु/2020/9639 द्वारा पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन को फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन उस राजस्व जिले में, जहां वाहन पंजीकृत है या वाहन स्वामी ने पता परिवर्तन करवा रखा है तथा नियमित रूप से वहां कर जमा करवा रहा है, में ही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

(3) जी नहीं। वर्तमान में आदेश क्रमांक एफ7(53)(एफसी)परि/नियम/मु./2020/9639 दिनांक 04.06.2021 को निरस्त करने के संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर निजी फिटनेस सेंटरों की अनुचित व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को रोकने, उनकी आर्थिक व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने एवं वाहन स्वामियों की सुविधा एवं सुगमता के उद्देश्य से उक्त निर्णय लिया जाकर पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन उस राजस्व जिले में, जहां वाहन पंजीकृत हैं या वाहन स्वामी ने पता परिवर्तन करवा रखा है तथा नियमित रूप से वहां कर जमा करवा रहा है, में ही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, विज्ञान का विकास एक जिले से दूसरे जिले तक है। अब तो राजस्थान में कहीं भी फिटनेस हो सकती है और आज के ऑनलाइन के जमाने में वाहन मालिक राजसमन्द से बीकानेर गाड़ी लेकर आयेगा तो आने-जाने में समय का नुकसान भी होगा। यह वाहन मालिक के हित में कैसे होगा?

अध्यक्ष महोदय, सरकार यह बताए कि सरकार निजी फिटनेस सेंटर्स की प्रतिष्ठा को रोकने का विचार रखती है तो क्या यह नहीं हो सकता कि सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए फिटनेस पुन: अपने डीटीओ सेंटर पर कराना शुरू करे?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 में फिटनेस के नियमों में भी यह व्यवस्था थी कि उसी राजस्व जिले में फिटनेस करवाई जाय, जहां वाहन पंजीकृत है। उसके बाद 2018 में इसमें परिवर्तन किया गया और यह व्यवस्था की गई कि कहीं भी करवा सकते हैं पर उस नीति में काफी खामियां मिलीं, इसलिए दिनांक 04.06.2021 को सरकार ने नीतिगत निर्णय लेकर यह व्यवस्था की है कि फिटनेस उसी जिले में करवाई जाय, जहां वाहन पंजीकृत है। इससे अच्छी मानिटरिंग हो सकेगी और पहले बिना वाहन जाये, दूसरे जिले के लोग दूसरी जगह करवा लेते थे, उस पर रोक लगेगी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी जिले में फिटनेस की जो बात है, वास्तव में वह वाहन मालिकों के हित की बात नहीं है। मेरे साथी ने जो प्रश्न उठाया है, सरकार इस पर विचार करे।

अध्यक्ष जी, राजस्थान का इतना लम्बा-चौड़ा एरिया है, यदि किसी आदमी के वाहन की फिटनेस खतम हो गई तो पैनल्टी बहुत बड़ी है, उसे कहीं भी फिटनेस करवाने की इजाजत मिले। अगर फिटनेस एक जिले में होती है तो दादागीरी है। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी फिटनेस कराने से फिटनेस करने वालों की दादागीरी खतम होगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, कहीं भी फिटनेस कराने के कुछ नुकसान हैं। उससे अच्छी तरह मानिटरिंग नहीं हो सकती है। कई बार लोग बिना जाये ही दूसरे जिले से फिटनेस करवा लेते हैं इसलिए, जिस जिले में वाहन पंजीकृत है, वहीं फिटनेस कराने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न संख्या 18

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। वासुदेव देवनानी।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया।)

प्रश्न संख्या 19

श्री राजेन्द्र राठौड़।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया।)

प्रश्न संख्या 20

अगला प्रश्न। कालीचरण सराफ।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पुकारा नहीं गया।)

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(नहीं पूछे गये तारांकित प्रश्नोत्तर व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.40 बजे 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(12.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, सदन में गतिरोध चल रहा है। हमारी मांग है कि सरकार सीबीआई से रीट की जांच के आदेश दे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व शोरगुल)

अनुपस्थिति अनुमति

दीपेन्द्र सिंह, श्री, सदस्य को 09-02-2022 से सत्रान्त तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री दीपेन्द्र सिंह, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 09 फरवरी, 2022 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से रीट की परीक्षा में हुई अनियमितताओं की सी.बी.आई. जांच कराने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (रीट) के प्रश्न पत्र लीक होने के प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से राजस्थान प्रदेश में रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से राजस्थान प्रदेश में रीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं की सी.बी.आई. मामले की जांच के सम्बन्ध में।

(5) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से राजस्थान तृतीय श्रेणी के

(श्री अध्यक्ष)

शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय व रीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं की सी.बी.आई. जांच कराने के सम्बन्ध में।

(6) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से रीट भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराने के सम्बन्ध में।

(7) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से रीट भर्ती परीक्षा में पेपर आउट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से लोक महत्व के विषय शिक्षक भर्ती रीट परीक्षा की सी.बी.आई. जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से रीट भर्ती परीक्षा 2021 प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से रीट भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से प्रदेश में अध्यापक भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(19) श्री मोहन राम चौधरी, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(20) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(21) श्री बाबु लाल (झाडोल), सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(22) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(23) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(24) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(25) श्री रूपा राम (मकराना), सदस्य की ओर से रीट परीक्षा आउट होने के प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(26) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर के प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(27) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(28) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(29) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(30) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(31) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(32) श्री सुभाष पूनिया, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(33) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा का पेपर लीक व

(श्री अध्यक्ष)

नकल प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करने व दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(34) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(35) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(36) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(37) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(38) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(39) श्री अभिनेश महर्षि, सदस्य की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट परीक्षा के पेपर लीक होने की सी.बी.आई. जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(40) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से राज्य की रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच किये जाने के सम्बन्ध में।

(41) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से राज्य की रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(42) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से राज्य की रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

(43) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं पर चर्चा करने के सम्बन्ध में।

(44) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से प्रदेश की रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच किये जाने तथा सदन में चर्चा करवाने के सम्बन्ध में।

(45) श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर), सदस्य की ओर से राज्य की बड़ी रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(46) श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से राज्य की बड़ी रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(47) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से राज्य की बड़ी रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(48) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से राज्य की बड़ी रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(49) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से राज्य की बड़ी रीट परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(50) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 में पेपर लीक प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से कराये जाने के सम्बन्ध में।

(51) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा रीट परीक्षा के पेपर लीक होने की जांच सी.बी.आई. से कराये जाने के सम्बन्ध में।

(52) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में अध्यापक भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितताओं की सी.बी.आई. जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(53) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से प्रदेश की रीट परीक्षा 2021 की परीक्षा पेपर के लीक प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(54) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु रीट परीक्षा का पेपर लीक प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(55) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 घोटाले की जांच सी.बी.आई. द्वारा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(56) श्री नारायण सिंह, सदस्य की ओर से रीट परीक्षा 2021 घोटाले की जांच सी.बी.आई. द्वारा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(57) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में रीट परीक्षा 2021 में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(58) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से प्रदेश में रीट परीक्षा 2021 में हुई अनियमितताओं की स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(59.) श्री गिरधारीलाल महिया, सदस्य की ओर से श्रीडूंगरगढ़ शहर में ड्रेनेज सिस्टम विकसित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल महिया को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में बेमौसम की बारिश में फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन कराये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में उदयसागर बांध से हिन्दुस्तान जिंक द्वारा करार से अधिक पानी लेने व पानी लेने के मीटर से छेड़छाड़ करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से जायल तहसील क्षेत्र के 142 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से नोखा विधान सभा क्षेत्र के

(श्री अध्यक्ष)

राजकीय बालिका विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से भरतपुर जिले की तहसील बयाना को नवीन जिला बनाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से बालोतरा को नवीन जिला बनाने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय चिकित्सालयों को उनके स्तर पर भवन, जांच सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में नार्दन बाईपास का कार्य पूरा नहीं होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(11) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा संभाग में विद्युत की आपूर्ति समय पर नहीं किये जाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गिरधारीलाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीडूंगरगढ़ शहर में अविकसित ड्रेनेज सिस्टम

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत श्रीडूंगरगढ़ शहर में ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में जल भराव की एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। समय-समय पर राज्य सरकार से इसके समाधान की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया। अध्यक्ष महोदय, गन्दे पानी की निकासी नहीं होने से अनेक मोहल्लों में गन्दे पानी के तालाब बने हुए हैं। इसके कारण शहरवासियों का जीना दूभर हो रहा है। इसलिए मेरा सदन से आग्रह है कि सदन की कार्यवाही रोककर एक लाख

(श्री गिरधारीलाल)

से अधिक आबादी वाले श्रीडूंगरगढ़ शहर में ड्रेनेज सिस्टम विकसित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कर उस ड्रेनेज सिस्टम की डीपीआर इसी वर्ष बनाकर शुरू कराने की व्यवस्था कराएं।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री नारायण सिंह देवल (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)। श्री वासुदेव देवनानी (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)। श्री धर्मनारायण जोशी (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)। श्री सतीश पूनियां (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)। श्रीमती मंजु देवी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जायल के अभावग्रस्त गांवों को फसल का मुआवजा

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत खरीफ फसल 2021 में अभावग्रस्त गांव घोषित करवाने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि जायल तहसील क्षेत्र के 142 ग्रामों में 50 से 75 प्रतिशत तक का खराबा खरीफ फसल, 2021 (विक्रम संवत 2078) में हुआ है, जिसकी रिपोर्ट विशेष गिरदावरी में आई है। यह रिपोर्ट आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को भिजवा दी गई है। लेकिन आज दिन तक उक्त 142 गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। यहां पर पकी फसल पर भारी बारिश हो जाने के कारण सम्पूर्ण मूंग की फसल व बाजरे की फसल नष्ट हो गई है।

अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि जायल के 142 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर उचित मुआवजा राशि आबंटित करावें ताकि किसान को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

बयाना को जिले का दर्जा

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत भरतपुर जिले की तहसील बयाना को नवीन जिला बनाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि तहसील क्षेत्र बयाना जो कि भरतपुर जिला मुख्यालय से काफी दूरी पर स्थित है, जिसकी दूरी लगभग 70-80 किलोमीटर है। उक्त क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को जिला मुख्यालय में सम्बन्धित समस्याओं के

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

समाधान के लिए काफी दूरी की यात्रा करके जाना पड़ता है तथा आने-जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उक्त तहसील बयाना के गांव धौलपुर व करौली जिले की सीमा से भी सटे हुए हैं। उक्त तहसील को बयाना जिला बनाने के लिए इसके अन्तर्गत भरतपुर, करौली, धौलपुर की अग्रलिखित तहसील व उप तहसील के क्षेत्र को सम्मिलित किया जा सकता है तथा इनकी उक्त बयाना क्षेत्र से दूरी भी काफी कम है, जिसमें भरतपुर जिले की तहसील उच्चैन (दूरी 23 किलोमीटर), रूपवास (दूरी 30 किलोमीटर), वैर (दूरी 16 किलोमीटर), भुसावर (दूरी 25 किलोमीटर), बयाना व उप तहसील लखनपुर (दूरी 25 किलोमीटर), हलैना (दूरी 27 किलोमीटर) तथा करौली जिले की तहसील बसेड़ी (दूरी 30 किलोमीटर) आदि है। उक्त सभी तहसील क्षेत्रों में उप खण्ड अधिकारी कार्यालय भी संचालित है। उक्त तहसील व उप तहसील का क्षेत्र बयाना तहसील के आसपास के क्षेत्र में ही विद्यमान है। यहां के स्थानीय आमजन/लोगों द्वारा भी काफी समय से मांग की जाती रही है कि तहसील बयाना को जिला बनाया जाये।

अत: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि उक्त जन हित के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए भरतपुर जिले की तहसील बयाना को नवीन जिला बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीरसिंह भायल (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)। श्रीमती सूर्यकांता व्यास (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)। श्री संदीप शर्मा (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)। श्री प्रताप सिंह (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन, माननीय मुख्य सचेतक।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 26)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(डा. महेश जोशी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 09 फरवरी, 2022 को माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने गुरुवार, दिनांक 10 फरवरी 2022 से बुधवार, दिनांक 23 फरवरी 2022 तक निम्नांकित कार्य सदन में लिये जाने का निर्णय लिया:-

गुरुवार, दिनांक 10 फरवरी 2022 शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी 2022	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव
शनिवार, दिनांक 12 फरवरी 2022 रविवार, दिनांक 13 फरवरी 2022	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 14 फरवरी 2022	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद।
मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी 2022	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद एवं सरकार की ओर से उत्तर।
बुधवार, दिनांक 16 फरवरी 2022 से मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी 2022	बैठक नहीं होगी।
बुधवार, दिनांक 23 फरवरी 2022	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 का उपस्थापन।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 26वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखी जाने वाली अधिसूचनाएं। श्री रामलाल जाट।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

राजस्व विभाग

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.9(35)राज-6/21/79 दिनांक 13.09.2021, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: प.9(16)राज-6/2021/95 दिनांक 01.10.2021, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (पात्रता के आधार पर भूमि का आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: प.6(25)राज-6/14पार्ट/111 दिनांक 08.10.2021, जिसके द्वारा आज्ञा संख्या एफ.5(109)राजस्व बी/60 दिनांक 20.07.1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: प.9(8)राज-06/2017पार्ट/135 दिनांक 01.12.2021, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: प.11(7)राज-6/2021/141 दिनांक 06.12.2021, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: प.6(26)राज-6/14पार्ट/01 दिनांक 04.01.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 तथा 11 में संशोधन किया गया है; एवं
7. अधिसूचना संख्या: प.10(3)राज-6/2001पार्ट/06 दिनांक 27.01.2022,

(श्री रामलाल जाट)

जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

उद्योग विभाग

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की निम्नांकित 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: आरएफसी/एफ.पीए-23(14)/250 दिनांक 02.07.2021 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेग्यूलेशन्स, 1958 में संशोधन किया गया है; एवं
2. अधिसूचना संख्या: प.28(13)उद्योग/1/2020 दिनांक 28.01.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.23(13)उद्योग/1/2020 दिनांक 28.12.2020 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर का वित्तीय लेखा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-35 की उप धारा 4 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019 -20 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश चन्द मीना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3)(एफ) के अन्तर्गत

(श्री रमेश चन्द मीना)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखती हूं:-

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2019-20)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2019-20:

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

2. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा-34 (का) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20।

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 60वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 60वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 32 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा।

राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022, श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं -

1.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	8 घण्टे 36 मिनट
2.	भारतीय जनता पार्टी	5 घण्टे 41 मिनट
3.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	15 मिनट
4.	कम्यूनिस्ट पार्टी आफ़ इंडिया	10 मिनट
5.	भारतीय ट्राइबल पार्टी	10 मिनट
6.	राष्ट्रीय लोक दल पार्टी	5 मिनट
7.	निर्दलीय	1 घण्टा 3 मिनट
	कुल समय	16 घण्टे

सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.23 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, हमारी मांग है कि रीट परीक्षा की जांच सरकार सी.बी.आई. को सौंपे। (व्यवधान) 26 लाख

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विद्यार्थियों का सवाल है। यह सवाल...(व्यवधान) सरकार में बैठे मंत्रीगण को बताना चाहिए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री सभापति: माननीय लीडर आफ अपोजिशन, आलरेडी सरकार ने रीट की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। मैं समझता हूं, इससे बड़ा कदम राज्य सरकार उठा नहीं सकती थी। माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में सरकार के लिए बहुत सारी बातें कही हैं। मैं समझता हूं उस पर चर्चा होती है तो निश्चित रूप से फ्रूटफुल रहेगा। मैं यहां तक कहता हूं, राज्य सरकार ने रीट की परीक्षा को निरस्त करके बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसको मानना चाहिए।

सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.01 बजे 15.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(15.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): रीट की सीबीआई से जांच कराई जाये ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद। श्री गोविन्द डोटासरा, सदस्य विधान सभा, धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) (अत्यन्त शोरगुल के कारण अश्रव्य).... अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राजस्थान की जनता को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, I'll name you. Don't obstruct. Mister Madan Dilawar, don't obstruct. I'll name you. You are a senior member. (व्यवधान) जो सदस्य बोल रहे हैं, आप उनके सामने खड़े हो रहे हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने जनता से जो वादे किये थे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): महामारी कोरोना आया, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया ... (व्यवधान) राजस्थान की जनता देख रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भारतीय जनता पार्टी के शासन में राजस्थान प्रदेश की इन्होंने जो दुर्दशा की थी, वह किसी से छुपी हुई नहीं है। (व्यवधान) आज केन्द्र में बैठे मोदी जी, जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अभिभाषण दिलवाते हैं (व्यवधान) यह आप और हम सब, हिन्दुस्तान की जनता देख रही है। (व्यवधान) इस प्रकार देश का प्रधान मंत्री संबोधित कर रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। पांच साल में इन लोगों ने इस प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया था। इन तीन सालों में ये लोग राजस्थान में प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, तीन साल तक आपस में ही लड़ते रहे। (व्यवधान) आज भी मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, जनता की आवाज नहीं उठाकर, आपस के लड़ाई झगड़े और आपस की गुटबाजी के अन्दर बंटी हुई है।

जो हालत परसों, राजस्थान विधान सभा की न पक्ष लाबी में जब इनकी विधायक दल की बैठक हो रही थी, तो इनके कुर्सियां चलीं। आपस में झगड़े हुए आपस में धक्का-मुक्की हुई। यह राजस्थान का भला चाहने वाले लोग नहीं हैं। (व्यवधान) इस प्रकार का वातावरण बनाकर राजस्थान के अंदर, कांग्रेस की अच्छी सरकार, जिसने कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट किया, बच्चों को नौकरियां दे रही है ...(व्यवधान) अच्छी योजनाएं दे रही है, उन सब का लाभ राजस्थान की जनता को नहीं मिले, यह सोचकर, इस प्रकार के प्रोपेगेंडा लेकर राजस्थान विधान सभा में ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा न तो हमारी जागीर है, न ही बीजेपी की जागीर है। राजस्थान की विधान सभा आठ करोड़ लोगों की है, उनकी समस्याओं को लेकर हम लोग यहां आते हैं। (व्यवधान) उनकी समस्याओं का समाधान यहां पर किस प्रकार से हो।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से जनता के मुद्दे कैसे यहां उठाए जाएं, जिससे कल्याणकारी सरकार उन मुद्दों के आधार पर काम कर सके। (व्यवधान) मैं ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करके इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश में अराजकता का माहौल है। आज देश में भय का वातावरण है। आज देश में स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको खतम किया जा रहा है। लोकतंत्र का चीर हरण करने का काम केन्द्र में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जिस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, मैं ईश्वर से यह कामना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। लाखों बच्चों के भविष्य को खराब करने का अगर किसी को श्रेय जाता है, अगर कोई पाप का भागी बनता है, तो वह भारतीय जनता पार्टी के यह लोग है। (व्यवधान) जो निकम्मे हैं निकृष्ट है। इनको किसी से भी लेना देना नहीं है ...(व्यवधान) इनको तो मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने यह कहा कि आपने तीन साल में प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाई ...(व्यवधान) 25 में से 25 सांसद कुछ नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति में इनके पास हो-हल्ला के अलावा बेबुनियाद आरोप लगाने के अलावा कोई साधन नहीं है ...(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान में सवा तीन साल में गुड गवर्नेंस हुई है, अपने आप में यह उदाहरण है ...(व्यवधान) चाहे नगर निकाय के चुनाव हों, चाहे पंचायती राज के चुनाव हों, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। (व्यवधान) हाउस आर्डर में नहीं है, मैं इनकी पूरी कलई खोलने वाला था। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको लताड़ पड़ी है। इनको मोदी जी, अमित शाह जी की लताड़ पड़ी है कि आपने तीन साल तक आपस में लड़ने के अलावा क्या किया, यह बताइये। (व्यवधान) यह बता नहीं पाए।

मैं मेरा लिखित भाषण ...(व्यवधान) महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया, उसके समर्थन में, मैं आपको टेबल कर रहा हूं, जिससे पूरी बात रिकार्ड पर, इनकी भी आ सके, हमारी गुड गवर्नेंस की भी आ सके और केन्द्र सरकार की विफलताओं की भी आ सके। (व्यवधान) धन्यवाद। मैं टेबल करने की अनुमति चाहता हूं।

(माननीय सदस्य के माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

शासकीय वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं, जो 03 मार्च, 2022 से प्रारम्भ होनी थी, अब कोविड महामारी के कारण 24 मार्च, 2022 से प्रारम्भ होंगी। इसी क्रम में बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षाएं जो पूर्व में नियमित परीक्षार्थियों के लिए 27 जनवरी, 2022 से प्रारम्भ होनी थी, अब 15 से 28 फरवरी, 2022 तक तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 21 से 28 फरवरी, 2022 के मध्य आयोजित की जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: श्री अमित चाचाण। प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं हमारी सरकार को, पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार आये विधायक को, युवा विधायक को इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। (व्यवधान) कल राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण दे रहे थे तो उनके मुख से कही गई एक-एक बात ...(व्यवधान) राजस्थान सरकार ने पिछले तीन वर्षों में जो जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई, राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाने का कार्य किया ...(व्यवधान) उन्होंने बताया कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने किस तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाया। हालांकि हम सबने देखा कि कोरोना काल में पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व, ...(व्यवधान) कोरोना वैश्विक महामारी के कारण एक बहुत बड़ा मंजर हमने देखा। लोग अपने परिवार के सदस्य को खो रहे थे, उस आपदा में हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत थे, जो जानते थे कि इस आपदा के समय किस तरह से चुनौतियों का सामना किया जाये,

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

किस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर, सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर उन चुनौतियों का सामना किया, हालांकि उन चुनौतियों का सामना

(श्री अमित चाचाण)

करने के लिए किसी के पास अनुभव नहीं था लेकिन यह लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत ही थे, जो यह जानते थे कि किस तरह से उनका सामना किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। जहां बी.जे.पी. के लोग ताली और थाली बजाने का काम कर रहे थे, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने दवाइयों की इतनी अच्छा व्यवस्था की कि कोरोना काल में वैश्विक महामारी के कारण पूरे राजस्थान के अन्दर एक समुचित व्यवस्था का प्रावधान किया गया। गहलोत साहब जानते थे कि हमें राजस्थान के नागरिकों का जीवन भी बचाना है और उसकी आजीविका की भी चिन्ता हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत कर रहे थे।

जब कोविड महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भा.ज.पा. के राज्यों में कालाबाजारी बढ़ रही थी, वही हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने स्पेशल विमान मुम्बई भेजकर जीवन रक्षक दवाइयां मंगायीं और निःशुल्क उन दवाइयों का वितरण करके राजस्थान के करोड़ लोगों की जनता का इलाज करने का काम किया। यह हमारे मुख्य मंत्रीजी ही थे और तत्कालीन चिकित्सा मंत्रीजी ही थे जिन्होंने पूरे राजस्थान में सी.एच.सी. और पी.एच.सी. लेवल तक कोरोना वैश्विक महामारी में मरीजों का इलाज करने के लिए चिकित्सालयों में सुविधाएं मुहैया करायीं। आज हमारे पड़ोसी राज्यों में जहां पर भा.ज.पा. का शासन काल है, एक-एक कोरोना मरीज का पांच-पांच लाख रुपये, दस-दस लाख रुपये में इलाज हो रहा था लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि राजस्थान की जनता ने एक ऐसे नेता को चुना जिसने इस कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी में पूरे राजस्थान के लोगों का निःशुल्क इलाज करवाकर उन्हें जीवनदान देने का काम किया था।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

चिकित्सा व्यवस्था को इतना मजबूत किया गया कि जहां पूर्व में पूरे राजस्थान में 6 हजार आक्सीजन बैड थे, आज पूरे राजस्थान में 28 हजार आक्सीजन बैड की व्यवस्था की गयी है। 12 हजार से ज्यादा आई.सी.यू. बैड की व्यवस्था की गयी है। पूरे जिले के अन्दर मेडिकल कालेज की सौगात हमें दी जा रही है, ऐसा सपना हमारे मुख्य मंत्रीजी का था।

आज पूरे राजस्थान के अन्दर कोरोना वैश्विक महामारी में जहां

(श्री अमित चाचाण)

मोदीजी ने सांसदों का कोटा फ्रीज करने का काम किया वहीं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने सभी को समानता से देखते हुए सभी विधायकों का विधायक कोष दो करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये करने का काम किया।

आज मैं हमारे इन भा.ज.पा. के नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि वे आज इतना हल्ला मचा रहे हैं, अगर थोड़ी-सी बात हिम्मत करके अपने आलाकमान को बताते, हमारे 25 सांसद दिल्ली की लोक सभा में थोड़ी-सी बात बोल पाते तो शायद यह राजस्थान के विकास में भागीदार होते लेकिन इन्हें राजस्थान के विकास की बातें नहीं करनी, इन्हें तो सिर्फ जाति और धर्म की बात करनी है। आज हमारे विपक्ष के साथियों के पास इन तीन वर्षों के कार्यकाल में कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई इनके पास बातें नहीं हैं। यह तो केवल राजस्थान की जनता को बरगलाने के लिए, युवाओं को अंधकार में ले जाने के लिए इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं।

राजस्थान की जनता ने इन्हें राजस्थान की विधान सभा में भेजा कि आप सब मिलकर राजस्थान के विकास का रोड मैप बनाइये, राजस्थान की सरकार के साथ मिलकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी विकास के नये आयाम स्थापित करें लेकिन यह लोग अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आज इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने हर क्षेत्र में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किये हैं जो देश और दुनिया के पटल पर राजस्थान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। चाहे हम शिक्षा की बात करें, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने और तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने शिक्षा में एक ऐसा नवाचार किया क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकरजी ने यह कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीयेगा वह उतना दहाड़ेगा, लेकिन भा.ज.पा. शासन काल में बीस हजार स्कूलों को बन्द करने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार चाहती थी कि गरीब परिवार का बच्चा इन विद्यालयों में पढ़े और आगे बढ़कर हमारे समाज, क्षेत्र और देश का नाम रोशन करे।

इसमें नवाचार करते हुए क्योंकि गरीब के एक बच्चे का सपना था कि क्या वह कभी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में जायेगा, क्योंकि आज की इस प्रतिस्पर्धा के दौर में प्राइवेट विद्यालयों में भारी-भरकम फीस ली जा रही थी। गरीब परिवार के बच्चे का सपना पूरा करने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी

(श्री अमित चाचाण)

और तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा एक नवाचार करके लाये और पूरे राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने की सौगात दी और हमारे गरीब परिवार के बच्चे का सपना साकार हुआ। उन्होंने ऐसे नवाचार किये कि 'नो बैग डे' शनिवार को लागू किया। गांव की चौपाल में वार्षिक कार्यशाला हो, यह नवाचार किया। इसको देखते हुए हमें खुशी है कि आज राजस्थान में दस लाख बच्चों का राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है और प्रत्येक क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों की तरफ उनका झुकाव बढ़ा है। ऐसे-ऐसे नवाचार हमारे राज्य के मुख्य मंत्री करना चाह रहे हैं, क्योंकि वे यह चाहते हैं कि हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

हम पेयजल योजना की बात करें तो केन्द्र की सरकार को यह चाहिए था और भा.ज.पा. के नेताओं को यह चाहिए था कि 25 के 25 सांसद एक स्वर में बोलते कि हमारा राजस्थान बहुत बड़ा है, अलग-अलग भौगोलिक दृष्टि से है तो आप इस पेयजल योजना में 90 अनुपात 10 की स्कीम लागू करें, लेकिन हमारे +++ सांसदों ने एक बात भी नहीं उठायी और हमें तो शर्म आती है कि हमारे राजस्थान के ही जलशक्ति मंत्री होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार के साथ एक सौतेला व्यवहार राजस्थान सरकार के साथ ही नहीं बल्कि राजस्थान की आम जनता, आठ करोड़ जनता के साथ यह भा.ज.पा. के नेता सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। फिर भी मुख्य मंत्रीजी ने दिल खोलते हुए हमारे तत्कालीन जलदाय मंत्री श्री बी.डी. कल्लाजी ने प्रत्येक गांव तक पीने के पानी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी स्कीम्स बनायीं और कई लाखों परिवारों को घर-घर पेयजल कनेक्शन करने का काम कर रहे हैं और उसी दिशा में अब हमारे वर्तमान मंत्री श्री महेशजी जोशी उस कदम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

हम यह चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक घर तक पीने का स्वच्छ पेयजल पहुंचे, क्योंकि हम गांव में दूर-दराज के क्षेत्र में जाते हैं तो हम यह देखते थे कि हमारी माताएं, हमारी बहनें सिर पर मटका लिये हुए, उन्हें मैला-कुचैला पानी लाना पड़ता था, लेकिन हमें अब यह विश्वास हो गया है कि मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में आने वाले समय में प्रत्येक गांव और ढाणी तक पीने का स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जायेगा, यह हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच है।

(श्री अमित चाचाण)

आज सड़कों की बात करें तो मुख्य मंत्रीजी ने बड़ा दिल दिखाते हुए पिछले बजट में दो सौ के दो सौ विधायकों को पांच-पांच करोड़ रुपये सड़कों के विकास के लिए दिये थे, क्योंकि वे यह चाहते हैं कि विकास के क्रम में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाये। एक समानता से देखते हुए उन्होंने राजस्थान में सड़कों के विकास की बात की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें तो कांग्रेस के शासन काल में सौ परसेंट पैसा केन्द्र की सरकार वहन करती थी लेकिन इस मोदी सरकार ने, इस तानाशाह सरकार ने विकास को अवरुद्ध करने के लिए वह पैसा 60 अनुपात 40 कर दिया। आज 40 परसेंट पैसा हमारी राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, फिर भी मुख्य मंत्रीजी ने गांव की जो भी वंचित सड़कें थीं उनको बनाने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूर्व का जो बजट पेश किया गया था, विपक्ष के हमारे इन्हीं नेताओं ने यह कहा था कि यह तो चुनावी बजट है, यह पैसा कहां से आयेगा, यह घोषणाएं पूरी कैसे होंगी, लेकिन आज इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, यह पहली बार हुआ कि बजट घोषणा के साथ-साथ विपरीत परिस्थितियों में भी और विकट स्थितियों में भी उन घोषणाओं को धरातल पर उतारा और जो क्षेत्र में कामों की घोषणा की गयी थी, उन कामों को पूरा करने का काम किया। पैसा कहां से आया, कैसे आया, यह तो हमारे जादूगर मुख्य मंत्रीजी जानते हैं लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे विधान सभा क्षेत्रों में काम बहुत अच्छी तरह से किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि साथ चलने का इरादा जब जवान हो जाएगा, आदमी आदमी से मिलकर कारवां हो जाएगा, तू भी रख किसी के पांव के नीचे थोड़ी-सी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां हो जाएगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीन वर्षों में, एकदम विपरीत परिस्थितियों में, विकट स्थितियों में हमारे मुख्य मंत्रीजी और तमाम मंत्री महोदय ने मिलकर राजस्थान के लोगों को एक नयी सौगात दी है। राजस्थान के आठ करोड़ लोगों का और पूरे राज्य का उन्होंने विश्वास जीता है कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में हमने राजस्थान के नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ा, उनके भरोसे नहीं छोड़ा। पूरी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली।

(श्री अमित चाचाण)

भा.ज.पा. सरकार ने, जो हिटलरशाही के कदमों पर चलना चाहती है, जो तानाशाह रवैया अपनाना चाहती है, जो ब्रिटिश काल के शासन काल को दोहराना चाहती है और पूरे देश की जनता को इस कोरोना काल में झकोरने के लिए छोड़ दिया था हालांकि, उन्होंने कागजों में तो एक बहुत बड़ा ऐलान किया था लेकिन किसी गरीब के घर तक एक पैसा भी नहीं पहुंचा था। हम धन्यवाद देते हैं हमारे मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने लगभग 35 लाख परिवारों को पांच हजार पांच सौ रुपये के हिसाब से प्रत्येक परिवार को आर्थिक सुविधा पहुंचायी जिससे उन्हें सम्बल मिला, जो कोरोना काल के दौरान उसकी रोजी-रोटी छिन गयी थी, उसको पूरा करने का काम किया। मुख्य मंत्रीजी ने यह आह्वान किया कि इस त्रासदी में, इस आपदा में राजस्थान का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोयेगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

उसके लिए उन्होंने आह्वान करके कहा, चाहे वह सामाजिक संगठन हो, चाहे वह धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वह जन-प्रतिनिधि हो, उन्होंने स्वयं कोरोना पीड़ित होने के बावजूद भी, हार्ट की सर्जरी होने के बावजूद भी वीसी के जरिये सबसे संवाद कर पूरे राजस्थान की निगरानी की कि राजस्थान का कोई गरीब व्यक्ति भूखा तो नहीं सो रहा है। हमें खुशी है कि हम सभी जन-प्रतिनिधि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घर तक खाना पहुंचाने का काम किया क्योंकि हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच यही है कि वह गरीब को गणेश और किसान को भगवान माने और पंक्ति के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाये।

आज भाजपा का चेहरा दोहरा चरित्र है। बात कुछ और करते हैं और अन्दर कुछ और करते हैं। आज वह पूंजीपतियों की चिन्ता करते हैं, उनके घरानों की चिन्ता करते हैं। हम दो और हमारे दो की बात करते हैं। उन्हें न तो राजस्थान के विकास से मतलब और न केन्द्र के विकास से मतलब।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे साथी इतना हल्ला मचा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे नेता, प्रतिपक्ष ने बयान दिया था कि राजस्थान के रीट मामले में एसओजी शानदार काम कर रही है लेकिन जैसे ही यह मीडिया का बयान दिल्ली तक पहुंचा तो दिल्ली से ऐसा दबाव आया कि दो दिन बाद ही इनको अपने कदम वापस लेने पड़े। आज ये चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी

(श्री अमित चाचाण)

नहीं मिले, जिससे कि उनको बरगलाया जाए और कांगेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में हम सभी विधायक, मंत्री यही चाहते हैं कि हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, उनको आगे बढ़ाया जाय। मुख्य मंत्रीजी ने एक बयान दिया था। आपने भी सुना था कि जो गलती करेगा, वह गलती सज़ा मांगती है। मुख्य मंत्रीजी ने एसओजी को जांच देकर पारदर्शिता दिखाई कि इसमें चाहे कोई भी दोषी हो, उनको बख्शा नहीं जायेगा और रीट एल-2 की परीक्षा को रदद किया और आगे जाकर तीस हजार पदों की बढ़ोतरी की। वह चाहते हैं कि बेरोजगार युवा को अधिक से अधिक नौकरी मिले। उन्होंने कहा कि हम इसी साल नौकरी देंगे। आप चाहे कितना ही प्रयास कर लें युवाओं को भड़काने और बरगलाने का, लेकिन राजस्थान का युवा जानता है कि मोदीजी की सात साल पूर्व की घोषणा कि प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये देंगे, दो करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे लेकिन सात साल गुजरने के बाद भी आज तक उसका अता पता नहीं है।

हमारे सांसद महोदय ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक गांव गोद लिया था लेकिन हमें यह पता नहीं चला कि वह गांव गोद में ही है या चलने भी लग गया है। आज हमारे क्षेत्र के सांसद क्षेत्र में जाने से कतराते हैं, वह जाने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने सात साल में राजस्थान की जनता के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सात साल में राजस्थान को पीछे भेजने का काम किया। चाहे रेलमार्गों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो या अन्य सुविधाओं की बात हो, सांसद के खाते में एक भी विकास का काम नहीं गया है। सांसद कोटे का पैसा भी फ्रीज कर गये। उनके अधिकारों पर हनन करने का तानाशाह मोदी सरकार ने किया है। सांसद महोदय आज एक भी गांव में जाने की हिम्मत नहीं रखते। वह सिर्फ दिल्ली में रहकर इधर-उधर की बातें करते हैं लेकिन हमें खुशी होती है जब हम गांवों में जाते हैं, जब ढाणियों में जाते हैं, जब हम क्षेत्र में जाते हैं क्योंकि हमारे पास तीन साल का किया हुआ विकास का कार्य है। हम गिना सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमने क्या-क्या काम किया है, क्या-क्या सौगातें राजस्थान की जनता को दी हैं।

हमारा राजस्थान कृषि प्रधान प्रान्त है। किसान के खेत और खलिहान से विकास की गंगा शुरू होती है, विकास का क्रम शुरू होता है। गरीब को गणेश और किसान को भगवान कांग्रेस पार्टी ने माना। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री अमित चाचाण)

सत्ता संभालते ही साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये के लगभग सहकारी ऋण माफ किया और पिछले कांग्रेस शासन काल में मनमोहनजी ने किसानों का ऋण माफ किया लेकिन यह मोदी सरकार किसानों की छाती पर हल चलाकर उनको शहीद करना चाहती है। न तो उनका ऋण माफ किया और न ही उनको कोई सौगात दी और बारह महीनों तक किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा रहा। सात सौ किसानों ने शहादत दे दी लेकिन मोदी और उनकी सरकार का एक भी मंत्री उनसे मिलने नहीं गया। जब चुनाव आये तब मगरमच्छी आंसू बहाये गये। उनको सांत्वना दी गयी कि हमसे गलती हो गयी। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी भी कोई सरकार है जो बारह महीनों तक हमारी सरकार अन्नदाताओं से नहीं मिले, अन्नदाताओं की बात नहीं सुने, अन्नदाताओं के पास नहीं जाये और उनके मंत्री का बेटा यूपी में उन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर ऐसा दुस्साहस करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो देश में राज करना चाहते हैं। आज हमें शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधान मंत्री और हमारे देश के नेता ऐसे हैं जो विकास की बातों को भुलाकर देश को अंधेरे में ले जाना चाहते हैं। इस देश में गरीबी और अमीरी की खाई खोदना चाहते हैं। इस देश को धर्म और जातिवाद के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। इस देश में सेना के नाम वोट बटोरने का काम करते हैं लेकिन देश का युवा, देश का किसान, देश का व्यापारी, देश का मजदूर अब जाग चुका है। उन्होंने समझ लिया कि न तो हम असत्य बातों में आयेंगे, न असत्य वाहवाही में आयेंगे। हमने भाजपा का दोहरा चरित्र भी देख लिया है। अगर देश की कोई सेवा कर सकता है, छत्तीस बिरादरी की कोई पार्टी है, किसानों की कोई सेवा कर सकता है तो कांग्रेस शासन काल है, कांग्रेस की पार्टी है जो छत्तीस बिरादरी के बारे में सोचती है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का ऐसा स्वभाव है कि उन्होंने कोरोना काल में प्रत्येक पार्टी के जन प्रतिनिधि से बात की, प्रत्येक व्यक्ति से बात की। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि ये पक्ष है या विपक्ष है। उन्होंने सदैव विकास का बात की और विकास के बारे में जाना। मैं कुछ कहना चाहता हूं, 'जिन्दगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिन्दगी में हर पहलू इम्तहान होता है, डरने वाले को नहीं मिलता है कुछ जिन्दगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।' कांग्रेस पार्टी का तो एक-एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है, जंग जीतता है क्योंकि कांग्रेस ने आजादी दिलायी है। कांग्रेस के हजारों नेताओं ने

(श्री अमित चाचाण)

कुर्बानी दी है। भाजपा और आरएसएस के नेताओं ने तो अपनी एक अंगुली भी नहीं कटाई। उन्हें क्या पता आजादी का जश्न क्या होता है, उन्हें क्या पता गुलामी क्या होती है, लेकिन जिस पार्टी के नेताओं ने, जिस पार्टी के परिवार के मुखिया ने बलिदान दिया हो, उस परिवार के सदस्यों को पता चलता है कि आजादी, बलिदान और कुर्बानी क्या होती है। उन्होंने सदैव धोखे से राज करना चाहा, उन्होंने तो सदैव भाई-भाई को बांटने का काम किया। इन्होंने तो वही अंग्रेजों की नीति अपनायी कि फूट डालो और राज करो। आज इनका दोहरा चरित्र देश की जनता के सामने आ चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी थे, यूथ कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी का सिपाही था जो घर-घर आक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा था, घर-घर भोजन पहुंचाने का काम कर रहा था। मोदीजी तो सिर्फ फोटो शूट करवाने और विदेश की यात्राओं में घूमने के लिए महंगे कपड़े पहनने के लिए ही मशहूर हो गये। बाद में तो और भी हद हो गयी जब उनका टेलीप्रोम्पटर फेल हो गया तो वह अपनी बात तक नहीं कह सके। हमें शर्म आती है कि देश का प्रधान मंत्री पत्रकारों के साथ एक भी प्रेस वार्ता नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, उनको धरातल की जानकारी नहीं है, उनको कामकाज की जानकारी नहीं है। अगर प्रेस का मीडिया उनसे कोई सवाल कर ले तो वह जवाब नहीं दे पाते इसलिए टीवी पर आकर सिर्फ मन की और दिल की बातें करना जानते हैं, लेकिन हमारे हर नेता मीडिया के सामने भी आते हैं, मीडिया से बातें भी करते हैं और मीडिया की पैरवी भी करते हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने मीडिया के साथियों को आवास देने के लिए एक कमेटी बनायी। हम चाहते हैं कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलें और किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करें।

हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी का फैसला था कि राजस्थान को पारदर्शी सरकार मिले, अच्छा शासन मिले, पुलिस की अच्छी कार्यवाही हो। उन्होंने थानों में स्वागत कक्ष बनाने की सौगात दी, जिससे यदि वहां कोई परिवादी जाए तो उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था हो। उन्होंने यह आदेश भी निकाला कि अगर थानों में एफआईआर दर्ज नहीं हो तो जिला पुलिस अधीक्षक करेगा और आपकी सुनवाई होगी क्योंकि हम राजस्थान की जनता को पारदर्शी सरकार देना चाहते हैं, हम राजस्थान की सरकार को आगे ले जाना चाहते हैं, हम राजस्थान में विकास के नये आयाम स्थापित करना चाहते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री अमित चाचाण)

देश में पंचायती राज की स्थापना स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी ने की थी। उनकी अवधारणा धरातल पर उतारने का काम जिस प्रकार हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी ने किया, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत मजबूती से कर रहे हैं। महात्मा गांधीजी का कहना था कि स्वराज की सही कल्पना तभी पूरी होगी जब सत्ता कुछ लोगों के हाथों में जाने से रोकने की क्षमता जनता के हाथों में हो। गहलोत सरकार ने पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं को चलाकर राजस्थान में करोड़ों रुपये खर्च कर देश की जनता को फायदा दिया।

अभी हाल ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया। क्षेत्र का पूरा प्रशासन एक गांव में जाकर सुबह से शाम तक बैठता था। उस गांव की जो भी समस्या थी, उसी दिन पूरा करने का काम हमारे मुख्य मंत्रीजी की वजह से हुआ। उसमें हमारे लाखों व्यक्तियों को फायदा मिला।

हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच, किसानों को फायदा देने के लिए मुख्य मंत्री किसान मित्र योजना का शुभारम्भ किया। इससे प्रतिमाह एक हजार रुपये का बिजली का बिल उन्हें अनुदान के रूप में दिया और आज हमें खुशी है कि पांच लाख किसानों का बिल शून्य हो गया है। पांच लाख किसानों को उसका फायदा मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किस-किस क्षेत्र की मैं बात करूं, किस-किस क्षेत्र के बारे में आपको बताऊं, ऐसा कोई क्षेत्र हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अछूता नहीं छोड़ा है, जिसमें विकास के कोई नये आयाम स्थापित न हों।

आज हम उच्च शिक्षा की बात करें, जो 70 सालों में राजस्थान में कालेज नहीं खोले गये, मात्र इन तीन वर्षों में 123 राजकीय महाविद्यालय खोले गये। हमारे क्षेत्र की बहनें चाहती थीं कि हमें भी सुरक्षित वातावरण मिले, एक अच्छा माहौल मिले, उनके लिये भी उन्होंने लगभग हर जिले में एक महिला कालेज की सौगात दी, जिससे कि हमारी बहनें उच्च शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ने का काम करें, ऐसा कार्य हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं आपको बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने विकास को आगे ले जाने के लिये सभी के साथ समानता का व्यवहार किया है।

(श्री अमित चाचाण)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि आप तो काम कीजिये, गरीब व्यक्ति की सेवा कीजिये, गरीब जनता की सेवा कीजिये, उसको आगे लाने का काम कीजिये।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य में पहली बार स्थापित शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर शांति एवं अहिंसा निदेशालय का गठन किया गया। एक ऐसा निदेशालय जिसकी आज बेहद आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी के सिद्धान्त आज के समय कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। युवा पीढ़ी में उसके प्रचार-प्रसार के लिए इस निदेशालय की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस नीति जारी कर एक बड़ा कदम उठाया। सिलिकोसिस की बीमारी से पुनर्वास एवं राहत के लिए यह नीति एक महत्वपूर्ण कदम होगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मुख्य मंत्रीजी ने जब-जब भी सत्ता सम्भाली और मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने हर बार चाहे वह मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा हो, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच हो और इस बार तो उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लागू की, जिसके तहत पांच लाख रुपये तक का आम मरीज का उसमें फ्री इलाज होगा और आज बताते हुए हमें खुशी है कि लाखों लोगों और लाखों परिवारों ने, जो गरीब व्यक्ति हैं, उन्होंने पांच लाख रुपये की इस बीमा योजना के तहत अपना निःशुल्क इलाज कराया है और आगे बढ़ते हुए मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना में चाहे किसी के कैंसर की बीमारी हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे डायबिटीज की हो, इन बीमारियों को भी सम्मिलित करके पूरे राजस्थान की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, क्योंकि आज कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वह प्राइवेट हास्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा पाता और पैसे के अभाव में उसके परिवार के सदस्य की जान चली जाती है। उनका दुःख और दर्द हमारे मुख्य मंत्रीजी ने समझा और जाना, क्योंकि हमारे मुख्य मंत्रीजी धरातल से उठकर आये हैं। उन्होंने हर बार देखा है, उससे आगे बढ़कर उन्होंने ऐसी सौगात दी जिससे कि आज भगवान न करे किसी के परिवार में कोई बीमारी आये, लेकिन अगर कोई बीमारी आती है तो उसके इलाज के लिए पांच लाख रुपये की बीमा योजना से अपना इलाज करवा सकता है।

(श्री अमित चाचाण)

मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे पहली बार विधायक बनकर आये, मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर दूसरे नम्बर पर बोलने का मौका दिया, यह कांग्रेस पार्टी है जो युवा विधायकों को आगे लाना चाहती है। दूसरी तरफ भाजपा के चुनिन्दा ही नेता हैं, वह हर बार, हर क्षेत्र में बोलना चाहते हैं और युवाओं को पीछे ले जाने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने युवाओं को समझते हुए युवाओं की बातों को मानते हुए जो कठोर निर्णय लिये हैं, वह आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित होंगे और युवाओं को आगे ले जाने का काम होगा।

मैं एक बार पुन: आपको धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ऐसी परिस्थिति में आपके बीच में बोल रहा हूं, जहां हम आजादी के 75 साल के बाद देश में जो माहौल देख रहे हैं, आजादी की एक लम्बी लड़ाई हमारे शहीदों ने लड़ी, देश के किसान, मजदूर, देश का दबा-कुचला वर्ग सामन्तवादियों से और अंग्रेजों से बड़े भारी परेशान थे, ऐसी परिस्थिति में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Don't obstruct. आपको अधिकार नहीं है...(व्यवधान) No. I'll call you. I say, I'll call you.

श्री बलवान पूनियां (भादरा): लाखों लोग अंग्रेजों की सरकार से लड़े.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I'll call you. Don't obstruct. आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? I say, I'll call you.

श्री बलवान पूनियां (भादरा): इनका आजादी से पहले का जो इतिहास है, वह यही इतिहास है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं बाहर निकालने के लिए बोलूंगा। Don't obstacle.

श्री बलवान पूनियां (भादरा): यह पहले सामन्तों के साथ थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please don't obstacle. आपको अधिकार नहीं है, वहां नहीं बोलोगे। (व्यवधान) वहां नहीं बोलोगे। हल्ला करना है तो यहां करिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य ने सही कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी से पहले इनका कोई नाखून भी नहीं टूटा था।

श्री अध्यक्ष: I'll name you. (व्यवधान) हल्ला यहां आकर करिये। (व्यवधान) आपको हल्ला करना है तो करिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): इनका एक ही काम था यह अंग्रेजों की दलाली करते थे। अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम करते थे। आज भी यही धंधा इनका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please don't do it. I'll name you. I'll name you. आप इनको व्यवधान नहीं डालेंगे। Please don't do it. I'll name you.

श्री बलवान पूनियां (भादरा): भाईचारे, एकजुटता का जो माहौल होना चाहिये था, उस माहौल को बिगाड़ने का अगर कोई काम कर रहा है तो देश की भाजपा की सरकार कर रही है। आजादी से पहले जब देश का किसान लड़ रहा था, देश का नौजवान लड़ रहा था, वह भुखमरी के खिलाफ, वह बेकारी के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ लड़ रहा था। लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी लगने के बाद, गांधीजी के अहिंसा आन्दोलन के बाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसे लोगों की आजाद हिन्द फौज के परिणामों से अंग्रेज इस देश से गये और इस देश की सरकार बनी। उस सरकार ने एक संविधान बनाया, उस संविधान की चार लाइनें आपके बीच में कोट करना चाहता हूं। हालांकि सदन में बैठने वाले सारे लोग संविधान की शपथ खाकर देश के सदनों में बैठते हैं।

(15.37 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

'हम भारत के लोग, भारत को एक (सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य) बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार,

(श्री बलवान पूनियां)

अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और (राष्ट्र की एकता और अखण्डता) सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर इस संविधान सभा में 26 नवम्बर, 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।'

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आज सभापति महोदय, देश के अन्दर जो माहौल बना हुआ है, न तो देश की सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है दिल्ली की सरकार, कि देश में भाईचारा कहीं बढ़ रहा हो, जिस तरीके से देश में माहौल बना है, यह जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का धन्धा करते हैं। सभापति महोदय, जिस तरीके का काम देश की सरकार कर रही है, उससे लग नहीं रहा कि इस देश के संविधान की शपथ खाने का काम जो भारत की सरकार और उसके साथ-साथ उसके मंत्रियों और इन विधायकों ने किया है, सभापति महोदय, देश के संविधान को कमजोर करने का काम भारत की सरकार कर रही है। न सिर्फ देश के संविधान को, संविधान की जो संस्थाएं हैं, एक-एक संस्था को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इस लोकतंत्र के अन्दर जिस तरीके से सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र की बात आई, अमेरिका की संसद ने, हमारे काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी साढ़े सात सौ किसानों ने, उनके खिलाफ अमेरिका के 35 सांसदों ने एक चिट्ठी देकर हमारे किसानों की शहादत को भुनाने का काम किया।

भारत की सरकार ने यह नहीं कहा कि भारत के संविधान पर बोलने वाले आप लोग कोई नहीं होते। देश के अन्दर जिस तरीके के स्वांग भारतीय जनता पार्टी ने रचे हैं, उससे देश की संस्थाएं कमजोर हुई हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, यह जिस सीबीआई की बात कर रहे हैं, मेरे 3 साल के कार्यकाल में मैंने सीबीआई की 4 जांचों को देखा। चाहे विष्णु दत्त का मामला हो, चाहे प्रजापति एनकाउंटर का मसला हो, चाहे दूसरे किसी भी मामले में सीबीआई की जांच गयी हो, 'अ' से लेकर के 'ब' तक कोई काम नहीं हुआ।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, यह रीट के बच्चों के समर्थक लोग नहीं हैं। यह रीट के पेपर के समर्थक लोग नहीं हैं। यह जो जांच जिस स्पीड से चल रही है, उस जांच को दबाने का काम कर रहे हैं। यह प्रतिपक्ष के नेता जो आज से एक हफ़्ता पहले एसओजी की बड़ाई कर रहे थे, यह बड़ाई करते-करते पलटी मार गये। यह इसलिए पलटी मार गये कि इनके आका जो दिल्ली में बैठे हैं, वह चाहते नहीं कि बच्चों को रोजगार मिले।

सभापति महोदय, केन्द्र की सरकार यह कहकर के राज में आयी थी कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, जबकि केन्द्र में मोदी के 7 साल में 2 करोड़ तो दूर की बात, उनके विज्ञापनों से 20 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। प्रति साल रोजगार खतम हुए हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: स्पीकर के सामने से हटें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): बेरोजगारी केन्द्र की सरकार ने पैदा की है। संगठित घरेलू काम खतम हुए हैं। अडाणी और अम्बानी के पक्ष में फैसले हुए हैं।

सभापति महोदय, मेरे पास कागज हैं। यह कागज कह रहा है, 'आक्सफैम इंडिया' की ताजा रिपोर्ट, इनइक्वेलिटी किल्स से पता चला कि जहां भारत में 84 प्रतिशत परिवारों को 1 साल में अपनी आय में भारी गिरावट का सामना करना पडा, वहीं अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गयी है।

सभापति महोदय, आप ताज्जुब करोगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में, भूटान में, मालदीव में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति आय गिरी है। यह बड़ी बेशर्मी से उन बातों को दबाना चाहते हैं। यह चिल्ल-पौं किसलिए कर रहे हैं? यह अडाणी और अम्बानी का दबाव है और कुछ नहीं है। इनकी कोई काबिलियत नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ उनकी बात को ऊंचा रखना चाहते हैं।

सभापति महोदय, जो भारत सरकार लगातार यह कहकर के आयी थी कि हम जनता की बात करेंगे, थोड़े दिन पहले बजट आया, उसमें मनरेगा में 25 हजार करोड़ रुपये की कटौती की है। मनरेगा में 25 हजार करोड़ की कटौती का मतलब है कि भुखमरी, बेकारी और बढ़ेगी।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, खाद्य सब्सिडी में 80 हजार करोड़ रुपये कम हुए। अभी भी भारत की सरकार ने नये खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ जाएं, इसलिए पोर्टल बन्द कर रखा है।

श्री सभापति: कृपया वक्ता के सामने से हटें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): लेकिन 80 हजार करोड़ की कटौती करने से गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीनने का काम किया। केन्द्र की सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए उर्वरक सहायता कोष में 35 हजार करोड़ रुपयों की कटौती की है।

सभापति महोदय, आप चिन्ता मत करो। मैं इनसे नहीं डरूंगा, चिन्ता मत करो। मैं 2 घंटे बोलूंगा। आप तो मेरी बात सुनते रहो। 2 घंटे बोलूंगा, 2 घंटे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, किसानों के उर्वरक सहायता कोष में 35 हजार करोड़ की कटौती की है।

सभापति महोदय, मेरी 45 साल की उम्र है। मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं। मेरे घर में यूरिया के कट्टे के लिए डीएपी के कट्टे के लिए, मोदी राज के अलावा कभी लाइन में नहीं लगे थे। लाइन में लगकर यूरिया लेना पड़ा है। डीएपी लेना पड़ा है। अब की बार 35 हजार करोड़ रुपये और कटौती हुई है। सभापति महोदय, देश किधर जा रहा है? 35 हजार करोड़ की कटौती का मतलब है कि अगली बार भी यूरिया, डीएपी नहीं मिलेगा। यहीं नहीं रुके, 3 काले कानूनों के खिलाफ 750 लोगों की शहादत के बाद देश के किसान एकजुट हुए मोदी की सरकार को हराया। लेकिन इन बेईमानों के पेट में दर्द हुआ और इन्होंने क्या किया कि एमएसपी पर फसल खरीद बजट में 11 हजार की कटौती की। यानी 11 हजार करोड़ रुपये फसल खरीद में कम कर दिये। जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में सरकारी मंडियों में यह फसल नहीं खरीदना चाहते। औने-पौने दामों पर किसान को लुटवाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, यह थोड़े दिन पहले ढोंग कर रहे थे कि कर्जा माफ नहीं किया। राज्य की सरकार ने सहकारी समितियों में 8 हजार करोड़ कर्जा माफ किया। 6 हजार करोड़ वसुन्धरा जी वाले दिये। यह तो इनकी गलती है

(श्री बलवान पूनियां)

कि इन्होंने स्पष्ट बात नहीं की। लेकिन इन +++ से पूछो कि क्या आप बैंकों का कर्जा माफ करवाना चाहते हो? आपकी ही दिल्ली में सरकार है। अगर आप बैंकों का कर्जा माफ करवाना चाहते हो तो आज मैं प्रस्ताव रख रहा हूं, इनसे यह प्रस्ताव पास कराओ, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे कि पूरे देश के किसान का कर्ज माफ करेंगे। इनको तो बात बतानी नहीं आती। इनके कदम-कदम, नब्ज-नब्ज में बेईमानी है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, यह किसान और मजदूर की जल, जंगल और जमीन छीनना चाहते थे इसलिए काले कानून लेकर के आये। 750 लोगों की कुर्बानी की। क्या नहीं कहा इन्होंने हमें? इन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। उन्हीं किसानों के कदमों में मोदी यूपी में जाकर के गिर गया। बोला, मैंने तो जाट के घर की लस्सी पी है। +++ अगर जाट के घर आप चले जाओ तो जाट लस्सी नहीं डालेगा। 750 लोगों की कुर्बानी ले ली और आप उनसे लस्सी पीना चाहते हो, लोग जूतों की माला डालेंगे।

सभापति महोदय, आज भी कह रहे हैं कि काले कानून नहीं थे। कानून अच्छे थे। फिर तुमने वापस क्यों लिये? यह कानून वापस क्यों लिये? कानून अच्छे थे तो वापस लेने की नौबत किसलिए आयी? वह इसलिए आयी कि लोग लट्ठ लेकर के खड़े हो गये। लोग लट्ठ लेकर के क्यों खड़े हो गये? हमारी जमीन चली जाती, हमारे खेत उजड़ जाते, हमारे उत्पादन को कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। इस कारण किसान लड़ा। 750 लोगों की कुर्बानी हुई। उस कुर्बानी के बाद इनकी सरकार झुकी। झुकने के बाद माफी मांगी। माफी मांगने के बाद घड़ियाली आंसू बहाये। आंसू बहाकर कहा, मैं आपका गुनाहगार हूं। यहीं नहीं रुके, यह अभी उन शहीदों को शहीद नहीं मान रहे। यह मुकदमे वापस नहीं ले रहे। अभी वादाखिलाफी कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ फिर लड़ेंगे। हमने फिर ट्रालियों में सामान डाल लिया। इनकी खटिया खड़ी कर देंगे। मैं आपको सही बता रहा हूं।

सभापति महोदय, यह कितने दोगले हैं? आप अचम्भा करोगे। जब मोदी जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब एफडीआई का विरोध करते थे। एफडीआई का विरोध करते थे कि एफडीआई गलत चीज है। जब आये तो एफडीआई लेकर के आये। जब यह गुजरात के मुख्य मंत्री थे तो कहते थे कि

(श्री बलवान पूनियां)

जीएसटी गलत है। जब प्रधान मंत्री बने +++ तो जीएसटी को लागू किया। यह कितने दोगले हैं? इनका दोगलापन देखिये।

सभापति महोदय, मैं पिछले 15 मिनट से इनका दोगलापन गिना रहा हूं। अगले डेढ़ घण्टा और गिनाऊंगा। मेरा आज यही काम है। आज इनका समय मेरे पास है। यह समय का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। यह उसी पागलपन में जी रहे हैं। उस पागलपन में जो यह इस देश में लाये हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि इन्होंने देश को किस तरह से लुटवाने का काम किया। महंगाई की बात करो। देश के अन्दर डायन महंगाई के लिए वह स्मृति ईरानी सिलेण्डर लेकर दिल्ली की सड़कों पर बैठ जाती थी। आज वह सिलेण्डर गरीब को 1000 रुपये में नहीं मिलता। 1000 रुपये में सिलेण्डर नहीं मिलता।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

इनकी उज्ज्वला योजना दम तोड़ गयी। सिलेण्डर को लोगों ने डस्टबिन में डाल दिया क्योंकि कोई गरीब सिलेण्डर भरवा नहीं सकता। जो खाद्यान्न तेल आज से छह-सात साल पहले तीस, चालीस, पचास रुपये में मिलता था, वो आज दो सौ दस रुपये, दो सौ बीस रुपये, दो सौ पच्चीस रुपये में मिलता है। हरेक गरीब के मुंह का निवाला छीनने का काम किया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो गरीब की रेल थी उसमें यात्रा करने के लिए आज से सात साल पहले प्लेटफार्म टिकट सिर्फ पांच रुपये में मिलता था, आज पचास रुपये में प्लेटफॉर्म का टिकट मिलता है। इन्होंने प्लेटफार्म बेच दिये, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिये। ये सारा सामान बेचने वाले लोग, ये कह रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, अच्छे दिन लायेंगे। आप अच्छे दिन गरीबों के लाने वाले हो, ये गरीबों के साथ-साथ गरीबी का मजाक उड़ाना जानते हैं।

माननीय सभापति महोदय, काले कानूनों को निरस्त करने की जो लड़ाई हिन्दुस्तान के किसान ने लड़ी, उस लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं था, उस समय हमारी बलि ले रहे थे, आज ये हमारे खेत की बलि लेना चाहते हैं। जिन ताकतों ने इनके खिलाफ मुंह उठाया था, जो ताकतें इनके खिलाफ एकजुट हुई थीं, ये उन ताकतों को हतोत्साहित करना चाहते हैं।

(श्री बलवान पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की आठ करोड़ जनता देख रही है, देश के सात सौ करोड़ लोग देख रहे हैं कि ये किस तरीके से जनता के मुद्दों को डाइल्यूट करना चाहते हैं। मैं आज मेरे तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप बैठो, मैं अपने आप इनको सम्भाल लूंगा।

श्री सभापति: कृपया फ्रंट में नहीं आयें। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): आज अगर मैं बात करूं कोल्ड स्टोरेज की, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने की, आज मैं बात करूं कि देश का किसान किस तरीके से परेशान है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: गोविन्दजी, आप इनको ले जाओ हाउस को ऑर्डर में लाने के लिए ...(व्यवधान)।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ये मुझको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सदन की बैठक आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.52 बजे 16.22 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(16.22 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिये, अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सदस्य, विराजिये। प्लीज, अपनी-अपनी सीटों पर जायें। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। (व्यवधान) माननीय नेता, प्रतिपक्ष, अपने माननीय सदस्यों से कहें कि अपनी-अपनी सीटों पर जायें। माननीय सदस्य, मैं भी 1990 से इस सदन में आ रहा हूं। इस तरह का मर्यादाहीन आचरण मैंने आज तक कभी नहीं देखा। यह न केवल सदन के लिए दु:खद है, बल्कि राजस्थान की जो हमारी स्थापित परम्पराएं हैं, जिन्हें हमारे महान नेताओं ने स्थापित किया, उनका यदि इस तरह से ह्रास होगा तो यह सदन

(श्री सभापति)

हमेशा के लिए इस बात के लिए याद किया जायेगा कि जिस सदन की इतनी उच्च परम्पराएं रही हैं, उस सदन का यदि इस प्रकार का मर्यादाहीन आचरण रहा तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। (व्यवधान)

कृपया अपने स्थानों पर जायें। प्लीज सहयोग करें। विराजें आप। यह सदन आप लोगों से अपेक्षा करता है कि सदन में जिस मकसद से आप आये हैं, जिस मकसद से जनता ने आपको यहां भेजा है, कम से कम वह आचरण तो आप रखें। कृपया सहयोग करें, विराजिये। (व्यवधान) माननीय नेता, प्रतिपक्ष, कृपया सहयोग करें, विराजिये। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें, विराजें। कृपया अपनी सीटों पर जायें। (व्यवधान)

सदस्य का निलम्बन

माननीय सदस्य सर्वश्री (1) रामलाल शर्मा, (2) मदन दिलावर, (3) अविनाश गहलोत व (4) चन्द्रभान सिंह आक्या का सत्रांत तक के लिए निलम्बन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, आज प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया गया और जिस प्रकार से नियमों और कानूनों को तोड़कर वे मार-पीट पर उतारू हो गये, एक माननीय सदस्य, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें घेर लिया चारों तरफ से, इस तरह का व्यवहार करके उनके साथ धक्का-मुक्की करने की कोशिश की। जब उनकी समझाइश के लिए लोग गये तो उन्होंने उनके साथ भी धक्का-मुक्की की। यह बड़ा निंदनीय व्यवहार था। इस प्रकार का व्यवहार हमें कभी भी विधान सभा के पटल पर देखने को नहीं मिला। (व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए श्री बलवान पूनियां, सदस्य, राजस्थान विधान सभा अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। उस वक्त उनकी सीट के आगे उन्हें घेरकर बैनर लहराते हुए काफी कुछ गाली-गलौच भी की गयी, मां-बाप की बात भी की गयी। उन लोगों ने शोर-शराबा किया, नारेबाजी करते हुए उन्हें हर तरह से बाधित किया और इस तरह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

का दुर्व्यवहार किया उनके साथ जो कभी देखने को नहीं मिला। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन श्री रामलाल, श्री मदन दिलावर, श्री अविनाश गहलोत और श्री चन्द्रभान सिंह आक्या को इस पूरे सेशन के दौरान निलम्बित करे, यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया, उसे स्वीकृत किया जाये?

(स्वीकृत)

माननीय सदस्य, जिन लोगों का नाम माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने उल्लेखित किया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, कृपया सदन से बाहर जायें। सदन के शेष सत्र से उन्हें निलम्बित किया गया। कृपया सदन से बाहर जायें। प्लीज, सहयोग करें। (व्यवधान) श्री रामलाल जी, श्री मदन दिलावर, श्री आक्या जी, कृपया सहयोग करें। आप लोगों को सदन के शेष सत्र से निलम्बित किया गया है। कृपया आप सहयोग करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। अपनी सीट पर जाकर बात करें। (व्यवधान) अपनी सीट पर तो जायें, यहां से क्या सुनूंगा। प्लीज, अपनी सीटों पर जायें। (व्यवधान)

मैं पुन: उल्लेखित कर रहा हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर दिनांक 10.02.2022 को सदन द्वारा सहमति प्रकट की गयी है। श्री रामलाल, श्री मदन दिलावर, श्री अविनाश गहलोत और श्री चन्द्रभान सिंह आक्या को मैं सदन से निष्कासित करता हूं। (व्यवधान) चारों माननीय सदस्य सदन से बाहर चले जायें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया आप सभी अपनी सीटों पर जायें।

माननीय सदस्य श्री बलवान पूनियां।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं अपनी बात कंटीन्यू करना चाहता हूं। सभापति महोदय, देश का जब बजट आया, मैं जिक्र इस बात का कर रहा था कि केन्द्र सरकार ने न सिर्फ मनरेगा में, न सिर्फ खाद्य सब्सिडी में, न सिर्फ किसानों के उर्वरकों में, किसानों की

(श्री बलवान पूनियां)

एमएसपी पर खरीद करने में भी 11 हजार करोड़ की कटौती की। इससे हमारे खरीद केन्द्र, जो राजस्थान के गांव-गांव में स्थापित किये गये थे और देशभर में जो मण्डियां थीं, उन मण्डियों से खाद्यान्न नहीं खरीदे जायेंगे। किसान जो फसल पैदा करता है, उसको न खरीदना केन्द्र की सरकार ने तय कर लिया।

यह बात तो सही है कि काले कानूनों के खिलाफ लोगों ने लड़कर केन्द्र की सरकार को हराने का काम किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मनरेगा में, खाद्य सब्सिडी में, उर्वरकों में और फसल न खरीदने में बजट की कटौती की है उससे किसानी की कमर तोड़ने का काम किया है। आज भी 50 से लेकर 60 प्रतिशत लोग खेती पर डिपेंड हैं। देश के प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि जीरो बजट की खेती करो। इस देश में बीज नपुंसक हो गये, इस देश में खाद के दाम बढ़ गये, इस देश में पेस्टिसाइड के दाम बढ़ गये, यहां खरीद की कोई गारंटी नहीं तो किसान जीरो बजट पर खेती कैसे करेगा? आज देश के साथ-साथ मैं, प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करूंगा कि जितने भी किसानों के बिजली के कुए हैं उनकी आप पंजाब की तरह बिजली माफ करो ताकि केन्द्र सरकार को यह कहा जा सके कि राजस्थान के हिस्से में तो जो चीज थी वह कर दी, अब आप करिये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

कर्ज माफी की जो बात चल रही थी, ये बार-बार कर्ज माफी का कहते हैं पर राजस्थान में 14 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ के साथ ये कभी प्रस्ताव लेकर नहीं आये कि केन्द्रीय बैंक कर्ज माफी के लिए आगे आयेंगे। पिछली मनमोहन सिंह की सरकार में 76 हजार करोड़ के कर्ज माफ हुए जिससे किसानों के पूरे कर्जे माफ नहीं हुए। आज मैं मांग करता हूं कि केन्द्र की सरकार केन्द्रीय बैंकों का कर्जा माफ करे।

सभापति महोदय, चाहे केन्द्र की सरकार आंकड़े बताना बन्द कर दे, लेकिन आज भी प्रतिदिन 55 से लेकर 60 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केन्द्र की सरकार के आंकड़े छिपाने के बावजूद विभिन्न एजेंसियों ने यह तय किया कि देश में किसानों की आत्महत्या क्या है, उसमें एक सर्वे बता रहा है कि प्रतिदिन 55 से लेकर 60 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज दूसरी तरफ देखेंगे तो केन्द्र की सरकार मजदूर विरोधी बिल लेकर आयी। आज मजदूर पूरा का पूरा अडानी, अम्बानी और बड़ी कम्पनियों के मालिकों के गिरवी रखा गया, मजदूर के कोई अधिकार नहीं बचे।

(श्री बलवान पूनियां)

देश के संविधान की किताब यह बात कहती है कि व्यक्ति की गरिमा होगी लेकिन इस गरिमा को तार-तार करने का काम केन्द्र की सरकार और उसके कानून कर रहे हैं। देश में जिस तरीके का माहौल बनाने का काम केन्द्र की सरकार कर रही है उससे निश्चित तौर से देश में भाईचारे का खतरा है, देश में एकजुटता का खतरा है। जिस तरीके का संघीय ढांचा देश में था उसमें राज्यों को कमजोर करने का काम भारत की सरकार ने किया है। जिस तरीके से आडम्बर रचे गये, सरकारों को तोड़ने, सरकारों को गिराने, विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का काम करेंगे, उससे देश का लोकतंत्र कमजोर हुआ है। आज देश और दुनिया में जो हमें प्रतिष्ठा हिन्दुस्तान की आजादी के बाद मिली वह प्रतिष्ठा आज तार-तार होती नजर आ रही है और हमारी सम्प्रभुता खतरे में है।

सभापति महोदय, ये जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं, मैं पूरे सदन में यह बात कहना चाहता हूं कि 15 साल से परीक्षाओं में गड़बड़ हो रही है और इनके टाइम में जो भी परीक्षाएं हुईं उन परीक्षाओं में धांधली हुईं उनमें एक में भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज हुई तो किसी में चालान पेश नहीं हुआ, चालान पेश हुआ तो किसी में सज़ा नहीं हुई। इन्होंने कहीं पैरवी नहीं की। पांच साल भर्तियों को रोकने का काम किया इसीलिए इनकी सरकार को लोगों ने हरा दिया। आज ये चाहते नहीं हैं कि युवाओं को रोजगार मिले इसलिए ये भर्तियों को लम्बित करना चाहते हैं। इन्होंने यह तय कर लिया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिले। इस बात के लिए ये अटपटे नारे लगा रहे हैं, ये पता नहीं किस-किस टाइप की बात कर रहे हैं, पर आज देश में करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार करने का काम केन्द्र की सरकार ने किया है।

मैं समझता हूं कि जीएसटी लगने के बाद राज्यों की सरकारों की कोई हिम्मत ही नहीं बची कि वे अलग से कोई नई नीति तय कर ले। राज्यों की सरकारों के पास इतना कोई बजट नहीं बचा कि केन्द्र की सरकार अलग नीति लेकर आये और राज्य की सरकार अलग नीति लेकर आये। यह बात सही है कि जीएसटी के बाद जो राज्य का राज्यांश पेंडिंग था, उससे हमारी बहुत सारी योजनाएं कमजोर पड़ीं।

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन की बात अगर हम करें, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पानी जाने की जो बात की है उसमें 45 पैसे केन्द्र की सरकार आज के दिन दे रही है जबकि 55 पैसे राज्य सरकार के लगेंगे। राज्य

(श्री बलवान पूनियां)

की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, राज्य में जो एक गांव से दूसरे गांव की 10-10, 15-15 किलोमीटर और जैसलमेर-बाड़मेर में तो 150-150 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें पानी पहुंचाये तो कोई कैसे पहुंचाये। ऐसी परिस्थितियों में 60 हजार करोड़ रुपये में जो अंशदान केन्द्र की सरकार का हो सकता था वह अंशदान केन्द्र की सरकार ने दिया और केन्द्र की सरकार ने बहुत कम पैसे दिये हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं अगर कोरोना की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं तो कौनसे मुंह से ये लोग बात कर रहे हैं, कौनसे तीर केन्द्र की सरकार ने मार दिये? कोरोना आया तो लोगों से थाली पिटवायी, लोगों से ताली पिटवायी, लोगों से मोमबत्ती जलवायी और जब ट्रेन में गरीब को चढ़ाने की बारी आयी तो इन्होंने ट्रेन बन्द कर दी। जब गरीब की मदद की बात आयी तो इन्होंने लावारिस छोड़ दिया। ट्रेन के नीचे कटकर मजदूर मर गये, इनको शर्म नहीं आती और किस टाइप की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से स्वास्थ्य के बजट में कटौती की है, सभापति महोदय, ये तो पूरे देश में खड़े हो गये और कहने लग गये कि कोरोना की वैक्सीन आप लगवाओ। इससे पहले पोलियो की वैक्सीन, इससे पहले टीबी का टीकाकरण, खसरा का टीकाकरण सरकारों ने कराये, तब तो इन्होंने कोरोना वैक्सीन के लिए बजट दिया था। जिस तरीके से कोरोना में गरीब का मजाक बनाया गया, उसके मुंह का निवाला छीनने का काम किया, उसके रोजगार ठप हो गये, उसके काम नहीं बचे, उनकी प्रतिदिन की मजदूरी नहीं बची और केन्द्र की सरकार ने हाथ पर हाथ धरकर जनता की चिन्ता करनी बन्द कर दी थी। ऐसी परिस्थिति के अन्दर मैं कहना चाहता हूं कि ये जिस टाइप की बात कर रहे हैं इससे लग नहीं रहा है कि ये राजस्थान की सवा सात करोड़ जनता और राजस्थान के करोड़ों बेरोजगारों का भला करना चाहते हैं। ये चीजों को कुन्द आवाज में दबाना चाहते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि रोजगार पैदा हो, आज जरूरत इस बात की है कि सरकारी स्कूल पैदा हो।

सभापति महोदय, मैं बात करूं तो मैं आदिवासियों में गया था और आदिवासियों में ज्यादातर ये लोग जीते हैं। सभापति महोदय, मैं सराड़ा पंचायत समिति के कबीतीपुरा गांव में गया। वहां उस गांव में 70 घर थे, वहां छोटे-छोटे नौनिहाल बच्चे इकट्ठे हो गये। मैंने उन बच्चों से पूछा कि आपके

(श्री बलवान पूनियां)

स्कूल की कोई सरकारी चीज है क्या, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है। एक छोटा सामुदायिक भवन बना हुआ था और उसके दो गेट थे। मैंने कहा कि इसको स्कूल करने की मांग करेंगे। मैंने राजस्थान के मुख्य मंत्री से मांग की कि कबीतीपुरा में स्कूल खोलिये, तो उन्होंने दूसरे दिन आदेश कर दिये। इनके 15 एमएलए वहां से जीतकर आते हैं। आज भी वहां आदिवासियों के बच्चे भूखे हैं, आज भी आदिवासियों के बच्चे नंगे हैं। सभापति महोदय, आज भी आदिवासियों के लिए केन्द्र की सरकार ने जो बजट पास किया था उसमें से सिर्फ 30 परसेंट बजट खर्च हुआ है और 70 परसेंट बजट लैप्स हो गया। आज भी वहां डिस्पेंसरी नहीं है, आज भी वहां आदमी का वज़न 45 किलो है, आज भी वहां महिला सिर्फ 32 किलो, 35 किलो की है, वहां अभी भी बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है।

सभापति महोदय, हमें चिन्ता इस बात की करनी है कि शिक्षा गरीब तक कैसे पहुंचे, शिक्षा दबे-कुचले तक कैसे पहुंचे, उनको अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले। जिस तरीके की हक-हुकूक की बात हम कर रहे हैं, हम सदन में आते हैं, जनता से बात करके, जनता से राय करके, जनता के विचारों को मानकर, उनको समझाकर सदन में जीत कर आते हैं और सदन में आने के बाद जनता की आवाज को दबाने का जो काम करते हैं यह काम जनता के पक्ष का नहीं है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिये हैं कि हम हर उस व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करेंगे जो आखिरी पंक्ति में बैठा है, जो हिन्दुस्तान की सवा सौ करोड़ की जनता में आखिरी आदमी है। हम उसके न्याय की बात करेंगे, हम उसके अधिकार की बात करेंगे। हम उसके कपड़े पर, हम उसके चाल-चलन पर, हम उसके चेहरे पर, हम उसके हर मुद्दे पर बहस करने के बजाय हम उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे, हम उसकी शिक्षा की कामना करेंगे, हम उसके दोनों हाथों को रोजगार देने की बात करेंगे, हम उसके आने वाले भविष्य की बात करेंगे, तब यह राष्ट्र मजबूत होगा।

सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यह बात कर लेने से देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा कि कभी ये आये, कभी ये आये, कभी हम आये, नहीं, हम सब लोग आये थे लेकिन हमने आकर जनता के लिए किया क्या, यह इतिहास गवाह होगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री बलवान पूनियां)

आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात आपके बीच में लेकर आऊंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को कमजोर करने का काम किया है। जहां भी किसान को बीमा देना पड़ जाए वहां बीमा कम्पनी दादागीरी करती है और केन्द्र की सरकार उसकी फाइल को पकड़ती है। आज मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र के डेढ़ सौ करोड़ रुपये फसल बीमा के बाकी हैं। डेढ़ सौ करोड़ रुपये किसानों के खाते में आ गये लेकिन डेढ़ सौ करोड़ रुपये अभी भी बाकी हैं क्योंकि केन्द्र की सरकार ने उनकी फाइल को पकड़ लिया। सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से केन्द्र की सरकार ने संघ और राज्य के सम्बन्धों को खराब करने का प्रयास किया है, संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया है, कांस्टीट्यूशनल संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया है, उसके लिए हमें नये सिरे से सोचना होगा, हमें नये सिरे से बात करनी होगी।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ इंगित करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो व्यवस्था किसान के लिए जरूरत के रूप में करनी है, गांव-गांव में मण्डी हो, गांव-गांव में फूड प्रोसेसिंग की इकाई लगे, गांव-गांव में सहकारी समिति मजबूत हो लेकिन इन चीजों में केन्द्र की सरकार बजट कम कर रही है। मैं राज्य की सरकार से कहना चाहता हूं कि थोड़े दिनों में 23 तारीख को मुख्य मंत्री महोदय बजट पेश करेंगे, तो 23 तारीख को जिस दिन बजट पेश करें उस दिन बजट का ढांचा यह हो कि सरकारी स्कूल मजबूत होने चाहिए, सरकारी कालेज मजबूत होने चाहिए। गांव-गांव में जिस तरीके से कोरोना में 2020 में मण्डियां खोली थीं उस तरह से इस बार फिर रोडमैप लेकर आयें कि गांव-गांव में मण्डी खुलेगी और जहां किसान का अन्न पैदा होगा वहां एक-एक दाना केन्द्र की सरकार तुलवाये, इसके लिए राज्य सरकार तैयारी करे और जब राज्य सरकार तैयारी कर ले और केन्द्र की सरकार तौले नहीं तो हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ें, तब राजस्थान की जनता मजबूत होगी।

सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में एक मांग उठती है कि भारत में सबसे पहले सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन 1881 में रायल कमीशन की अनुशंसा पर शुरू की गयी थी। भाजपा की सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुशंसा पर सन् 2004 में सरकारी पेंशन खतम कर दी गयी है। सभापति महोदय, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको इन पर गुस्सा क्यों आता है, किस-किस बात पर इनको

(श्री बलवान पूनियां)

माफी दें? सरकारी पेंशन, जो 1881 से अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई थी, इन्होंने आकर के बन्द की। इन्होंने देश को सब्जबाग यह दिखाया कि हम अच्छे दिन लायेंगे, न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया की बात की, पर सबसे पहले जो कुठाराघात इन्होंने किया, जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटकर राज में आने वाले लोग, 1881 से पेंशन शुरू की, उस पेंशन को 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खतम किया। ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर आज हजारों-हजार लोग, हजारों-लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं और कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन की मांग करो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की 2004 के बाद नियुक्त दो महिलाएं रिटायर हुई हैं। एक की पेंशन 600 रुपये और एक की पेंशन 735 रुपये हुई है। इनके सिलेंडर का भाव एक हजार रुपये है। घर पर सिलेंडर भी नहीं ला पायेगा, बुढ़ापे में जीवन की लाठी कैसे चलायेगा।

सभापति महोदय, ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। आज हम राज्यपाल के अभिभाषण पर इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आज राज्य कमजोर हुए हैं जीएसटी के बाद। आज राज्यों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह अपना खुला फैसला अलग से कर ले। ये जीएसटी के खिलाफ हुआ करते थे, ये उसी जीएसटी के पक्ष में हो गये और कठोर कानून बनाकर जीएसटी को लेकर आये हैं।

मैं बात करना चाहता हूं 1991 में जब देश के प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव थे और इस देश में नव-उदारीकरण की नीति आयी तो सबसे पहले धोती फाड़कर बोले थे आडवाणी जी कि नीतियां हम लायेंगे। उसके बाद जो भी सरकारें आईं, नव-उदारवाद की थोड़ी-थोड़ी नीतियों को लागू किया लेकिन ये ज्यों ही राज में आये, इन्होंने उन नीतियों को इतनी तेजी से लागू किया कि अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ी है। अमीरों की संख्या बढ़ी है, लेकिन गरीब और तेजी से गरीब हुआ है। यह जो फासला करने का काम किया अमीर और गरीब के बीच, ये संविधान विरोधी कदम है। संविधान में समाजवादी जो शब्द है, उस पर यह चोट है।

समाजवाद की जब बात आती है तो इनके चिंगारी लगती है। वह चिंगारी इसलिए लगती है क्योंकि समाजवाद के विरोधी हैं। ये धर्म-निरपेक्षता के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते हैं कि देश में सारे लोग एकजुट हो करके रहें,

(श्री बलवान पूनियां)

इसलिए बात सीधे पाकिस्तान की करते हैं। 1947 में पार्टिशन हो गया था, हिन्दुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, ये शब्द-शब्द पर पाकिस्तान की धमकी देते हैं। जहां भी, जिस भी राज्य में चुनाव आते हैं, ये लोगों को पाकिस्तान से डराते हैं। जिस पाकिस्तान की हिन्दुस्तान के सवा सौ करोड़ लोगों के सामने कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं, उस पाकिस्तान के नाम पर डराने का काम करते हैं।

सभापति महोदय, ये गैलेरी में आकर हमें क्या डरा देंगे? ये खुद डरे हुए लोग हैं। इनको रात को सपने आते हैं और ये सपने में चमकचमक के धरती पर नीचे पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास अडानी और अम्बानी के अलावा कुछ नहीं है। मैं पिछले डेढ़ घंटे से यह बात सुन रहा हूं, इनके पास कोई नारा नहीं है, कोई समझ नहीं है। इनके पास कोई बात नहीं है, उलटा और तो और ये इतने अनपढ़ हैं, ये कागज भी ढंग से पकड़ना नहीं जानते हैं, कहीं से उलटा पकड़ रहे हैं, कहीं से पुलटा पकड़ रहे हैं। इसलिए इन लोगों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं राजस्थान की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इनके दबाव में आकर के आपने रीट कैंसिल की, इनके दबाव में आने की जरूरत नहीं थी, एसओजी की जांच का दायरा बढ़ाओ। किरोड़ी लाल मीना को हर बात का कैसे पता है, इस बात को पता करें। मुझे तो इस बात पर शक हो रहा है कि किरोड़ी लाल कहता है कि फलां का सम्पर्क है, फलां का सम्पर्क है। किरोड़ी जी, आपको सपने आते हैं रात में, जो आपको सारी बात का पता है। एसओजी का दायरा बढ़ाओ। मेरी सदन में पुरज़ोर मांग है, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, सीबीआई को कोई जांच नहीं देनी, राजस्थान की संस्थाओं को मजबूत करें। यहां जो भी दलाली करता है, उसको पकड़ो और जेल के सीख़चों के भीतर डालो, अधिकतर इनके रिश्तेदार मिलेंगे, अधिकतर इनके मित्र मिलेंगे।

मैं आज कह रहा हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो खाद्य सुरक्षा में चोरी करते हैं, जो ठेकेदारी में चोरी करते थे, वे सब इनके मित्र थे। मैंने इन सबको सस्पेंड करवा दिया। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रशासन गांवों के संग के कैम्प में गया, मैं 28 पंचायतों में गया, शहर में 9 वार्डों में गया, कहीं भी खाद्य सुरक्षा में कोई शिकायत नहीं मिली, क्योंकि इनके 5 आदमियों को मैंने सस्पेंड कर दिया था।

(श्री बलवान पूनियां)

मैं राजस्थान के सवा 7 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूं, खतरा इन्हीं से है। इनसे बच जाओ, समझ लें सारी बीमारियों से बच गये, समझ लें आपने कोरोना की वैक्सीन ही ले ली, असली कोरोना ये ही हैं, इस असली कोरोना से बच जाओ। मैं प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं 20 हजार स्कूल बन्द करने वाले लोग, तुम्हें रीट में बैठाना थोड़े ही चाहते हैं। 20 हजार स्कूल बन्द करने का मतलब यह था, 1 लाख नौकरियां खतम करना। ये तुम्हें रीट में बैठाना नहीं चाहते हैं, ये तुम्हे रगड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कैसे इस मुद्दे को विलोपित किया जाये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक साल में 16 हजार नामांकन बढ़ा है, 13 स्कूल क्रमोन्नत हुए, भर्तियों में नियुक्ति मिली छोरों को, फर्स्ट ग्रेड, सैकण्ड ग्रेड, प्रिंसिपल के पद भरे। 1 साल में 16 हजार नामांकन बढ़ा। जहां-जहां नामांकन बढ़ेगा, वहां पद बढ़ेंगे, वहां बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। इन्होंने 20 हजार स्कूल बन्द किये थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 117 स्कूल बन्द किये थे। मैं संदेश देना चाहता हूं नौजवानों को, दोस्त और दुश्मन की पहचान करो, पहचान करके राजनीति को आगे बढ़ाओ, असली कोरोना ये ही हैं। +++ कुछ नहीं बचा जनाब, देश के लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में हैं, मजदूर की मजदूरी खतरे में है, किसान की किसानी खतरे में है, कर्मचारी का कर्मचारीपना खतम है। ऐसी परिस्थिति के अन्दर आज किसानों ने जो रास्ता दिखाया और मैं तो यह कह रहा हूं कि मोदी जी ने ये नीतियां लागू की हैं, ये नीतियां कौन लागू करेगा, बचेगा नहीं। हमारी पार्टी की बंगाल में सरकार थी, जबरदस्ती एक उद्योग लगाने की कोशिश की, दुबारा सरकार में नहीं आये। मैं कहना चाहता हूं अगर किसान, मजदूर और जनता के खिलाफ कोई नीति बनायेगा, वह बचेगा नहीं।

मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जिस तरीके से पिछले तीन बजट लेकर आये, इस बजट में भी जोरदार तरीके से प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने का काम करेंगे। इन्दिरा गांधी नहर से, जो आजादी के समय और आजादी के बाद इस प्रदेश में और इस देश में अस्तित्व में आयी, डैम बने, इन्दिरा गांधी नहर आयी, आज उसका पानी बाड़मेर तक की जनता पी रही है। हमारे प्रथम और द्वितीय चरण में लाखों टन अन्न उत्पादन होता, उस इन्दिरा गांधी नहर के पुनरुद्धार की कार्यवाही चल रही है।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं मेरे इलाके और धोद के एमएलए साहब के 14-14, 28 गांव अभी बारानी हैं, हम उनको पानी दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इलाका उपजाऊ है, हमारा इलाका बढ़िया अन्न पैदा कर सकता है। हम डैम और हैड के नजदीक हैं, हमारे यहां बजट कम लगेगा, लेकिन यह मांग सिर्फ हमारे इलाके की नहीं है। आज प्रदेश भर की जनता मांग कर रही है कि यमुना का पानी हमें मिले, ईस्टर्न कैनाल का पानी हमें मिले, लेकिन ईस्टर्न कैनाल पर ये भाईसाहब कुछ नहीं बोलेंगे। इनके 25 एमपी हैं, केन्द्र में एक शब्द नहीं बोलेंगे पच्चीस के पच्चीस, दुम दबाये बैठे हैं। मोदी जी कह दें, बैठना तो बैठ जायेंगे। मोदी जी कह दें, उठना तो उठ जायेंगे।

अभी कटारिया जी अपनी बात से कैसे पलटे हैं, पता है। कटारिया जी, जो इस सदन के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, अपनी बात से कैसे पलटे हैं। दिल्ली से करंट लगा है दिल्ली से, आपको पता भी है या नहीं है, मुझे पता है दिल्ली से करंट लगा है। कटारिया जी जैसे आदमी, 40 साल का अनुभव रखने वाले आदमी, अपनी बात से पलट जायें, इसका मतलब राजस्थान कमजोर है। कटारिया जी, कुछ तो शर्म करें। आप हमारे वालिद जैसे हो, हमारे पिता के समान हो। आप अपनी राजनीति से पलट गये। राठौड़ साहब को तो मुख्य मंत्री बनना होगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राठौड़ साहब, बारी आपकी भी नहीं आयेगी, क्योंकि आज वसुन्धरा जी वाला गुट यहां है ही नहीं, आप एकजुट ही नहीं हो, आपकी बारी कैसे आयेगी। वैसे राठौड़ साहब और हम एक ही इलाके से आते हैं। अब की बार मैं चूरू से चुनाव लड़ूंगा साहब, राठौड़ साहब को आने नहीं दूंगा, आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वहां राठौड़ साहब को हम सलटाएंगे। साहब, वह अलग बात है। चुनाव कौन कहां से लड़े लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भी प्रदेश में, आज भी देश में दलितों के साथ ठीक नहीं हो रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाये संविधान के अनुसार आज भी, सभापति महोदय, दलितों को घोड़ी से नीचे उतारना, दलितों पर जुल्म करना और उस जुल्म के साथ जिस सामंतवाद की बू आ रही है, थोड़ा-सा उसको ठीक करो। उसके पीछे भी जांच अगर ढंग से करवा लोगे तो भाई साहब, यहीं नहीं बचेंगे। यह भाई साहब ही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह देश आगे तभी बढ़ेगा, जब देश के

(श्री बलवान पूनियां)

अन्दर कोई भेदभाव नहीं बचेगा। इस देश के अन्दर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए इस कांस्टीट्यूशन की कदर होगी, इस कांस्टीट्यूशन के प्रिएम्बल के एक-एक शब्द की व्याख्या मजबूत होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस देश का सबसे बड़े क्षेत्रफल का राज्य है राजस्थान तब आगे बढ़ेगा जब इस प्रदेश में तेजी से दलितों के साथ अन्याय होना बंद होगा।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जातियों की बात से आगे निकलकर के अगर गरीब की बात की जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना में कह तो यह रहे हैं कि हम गरीब को मकान देंगे, लेकिन मैं राजस्थान के उस इलाके से आ रहा हूं जहां गरीब की थोड़ी-थोड़ी जमीन है मेरे इलाके में। उस गरीब को, केसीसी भी बनायी हुई है चार-पांच बीघे में, एक भी मकान नहीं मिलता जिसने केसीसी बनाई हुई है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम गरीब को मकान देंगे और दूसरी तरफ शर्त लगा दी कि गरीब कोई मकान नहीं ले सकता अगर उसने केसीसी बनायी हुई है। यह क्या उम्मीद करते हैं कि गरीब भूमिहीन हो? एक तरफ तो मांग कर रहे हैं कि गरीब को भी जमीन दो, गरीब को जमीन देनी चाहिए और दूसरी तरफ जिस गरीब ने जमीन पर केसीसी बना ली उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, मैं आप सब साथियों को यह बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर एक सबसे बड़ी और देश के अन्दर सबसे बड़ी चीज चल रही है, आज आवश्यकता की मुख्य चीज है वह है बिजली, उस बिजली में जिस तरीके से दिक्कतें आज प्रदेश की जनता के सामने आ रही हैं, उन दिक्कतों का समाधान करने की जरूरत है। मैं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री से कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी के राज में हो रहा था बिजली में, वह आपके राज में भी हो रहा है अन्य देय के नाम पर, फ्यूल चार्ज के नाम पर। प्रदेश की जनता राज्यपाल के अभिभाषण में सुनना चाहती थी कि घरेलू बिजली के दाम भी घटेंगे इसलिए आप 23 तारीख को आने वाले मुख्य मंत्री जी के बजट में प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करेंगे। पार्ट-2 करने के लिए सबसे बड़ा कदम है। किसान की बिजली फ्री हो और घरेलू बिजली में आपको दाम कम करने हैं, फिर देखते हैं कि पार्ट-2 से रोकता कौन है। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह तो अब से कम हो जायेंगे। यह जिस तरह से लो लेवल की बातें कर रहे हैं, आप तो चिन्ता ही छोड़ो इनकी।

(श्री बलवान पूनियां)

मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की कर्ज माफी पर सदन में कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, बीटीपी, अन्य निर्दलीय सारे लोग एकजुट होंगे मेरे ख्याल से, अगर एकजुट नहीं हैं और केन्द्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजते तो फिर कर्ज माफी की बात नहीं करें। सहकारी समिति में जो कर्जे माफ हुए उसके बाद कामर्शियल बैंक्स के जो कर्जे बचे हुए हैं, उसके लिए सदन में यह प्रस्ताव मैं लेकर के आता हूं और मैं दस्तखत करवा लूंगा, जिस तरीके से मुख्य मंत्री जी ने 5 करोड़ रुपये किये हैं एमएलए लैड के, उसी तरीके से सारे लोग बड़ा दिल रखते हुए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवायेंगे कि सारे किसानों का कर्जा माफ कामर्शियल बैंकों का भारत सरकार करे और 90:10 की स्कीम जिस तरीके से बैंकों में सेटलमेंट की प्रस्तावित की गयी है, इस स्कीम को आगे बढ़ाने का काम करें।

आज प्रदेश का किसान खुशहाल होगा, प्रदेश का नौजवान खुशहाल होगा, उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा।

मैं एक तो मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक की बात की थी। मौहल्ला क्लिनिक कितना धरातल पर आया है, यह तो शायद उस दिन वह बात पेश करेंगे लेकिन कई जगह खुले हैं। कोरोना में जो सरकारी हॉस्पिटल्स की स्थिति ठीक हुई है, मैं कहता हूं कि मोहल्ला क्लिनिक और ठीक करने की जरूरत है। मौहल्ला क्लीनिक मजबूत होगा तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो लोग सयाने होंगे, लोग सयाने होंगे तो पढेंगे और लोग पढ़ेंगे तो फिर बीजेपी में नहीं रहेंगे। जहां लोग पढ़ लेंगे वह लोग फिर बीजेपी में नहीं रहेंगे। एक बार संसदीय मंत्री जी, केरल में बीजेपी का एक एमएलए जीत गया तो वहां पत्रकारों ने पूछा केरल के मुख्य मंत्री से कि, यह बीजेपी का आदमी कैसे जीत गया, तो उसने माफी मांगी और यह कहा कि जिस इलाके में बीजेपी जीती है वहां जरूर हमारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर रही है, भविष्य में शिक्षा व्यवस्था वहां मजबूत करेंगे। अगले चुनाव में बीजेपी का खाता ही नहीं खुला। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों में इनके 15 आदमी जीते हुए हैं। आप तो सौ स्कूल खोल दो यह कभी नहीं जीतेंगे। गिन कर सौ स्कूल खोल दो। एक तो मैं खुलवा कर आया हूं मुख्यमंत्री जी से मांग करके, 99 और खोलने हैं। डोटासरा जी, 99 आप खुलवा दो, यह नहीं जीतेंगे फिर। जहां शिक्षा आ गई यह बावलापन नहीं बचता फिर। आपने कभी भी किसी भी सदन में, आप तो 5-

(श्री बलवान पूनियां)

5,7-7 बार जीत कर आये हो, नारे लगते हुए देखे होंगे, आवाज सुनी होगी, धरना-प्रदर्शन देखा होगा, यह रोआकूटा देखा है क्या कभी? किसी सदन में यह रोआकूटा होता है क्या? यह क्या मांग कर रहे हैं, इनको खुद को नहीं पता। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जहां-जहां यह भाई जीत कर आ रहे हैं वहां-वहां स्कूलों को मजबूत करने का काम करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, मैं मेरी एक बात और कहना चाहता हूं बहुत जरूरी। राजस्थान में जब कोरोना का संकट आया था तो कोरोना संकट के समय ज्यों ही मुख्य मंत्री जी ने डेढ़-डेढ़ हजार रुपये दिये, दो-दो हजार रुपये दिये शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी का संकट आया तो हाथों-हाथ नरेगा शुरू की, उस नरेगा में भारत की सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये कम किये हैं। 25 हजार करोड़ रुपये कम करने का मतलब यह है कि नरेगा का दम घोंटना चाहते हैं यह। राजस्थान की सरकार को नरेगा पर ध्यान देना है और नरेगा के तहत गांव में हो रहे विकास के काम और नरेगा के तहत श्रमिकों को मिल रही मजदूरी की हम सबको मिलकर के हिफाजत करनी है। अगर हम नरेगा की हिफाजत नहीं कर पायेंगे, अगर हम किसान की हिफाजत नहीं कर पायेंगे तो यह अडानी और अम्बानी को देश बेच देंगे। यह पीछे नहीं हटेंगे। इनको शर्म भी नहीं आती इस मसले पर, यह और है। अडानी-अम्बानी का नाम लेकर कुछ भी कह दो शंका नहीं होती इनको, क्योंकि यह काम उसी के लगे हुए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देश की जनता ने अपने एक-एक खून-पसीने की कमाई से पैसे दिये, राजस्व दिया, उससे रेल आयी, उससे तेल की कंपनियां बनीं, उससे हवाई जहाज के एयरपोर्ट बने, उससे हमारे पोस्ट आफिसेज खुले, उससे हमारे बड़े-बड़े संस्थान बने, उससे हमारे नवरत्न बने, इस्पात का कारखाना, सीमेंट का कारखाना, लोहे का कारखाना, स्टील का कारखाना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, बेटी के बापों ने सारे बेच दिये। सारा सामान बेच दिया। अब एक ही काम में लगे रहते हैं कि, साहब, 2022 वाली बात तो गयी, आमदनी दुगुनी होने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि 2047 में आमदनी दुगुनी होगी। 2047, यानी मुझे अचम्भा हो रहा है कि एक देश का प्रधान मंत्री ऐसे पलटी कैसे मार सकता है। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर इसलिए देश के प्रधान मंत्री का जिक्र कर रहा हूं कि मैं हिन्दुस्तान के इस संविधान की छाया में जी रहा हूं। मैं हिन्दुस्तान के इन

(श्री बलवान पूनियां)

पांच लाइनों की छाया में जी रहा हूं इसलिये मैं महसूस कर रहा हूं कि अगर मेरा देश कमजोर होगा, मेरा संविधान कमजोर होगा तो राजस्थान आगे कितने दिन बढ़ेगा।

सभापति महोदय, एक बात नरेगा की बीच में रह गयी। नरेगा में जब काम पर मजदूर जाते हैं तो उन मजदूरों का एक रखवाला होता है, उसको मेट बोलते हैं, उस मेट के पैसे पिछले 2 साल से नहीं आ रहे हैं। केन्द्र की सरकार मेट के पैसे नहीं दे रही है, यानी जो उनका हैडमास्टर है, 40 का एक मस्टररोल है, उसमें 40 मजदूर लगते हैं। मजदूर की मजदूरी तो अभी आ रही है लेकिन मेट के पैसे नहीं आ रहे हैं। मेटों का एक डेलिगेशन आया कि, साहब, हमें पैसा नहीं मिला। मैंने पूछा कितने दिन से नहीं मिला, तो वह बोले कि 2 साल से नहीं मिला।

सभापति महोदय, मुझे तो लग रहा है कि यह 25 हजार करोड़ रुपये इस बजट में कम रखे हैं, तो अगली बार मजदूरों का पैसा भी नहीं देंगे।

श्री सभापतिः सदन की बैठक दिनांक 11 फरवरी 2022 के प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.00 बजे शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

सरकारी भर्ती में अन्य प्रदेशों के युवाओं पर रोक

1. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में बाहरी प्रदेशों के युवाओं को भी नौकरी दी जाती है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों की तर्ज पर सरकारी नौकरी में बाहरी प्रदेशों के युवाओं को नौकरी देने पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाहरी प्रदेशों के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोटा व बून्दी जिले के विद्यालयों में रिक्त पद

2. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

कोटा व बून्दी जिले के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद, कब-कब से, किस-किस के स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने-कितने पद, कब-कब से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को विभाग द्वारा भरने की क्या कार्ययोजना है? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कोटा व बून्दी जिले में स्थित उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद, किस-किस के स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त चल रहे हैं, की सूचना परिशिष्ट-क-1 एवं परिशिष्ट-क-2 पर तथा रिक्त पदों को विभाग द्वारा

(शिक्षा मंत्री)

भरने की कार्ययोजना का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है। कोटा व बून्दी जिले में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद, कब से, किस-किस के स्वीकृत हैं, की सूचना संकलित किया जाना श्रम साध्य तथा समय लगने का कार्य होने के कारण तैयार किया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि नवीन विद्यालय खुलने, विद्यालय के क्रमोन्नत होने, विद्यालय में नवीन संकाय खुलने, स्टाफिंग पैटर्न में नामांकन के आधार पर आवश्यकतानुसार तत्समय ही पद स्वीकृत होते हैं।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जवाई बांध (पाली) के पुनर्भरण की कार्ययोजना

5. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जिला पाली के जवाई बांध पुनर्भरण कार्ययोजना पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) वर्तमान में उक्त योजना की क्या प्रगति है एवं इसका अंतिम प्रारूप कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

(3) क्या सरकार उक्त कार्य को शीघ्र करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जवाई बांध पुनर्भरण कार्ययोजना पर अब तक की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) संशोधित प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट (PFR) के अनुसार अन्तरराज्यीय परिप्रेक्ष्य संबंधी रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग के पास विचाराधीन है, अन्तरराज्यीय परिप्रेक्ष्य संबंधी रिपोर्ट के अनुमोदन उपरांत ही अंतिम प्रारूप संबंधी कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है।

(3) परियोजना की अन्तरराज्यीय परिप्रेक्ष्य में क्लीयरेन्स एवं केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति उपरांत संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य प्रारम्भ करने संबंधित कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का बीमा

6. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2021-22 में सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का जीवन बीमा करने के लिए किस कम्पनी से करार किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी ने करार बीच में ही तोड़ दिया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2021-22 में सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों का जीवन बीमा करने के लिए मै. श्रीराम लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी से करार किया गया था।

(2) जी हां। वर्ष 2021-22 हेतु योजना की क्रियान्विति हेतु निष्पादित समझौता ज्ञापन की शर्त संख्या Section-III के बिन्दु संख्या 2 की शर्त के अधीन कम्पनी ने तीन माह का अग्रिम नोटिस देकर करार समाप्त कर दिया है।

कोटा सम्भाग में ओलावृष्टि से नष्ट फसल का मुआवजा

7. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा कोटा सम्भाग में मावठ की बारिश व ओलावृष्टि से रबी की नष्ट हुई फसल का सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम का सर्वे कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्ष 2021-22 में मावठ की बारिश व ओलावृष्टि से नष्ट फसल का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रबी फसल संवत् 2078 (वर्ष 2021-22) में बोई गई फसलों में पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि से नुकसान की आवश्यकतानुसार विशेष गिरदावरी करवाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। बारां, बूंदी, झालावाड़ एवं कोटा जिले में सर्वे किये गये गांवों की जिलेवार सूची क्रमश: परिशिष्ट "अ", "ब", "स" व "द" पर संलग्न है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

(2) रबी फसल संवत् 2078 (वर्ष 2021-22) की गिरदावरी का कार्य प्रक्रियाधीन है। पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि से गिरदावरी रिपोर्ट में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा प्राप्त होने पर प्रभावित पात्र कृषकों को एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार कृषि आदान-अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जैतारण मुख्यालय पर खेल एकेडमी की स्थापना

9. श्री अविनाश (जैतारण): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में खेल एकेडमी स्वीकृत करने का विचार रखती है?

(2) सरकार को विगत तीन वर्षों में खेल एकेडमी निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जैतारण मुख्यालय पर भी खेल एकेडमी निर्माण का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति कब तक जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में स्वीकृत खेल एकेडमी की सूचना परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विगत 3 वर्षों में खेल एकेडमी निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विधान सभा क्षेत्र जैतारण जिला पाली में हाकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के साथ एकेडमी भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जैतारण जिला पाली में हाकी एस्ट्रोटर्फ का स्टेडियम व एकेडमी निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके क्रम में भारत सरकार की खेलो इंडिया योजनान्तर्गत हाकी एस्ट्रोटर्फ निर्माण हेतु राशि रुपये 5.50 करोड़, व अकादमी भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 2.50 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रुपये 8.00 करोड़ के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं जिसे भारत सरकार को दिनांक 07.01.2021 को भिजवाये गये। भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

राज्य सरकार के स्तर पर वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर एकेडमी निर्माण का विचार किया जाता है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

रेवदर में घरेलू एवं कृषि कनेक्शन के लम्बित प्रकरण

10. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के घरेलू, व्यावसायिक एवं कृषि विद्युत कनेक्शनों के आवेदकों से डिमाण्ड राशि जमा के उपरान्त भी विगत तीन वर्षों से विद्युत मेटेरियल एवं अन्य कमियां बताकर कनेक्शन जारी नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो विद्युत कार्यालय में उक्त लम्बित प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक लम्बित प्रकरणों की जांच करवाकर शीघ्र विद्युत कनेक्शन जारी करने एवं जिम्मेदार अभियंताओं, कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रेवदर में विद्युत सामग्री की वजह से किसी भी श्रेणी का विद्युत कनेक्शन लम्बित नहीं है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में उपभोक्ता द्वारा आवेदन करने पर निगम नियमानुसार मांग पत्र जारी कर उपभोक्ता द्वारा मांग पत्र राशि जमा करवाने के पश्चात वरीयता अनुसार सतत प्रक्रिया के तहत विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 (माह जनवरी 2022 तक) में घरेलू, अघरेलू व कृषि श्रेणी में जमा मांग पत्र वाले आवेदनों की संख्या व उनके सापेक्ष में जारी कनेक्शनों की संख्या व शेष लम्बित मांग पत्र जमा वाले आवेदनों की संख्या का श्रेणीवार, उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है तथा माह जनवरी, 2022 के अन्त तक मांग पत्र जमा वाले शेष लम्बित आवेदनों का उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उपभोक्ता द्वारा आवेदन करने पर निगम नियमानुसार मांग पत्र जारी कर उपभोक्ता द्वारा मांग पत्र राशि जमा करवाने के पश्चात सतत प्रक्रिया के तहत वरीयता अनुसार विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। निगम नियमानुसार वरीयता अनुसार कनेक्शन जारी होने के कारण कोई भी प्रकरण जांच हेतु लम्बित नहीं है। अत: किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अनूपगढ़ व घड़साना में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

11. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार अनूपगढ़ व घड़साना में कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार की बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायत समिति मुख्यालय पर बालिका महाविद्यालय खोले जाने की कार्ययोजना है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के सेठ बिहारी लाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में अनूपगढ़ व घड़साना में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में अनूपगढ़ में निजी क्षेत्र में 4 सहशिक्षा एवं 01 कन्या महाविद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

घडसाना में वर्तमान में निजी क्षेत्र में 06 सहशिक्षा व 02 कन्या महाविदयालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायत समिति मुख्यालय पर बालिका महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

विचाराधीन नहीं है। नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाना राज्य सरकार की सतत प्रक्रिया एवं नीतिगत निर्णय है।

(3) वर्तमान में अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सेठ बिहारी लाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बैड़वास ग्राम पंचायत (उदयपुर ग्रामीण) के संस्कृत विद्यालय का भवन

13. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बैड़वास में संचालित संस्कृत प्राथमिक विद्यालय बंद हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन को स्वास्थ्य विभाग के लिए उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उदयपुर ग्रामीण में ग्राम पंचायत बैड़वास में संस्कृत शिक्षा विभाग का राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बैड़वास खोला गया था। संस्था को अस्थायी रूप से संचालन हेतु जर्जर भवन का एक कक्ष तत्कालीन ग्राम सरपंच द्वारा बिना औपचारिक अधिकार पत्र, मौखिक निर्देश से पूर्णतया अस्थायी तौर पर भविष्य मे उपर्युक्त विद्यालय संचालन की प्रत्याशा में उपलब्ध कराया गया था। प्रयासों के बावजूद छात्र संख्या के अभाव में विद्यालय संचालित नहीं हो पाया। विद्यालय बंद है। उक्त विद्यालय के स्वामित्व का कोई भूमि भवन नहीं है।

जयपुर की द्रव्यवती नदी परियोजना

14. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट द्रव्यवती नदी का कार्य कब प्रारम्भ हुआ तथा उक्त का कार्य कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था? उक्त

(श्री सतीश पूनियां)

परियोजना की कुल कितनी लागत आंकी गई थी तथा उसमें से किन-किन कार्यों पर अब तक कितना-कितना व्यय किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परियोजना की देखरेख के अभाव एवं प्रभावी मानिटरिंग नहीं होने के कारण उक्त के पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार उक्त परियोजना के शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) द्रव्यवती नदी परियोजना का कार्य दिनांक 01.08.2016 को प्रारम्भ किया गया था तथा पूर्ण करने की तिथि 10.10.2018 थी। परियोजना की कुल लागत राशि रु.1470.85 करोड़ व 10 वर्ष का रख-रखाव हेतु रु. 206.08 करोड़ सम्मिलित करते हुए कुल रु1676.93 करोड़ आंकी गई थी। परियोजना कार्यो पर अब तक रु. 1413.06 करोड़ का व्यय किया गया है। जिन-जिन कार्यो पर व्यय किया गया है, उसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। परियोजना कार्यों में विलम्ब का प्रमुख कारण हसनपुरा क्षेत्र जो नगर निगम हैरिटेज, जयपुर के क्षेत्राधिकार में है, में लगभग 700 मीटर लम्बाई में जन प्रतिरोध एवं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण चैनल के दोनों ओर के विकास कार्य बाधित हैं। नदी के इस भाग में चैनल निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

अन्य तीन स्थानों पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश के कारण लगभग 650 मीटर लम्बाई में कार्य प्रभावित है।

ग्राम गोनेर के पास किसानों द्वारा भूमि के मुआवजे की मांग के कारण लगभग 2 किमी. में कार्य बाधित है। भूमि मुआवजे संबंधी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

(3) वर्तमान में परियोजना का लगभग 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में निर्णय होने के उपरान्त शीघ्र अतिशीघ्र शेष कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा एवं स्थगन आदेश से प्रभावित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी हेतु महाधिवक्ता राजस्थान की नियुक्ति की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहकारी संस्थाओं के चुनाव

16. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में किस-किस श्रेणी की कितनी-कितनी सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाओं के अंतिम चुनाव कब-कब हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं उनके चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न श्रेणी की माह दिसम्बर, 2021 तक कुल 37,642 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जिनमें से कुल 22,103 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों के श्रेणीवार सम्पन्न अन्तिम निर्वाचनों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन एक सतत प्रक्रिया है। मानव संसाधन की उपलब्धता, सहकारी संस्था का प्रकार, कार्यक्षेत्र, सदस्य संख्या व उनके उपनियमों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन से शेष रही सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन वर्तमान में कोविड महामारी (ओमिक्रान) की परिस्थितियों के सामान्य होने पर शीघ्र ही करवाये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अजमेर उत्तर में संचालित कौशल विकास केन्द्र

18. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में कौशल विकास केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? उक्त केन्द्रों पर विगत तीन वर्षों में अब तक कितने

(श्री वासुदेव देवनानी)

लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षित लाभार्थियों में से कितनों को रोजगार प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना निजी कम्पनियों व एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जा रही है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त के संचालन का दायित्व किसके पास है व उसका कार्यक्षेत्र क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में कौशल विकास केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान में कुल 63 कौशल विकास केन्द्र क्रियाशील हैं। सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) कौशल विकास केन्द्र का संचालन विधान सभा क्षेत्रवार नहीं किया जाकर जिलेवार संचालित किये जाते हैं। वर्तमान मे अजमेर जिले में कोई कौशल विकास केन्द्र क्रियाशील नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान अजमेर जिले में योजनावार प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

गत तीन वर्षो में अब तक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा 3594 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षित लाभार्थियों में से 526 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गये है। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रशिक्षित अभ्यर्थी	रोजगार प्राप्त
2019-20	2466	457
2020-21	452	69
2021-22	676	0
योग	**3594**	**526**

शेष प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। उक्त योजनाएं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा चयनित निजी कम्पनियां/एजेंसियों (प्रशिक्षण प्रदाता) के माध्यम से संचालित की जाती हैं, जिसका कार्यक्षेत्र प्रशिक्षण हेतु आबंटित जिला है।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

वर्तमान में अजमेर जिले में कोई कौशल विकास केन्द्र क्रियाशील नहीं है।

गत तीन वर्षों के दौरान अजमेर जिले में योजनावार संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कृषि विद्युत वितरण कम्पनी का गठन

19. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सही है कि सरकार ने वर्ष 2021-22 में खेती हेतु पर्याप्त बिजली उपलब्धता, बिजली खरीद के पारदर्शिता व अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए कृषि विद्युत वितरण कंपनी की घोषणा की है? यदि हां, तो कृषि विद्युत वितरण कंपनी ने कब से कार्य करना प्रारम्भ किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 तक सभी जिलों में 2 ब्लाक में कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति किये जाने की बजटीय घोषणा की है? यदि हां, तो 31 जनवरी, 2022 तक कितने जिलों में किसानों को 2 ब्लाक में विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि किसानों को 2 ब्लाक में विद्युत आपूर्ति करने के लिए व कृषि कनेक्शनों के लिए पृथक् फीडरों की स्थापना के लिए सरकार ने 5200 करोड़ की योजना की बजटीय घोषणा की थी? यदि हां, तो जनवरी, 2022 तक उक्त योजना में कुल कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विद्युत वितरण कम्पनी हेतु राज्य सरकार स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

(2) जी हां। 31 जनवरी, 2022 तक कुल 16 जिलों यथा कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, सीकर एवं झुंझुनूं में सामान्यतया दिन के 2 ब्लाक में कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिला

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

जालौर के अधिकांश क्षेत्रों में एवं जिला जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों में दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जालौर व जैसलमेर जिले के शेष क्षेत्रों में विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण के कार्य किये जा रहे हैं। उक्त कार्य पूर्ण होते ही इन क्षेत्रों में भी दिन के 2 ब्लाक में विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।

शेष जिले जयपुर, भरतपुर व जोधपुर में 01.04.2022 एवं अलवर दौसा, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू में 01.04.2023 से दिन के दो ब्लाक में विद्युत आपूर्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

(3) किसानों को दिन के 2 ब्लाक में विद्युत आपूर्ति के लिए तीन वर्षों में रु. 500.00 करोड़ का व्यय एवं कृषि कनेक्शनों के लिए चार वर्षों में पृथक फीडरों की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 में रुपये 5200 करोड़ की बजटीय घोषणा की थी।

किसानों को दिन के 2 ब्लाक में विद्युत आपूर्ति करने के लिए माह दिसम्बर, 2021 तक जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगमों द्वारा क्रमश: रु. 47.79 करोड़, रु. 35.02 करोड़ एवं रु. 20.07 करोड़ व्यय किये गये हैं।

विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति के मध्यनजर पृथक कृषि फीडरों की स्थापना हेतु डी.पी.आर बनाकर आर.ई.सी. दिल्ली को स्वीकृति एव वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रेषित किया गया था, जिसे आर.ई.सी. दिल्ली द्वारा विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई योजना स्वीकृति के लिए विचाराधीन नहीं होने के कारण स्वीकृत नहीं करते हुए लौटा दिया गया। अब उक्त कार्य को भारत सरकार की रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

यद्यपि जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगमों द्वारा अन्य योजनाओं अथवा स्वयं के संसाधनों से क्रमश: 1011 फीडर, 533 फीडर एवं 205 फीडरों को कृषि व 3000 से अधिक आबादी के लिए पृथक् किया गया, जिस पर क्रमश: रु. 285.97 करोड़, 205.02 करोड़ एवं 19.597 करोड़ का व्यय किया गया है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पद

20. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में कई वर्षों से प्रोफेसर, रीडर, प्राध्यापक, शैक्षणिक व अशैक्षणिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से? वर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध वर्ष 2013-14 में 242 सहायक आचार्य पदों पर भर्ती की गई थी। तत्पश्चात् वर्ष 2018 में 25 सह आचार्य, 88 सहायक आचार्य एवं 14 अन्य शैक्षणिक पदों पर भर्ती की गई थी।

राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्तमान में रिक्त शैक्षणिक संवर्ग के पदों का विवरण इस प्रकार है:-

1. राजस्थान विश्वविद्यालय में दिनांक 01.02.2022 को 58 आचार्य, 113 सह आचार्य, 274 सहायक आचार्य एवं 52 अन्य शैक्षणिक पद समय-समय पर शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हैं।
2. राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दिनांक 03.05.2018 को विधि संकाय में 20 सहायक आचार्य एवं दिनांक 16.12.2019 को कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 18 सहायक आचार्य तथा पर्यावरण अध्ययन में 11 (कुल 49) सहायक आचार्य के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये पद सृजन की तिथि से ही रिक्त हैं।

वर्ष 2018 में सीधी भर्ती के तहत विज्ञापन जारी कर 189 विभिन्न अशैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की गई। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले 571 रिक्त अशैक्षणिक पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पदों पर भर्ती हेतु विश्वविद्यालय को एक इकाई मानते हुए आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इस

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

हेतु राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग से अनुमोदनोपरांत एक माडल रोस्टर रजिस्टर का प्रारूप एवं दिशानिर्देश जारी कर कुलाधिपति महोदय के माध्यम से विश्वविद्यालयों को भिजवाते हुए विश्वविद्यालयों को निर्देश दिये हैं कि विश्वविद्यालय भर्ती में आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु रोस्टर रजिस्टर का संधारण करते हुए, भर्ती प्रक्रिया हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

विश्वविद्यालय से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले 571 रिक्त अशैक्षणिक पदों को भरने की अनुमति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है, जो परीक्षणाधीन है। तत्पश्चात् आवश्यक स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मेवात क्षेत्र में साइबर ठगी रोकथाम के उपाय

1. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि भरतपुर व अलवर जिले का मेवात क्षेत्र अब साइबर ठगी का केन्द्र बन गया है? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भरतपुर व अलवर (पुलिस जिला भिवाड़ी सहित) जिलों में विगत तीन वर्षों में साइबर ठगी व आई. टी. एक्ट के कुल 552 प्रकरण दर्ज हुए हैं। विगत तीन वर्षों में भरतपुर जिले में साइबर ठगी व आई. टी. एक्ट के 99 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इन प्रकरणों में 20 चालान, 50 एफ.आर. व 29 पेंडिंग हैं तथा 68 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अलवर व भिवाड़ी क्षेत्र में कुल 453 मुकदमें दर्ज किये गये हैं, जिनमें 58 मुकदमों में चालान 329 एफ.आर. व 66 पेंडिंग हैं व 178 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

विगत तीन वर्षों में साइबर ठगी व आई. टी. एक्ट के प्रकरणों में भरतपुर क्षेत्र में आंशिक रूप से वृद्धि दृष्टिगत हुई है परन्तु अलवर एवं भिवाड़ी क्षेत्र में 2020 मे 2019 की अपेक्षा अपराध कम हुए हैं एवं 2021 में 2020 की तुलना में आंशिक वृद्धि हुई है। दर्ज प्रकरणों का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

भरतपुर व अलवर (पुलिस जिला भिवाड़ी सहित) जिलो में साइबर ठगी व आई. टी. एक्ट के अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा आरोपियों की अधिकतम गिरफ्तारियां सुनिश्चित करते हुए पुलिस द्वारा पैम्फ्लेट/पोस्टर छपवाये जाकर ग्राम रक्षक, सी.एल.जी. सदस्य इत्यादि के द्वारा साइबर ठगी से बचने के जनचेतना कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं व साइबर हैल्प लाईन नम्बर 155260 जारी कर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेन्टर (I4C) के तहत मेवात क्षेत्र के साइबर अपराधियों की रोकथाम व कार्यवाही हेतु संयुक्त अनुसंधान दल का गठन किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

थानों में जाली नोटों के दर्ज प्रकरण

2. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नोटबंदी के बाद से अब तक जाली नोटों के कुल कितने प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या देश में नोट बंदी के बाद प्रदेश में जाली नोटों के प्रकरणों की संख्या में गिरावट आई है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत?

उत्तर

(1) प्रदेश मे नोटबंदी 08.11.2016 के बाद से 31.12.2021 तक कुल 309 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनकी वर्षवार व जिलेवार सूचना परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2014 से लेकर नोटबंदी दिनांक तक व नोटबंदी दिनांक से लेकर 31 दिसम्बर 2021 तक जाली नोटों के दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-बी पर संलग्न है।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नदबई में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति

3. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई में वर्तमान सरकार द्वारा गत बजट घोषणाओं में विकास की कितनी घोषणाएं की गई हैं? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा अब तक वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त क्षेत्र के विकास हेतु वर्तमान सरकार के गत बजटों का तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

भीलवाड़ा में छात्रवृत्ति के लाभार्थी

4. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन व आर्थिक सहायता हेतु छात्रवृत्तियां वितरित की जाती हैं? यदि हां, तो जिला भीलवाड़ा के कितने छात्र-छात्राओं को किस-किस कोर्स के तहत विगत तीन वर्षों में उक्त का लाभ प्रदत्त किया गया? लाभार्थियों की शालावार एवं संस्थावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले में विगत तीन वर्षों से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्तियां लम्बित हैं? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौनसे शिक्षण संस्थान हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं? नामवार व राशिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले की शिक्षण संस्थानों में बकाया छात्रवृत्तियों का शीघ्र भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

नोखा में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

5. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नोखा में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों के क्रमोन्नति के कितने प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं? उक्त प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत राजकीय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किये गये 15 विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-क, क1 व क2 पर संलग्न है।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षान्तर्गत राउप्रावि से रामावि में क्रमोन्नत 10 एवं रामावि से राउमावि में क्रमोन्नत 06 राजकीय विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र नोखा के 34 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 05 राउप्रावि को रामावि एवं 09 रामावि को राउमावि में क्रमोन्नत करने बाबत प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ग एवं ग1 पर संलग्न है।

उक्त प्रस्तावित विद्यालयों को, समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन करने के पश्चात् वित्तीय प्रावधानान्तर्गत क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सांगानेर की कालोनियों में सीवरेज लाइन को बदलने की कार्ययोजना

6. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की कौन-कौनसी कालोनियों में सीवरेज लाइन कब-कब डाली गई? वार्डवार, कालोनीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त क्षेत्र के किस-किस वार्ड एवं कालोनियों में आबादी बढ़ने के कारण सीवरेज लाइन बदलने की कोई योजना बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के कौन-कौनसे वार्ड में सीवरेज लाइन बदली जा चुकी है तथा कौन-कौनसे वार्ड में बदलना शेष है तथा वर्तमान में उक्त की क्या प्रगति है? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा डाली गई सीवरेज लाइन का वर्षवार, वार्डवार एवं कालोनीवार विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है। आरयूआईडीपी के प्रथम चरण के अन्तर्गत सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की सूर्य नगर, कल्याण नगर, लायन्स कालोनी का कुछ भाग एवं एयरपोर्ट सर्किल की तरफ की कालोनी में सीवर लाइन का कार्य करवाया गया है।

(2) वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन बदलने का कार्य नहीं किया गया है एवं वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा के नगर विकास न्यास की आवासीय योजनाओं में मूलभूत सुविधाएं

7. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत 4 वर्षों में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कोटा में कितनी आवासीय योजनाएं विकसित की गईं? उक्त में से किस-किस श्रेणी के कितने-कितने आवास व भूखण्ड बनाये गये तथा इन्हें किस दर पर आबंटित किया गया? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासीय योजनाओं को विकसित करने पर न्यास ने कितना व्यय किया व भूखण्ड व आवास आबंटन से न्यास को कितनी आय हुई? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि न्यास ने अधिकतर आवासीय योजनाओं में जमीन व मूलभूत सुविधा व विकास का शुल्क वसूलने के पश्चात भी सड़क, नाली, रोड लाइट व पार्क जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं कीं, जिससे निकट भविष्य में यहां आबादी बसने की संभावनाएं कम हैं? यदि हां, तो उक्त योजनाओं में उपलब्ध करवाई गई उक्त सुविधाओं का योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत 4 वर्षों में नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा बनाई गई आवासीय योजना/व्यावसायिक योजना/संस्थागत योजनाओं की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

उक्त योजनाओं में बनाये गये आवास/भूखण्डों की संख्या एवं आबंटन दर की सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनाएं विकसित करने हेतु न्यास द्वारा 433.24 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

उक्त योजनाओं में भूखण्ड/आवास आबंटन से नगर विकास न्यास,

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कोटा को 696.12 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विगत 4 वर्षों में नगर विकास न्यास, कोटा क्षेत्र में विकसित की गई आवासीय योजनाओं में से अधिकांश योजनाओं में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा चुकी हैं और की जा रही हैं। आबादी निश्चित तौर पर बसने की संभावना है। विस्तृत सूचना परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर शहर के बागदड़ा वन क्षेत्र के विकास की कार्ययोजना

8. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर शहर के पास स्थित बागदड़ा वन क्षेत्र कितने हैक्टेयर में फैला हुआ है? उक्त क्षेत्र के विकास के लिये अब तक क्या-क्या कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं जिससे उक्त वन क्षेत्र पूर्णत: सुरक्षित किया जा सके?

(2) क्या उक्त वन क्षेत्र के अधिक आकर्षण और विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं? यदि हां, तो विभाग ने इसके भविष्य के विकास और विस्तार के लिए क्या कार्ययोजना बनाई है?

(3) क्या उक्त वन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी झील भी स्थित है, जहां सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ उपलब्ध हैं? क्या सरकार मगरमच्छ सैंक्चुरी के रूप में उक्त को विकसित करने का विचार रखती है?

(4) उक्त वन क्षेत्र में जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक कितने पर्यटकों ने प्रवेश लिया तथा उससे कितनी आय प्राप्त हुई व इसके विकास पर कितना व्यय किया गया? आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर शहर के पास स्थित बागदड़ा वन क्षेत्र में नेचर पार्क 371 हैक्टेयर में स्थित है। इस क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 2014-15 में मुख्य मंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत राशि 100.00 लाख का आबंटन हुआ था, जिसके विरुद्ध पूर्ण राशि का व्यय किया जाकर, करवाये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए पर है।

(वन मंत्री)

(2) वन क्षेत्र को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसे प्राकृतिक रूप में संरक्षित करना आवश्यक है। इसके लिए निरंतर कार्य किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। वन क्षेत्र में झील है जिसमें मगरमच्छ वास करते हैं। बागदड़ा वन क्षेत्र को मगरमच्छ सैंक्चुरी के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) बागदड़ा नेचर पार्क में माह जनवरी 2021 से दिसम्बर, 2021 तक कुल 1433 पयर्टकों द्वारा भ्रमण किया गया एवं उनसे रुपये 59,748 की राशि प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 2014-15 में मुख्य मंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत राशि 100.00 लाख का आबंटन हुआ था, जिसके विरुद्ध पूर्ण राशि का व्यय किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैतारण में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित ग्राम

9. श्री अविनाश (जैतारण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्वीकृत हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश जगह ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के वंचित ग्रामों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण के अन्तर्गत कुल 43 ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्वीकृत हैं। (प्रपत्र-1)

(2) विधान सभा क्षैत्र जैतारण में 43 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्वीकृत हैं तथा शेष 22 ग्राम पंचायतों में निर्धारित मानदंड पूर्ण होने पर ग्राम सेवा समितियों का गठन किया जा सकेगा।

(सहकारिता मंत्री)

(3) निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(प्रपत्र पुस्तकालय में रखा गया)

बारां में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदामों का निर्माण

10. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है?

(2) विगत 3 वर्षों में कोटा संभाग में ऐसे कितने गोदाम बनाये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बारां में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के कितने प्रस्तावों की स्वीकृति हुई तथा कितने प्रस्ताव लम्बित हैं? उक्त की स्वीकृति जारी कर कब तक गोदामों का निर्माण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य सरकार की बजट घोषणा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत वेयरहाउस/गोदामों का निर्माण करवाया जाता है। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण कराया जाना विचाराधीन है।

(2) कोटा संभाग में विगत 3 वर्षों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 57 व बजट घोषणा योजनान्तर्गत 18 तथा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत 04, इस प्रकार कुल 79 गोदाम बनाये गये हैं, जिनकी जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) बारां जिले में विगत 3 वर्षों में कुल 16 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी हुई है, जिसमें से राज्य सरकार की बजट घोषणा अन्तर्गत 06 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में एवं राष्ट्रीय

(सहकारिता मंत्री)

कृषि विकास योजनान्तर्गत 10 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के प्रस्ताव की स्वीकृति जारी हुई है। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बारां जिले से 5 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण हेतु भारत सरकार से बजट प्राप्त होने पर उक्त प्रस्तावों पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बून्दी, बारां व झालावाड़ जिलों में बाढ़ से प्रभावितों को मुआवजा

11. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) माह जुलाई, अगस्त 2021 तथा जनवरी, 2022 में बाढ़, अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से कोटा, बून्दी, बारां व झालावाड़ जिलों में कितने किसान प्रभावित हुए एवं कितनी-कितनी भूमि में किन-किन फसलों का कितना-कितना खराबा हुआ? तहसीलवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त से हुए नुकसान के लिए विशेष गिरदावरी कराई गई है? यदि हां, तो कब? उसमें हुए नुकसान का तहसीलवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त से हुए नुकसान के लिए केन्द्र सरकार की कमेटी उक्त जिलों में मूल्यांकन हेतु आई थी? यदि हां, तो कब व किस जिले में मूल्यांकन हेतु कहां-कहां गई और उस कमेटी द्वारा कितना-कितना नुकसान व खराबा पाया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार किसानों को उक्त फसल खराबे से हुए नुकसान की भरपाई स्वरूप मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना-कितना व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह जुलाई, अगस्त 2021 में बाढ़ से खरीफ फसल संवत् 2078 में जिला बारां, बून्दी, झालावाड़ व कोटा के फसल खराबे से प्रभावित कृषकों का जिला एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर तथा खराब हुई खरीफ फसलों का फसलवार, जिला एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "ब" "स" "द" एवं "य" पर संलग्न है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

रबी फसल संवत् 2078 में बोई गई फसलों में पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि से नुकसान की आवश्यकतानुसार विशेष गिरदावरी करवाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में गिरदावरी का कार्य प्रक्रियाधीन है। गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर फसल खराबे की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

(2) जी हां। खरीफ फसल संवत् 2078 में जुलाई-अगस्त 2021 में बाढ़ से फसल खराबा होने पर राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 06.08.2021 द्वारा विशेष गिरदावरी करवाई गई। खरीफ फसल 2021 में हुए नुकसान का विवरण परिशिष्ट "ब" "स" "द" एवं "य" के अनुसार है। रबी फसल संवत् 2078 में बोई गई फसलों में पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि से नुकसान की आवश्यकतानुसार विशेष गिरदावरी करवाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 28.12.2021 व 10.01.2022 को निर्देश जारी किये गये हैं। रबी फसल की गिरदावरी का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। माह अगस्त, 2021 में अंतर मंत्रालय केन्द्रीय दल (आई.एम.सी.टी.) बाढ़ प्रभावित जिलों के भ्रमण पर आया था, जिसका विवरण परिशिष्ट "र" व "ल" पर संलग्न है। भारत सरकार को प्रेषित बाढ़ के ज्ञापन के संबंध में केन्द्र सरकार से अभी तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(4) गिरदावरी रिपोर्ट में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा प्राप्त होने पर प्रभावित पात्र कृषको को एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार कृषि आदान-अनुदान का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021 में बाढ़ से फसल खराबे से प्रभावित कोटा सम्भाग के कृषकों को कृषि आदान-अनुदान के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कृषि आदान-अनुदान भुगतान हेतु 103.41 करोड़ रुपये का बजट आबंटन कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर के वैशाली नगर आगार से कुचामन हेतु बसों का संचालन

12. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत वर्षों में वैशाली नगर आगार की

(श्री निर्मल कुमावत)

जयपुर से कुचामन (वाया चौमूं, रेनवाल, करड़, कांकरा, सुरेरा) के लिए दो बसों का संचालन किया जा रहा था? यदि हां, तो कब से कब तक किया गया? समय सारिणी के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संचालन अवधि में भी उक्त बसों को बार-बार बन्द किया गया है? यदि हां, तो कब व किस कारण से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संचालन अवधि में उक्त बसों की आय का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विगत काफी दिनों से उक्त बसों को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो किस बस को कब से और क्यों तथा क्या सरकार जन हित में उक्त दोनों बसों को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त वैशाली नगर आगार द्वारा विगत चार वर्षों में किन-किन बसों को किस कारण से कब बन्द किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त दोनों बसों से कम आय वाली बसों को अभी भी संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन बसों को कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वैशाली नगर आगार द्वारा जयपुर से कुचामन (वाया चौमूं, रेनवाल, करड़, कांकरा, सुरेरा) के लिए निम्नानुसार बसों का पूर्व में संचालन किया जा रहा था:-

क्र. सं.	समय	वाहन संचालन प्रारम्भ किये जाने की दिनांक	वाहन संचालन बन्द किये जाने की दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	15.15	23.10.2012 25.08.2020	20.10.2019 7.12.2020	असंचालित
2	12.30	24.10.2012	22.3.2020	

(2) उक्त संचालन अवधि में कम आय एवं संसाधनों की कमी व बसों

(राज्य मंत्री, परिवहन)

में यांत्रिक खराबी के कारण संचालन बंद किया गया। बंद की गई अवधि का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) संचालन अवधि में उक्त बसों की औसत आय का माहवार विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(4) जी हां। संचालन बन्द किये जाने की दिनांक का अंकन खण्ड "1" में किया जा चुका है। उक्त वाहनों का संचालन कम यात्रीभार, कम आय प्रति कि0मी0 एवं निगम के सीमित संसाधनों के कारण बन्द किया गया है जिसे फिलहाल संचालित किये जाने का कोई विचार नहीं है।

(5) वैशाली नगर आगार द्वारा गत चार वर्षों में जिन बसों का संचालन बन्द किया गया है, उसका कारण सहित विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(6) जी नहीं। वर्तमान में वैशाली नगर आगार में उक्त दोनों बसों से कम आय की कोई भी बस संचालित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रोडवेज कर्मियों को सातवें वेतनमान का परिलाभ

13. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को उक्त वेतनमान का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण नहीं दिया जा सका है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम संचालक मण्डल की

(राज्य मंत्री, परिवहन)

दिनांक 14.12.2021 को सम्पन्न 297वीं बैठक में उक्त के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

निगम संचालक मण्डल के निर्णय पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सूरजगढ़ में पंजीकृत बेरोजगार

14. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में जनवरी, 2022 तक कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कितनी महिलाओं व कितने पुरुषों को जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक बेरोजगारी भत्ता दिया गया है तथा कितनों को दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला रोजगार कार्यालय झुंझुनूं में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के जनवरी, 2022 तक कुल 7303 बेरोजगार पंजीकृत हुए हैं।

(2) उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से 859 महिलाओं व 720 पुरुषों (कुल 1579) को जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक बेरोजगारी भत्ता दिया गया है तथा 1112 आशार्थियों को भत्ता दिया जाना शेष है।

बामनवास में हाईटेंशन लाइन से हुई दुर्घटनाओं की जांच

15. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बिजली की हाईटेंशन लाइन एवं तारों के टूटने एवं विद्युत तारों के नीचे लटकने आदि के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में उक्त हादसों में कितनी मृत्यु हुई व कितने घायल हुए तथा कितनी प्रकार की जनहानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त मामलों की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(3) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों, इस हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में जनवरी, 2020 से जनवरी, 2022 तक विद्युत जनित हादसों (हाईटेंशन लाइन एवं तारों के टूटने एवं विद्युत तारों के नीचे लटकने आदि के कारण) में कुल 17 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 8 व्यक्ति घायल हुए हैं। साथ ही 18 पशुधन की मृत्यु हुई है। विवरण परिशिष्ट "अ-1", "अ-2" व "अ-3" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त प्रकरणों की 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा जांच कराई गई। जांच के परिणाम मय विवरण परिशिष्ट "अ-1", "अ-2" व "अ-3" पर उपलब्ध हैं।

(3) विद्युत जनित हादसों की रोकथाम हेतु हाई रिस्क पाइन्ट को चिन्हित कर समय-समय पर मेंटिनेंस की जाती रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्राप्त नीचे लटके तारों के 177 प्रकरणों में से सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

विधायक कोष से तारों को हटाने की कार्ययोजना

16. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के खेरवा, बाला व जाणा गांवों में विधायक कोष से आबादी क्षेत्र से ट्रान्सफार्मर स्थानान्तरण करने व आबादी में बसे आवासों के ऊपर से तार हटाने की राशि विद्युत विभाग में जमा करवाई गई है? यदि हां, तो किस-किस गांव में कितनी-कितनी व कब जमा कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों में जिस प्रयोजनार्थ राशि विधायक कोष से ली गई है वो कार्य ट्रान्सफार्मर स्थानान्तरण करने व बिजली के तार हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सिद्धार्थ तारा भंडारी के कानपुरा स्थित कृषि

(श्री जोराराम कुमावत)

कुएं के बीच में से निकल रहे बिजली के तार अन्यत्र शिफ्टिंग करने हेतु राशि जमा की हुई है? यदि हां, तो प्रार्थी ने कब व कितनी राशि जमा कराई है? क्या सरकार उक्त बिजली के तारों को शिफ्टिंग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के खेरवा, बाला व जाणा गांवों में आबादी क्षेत्र से ट्रांसफार्मर स्थानान्तरित करने व आबादी क्षेत्र के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों के स्थानान्तरण करने हेतु विधायक कोष से जमा करवायी गयी राशि का दिनांक सहित गांववार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के खेरवा, बाला व जाणा गांवों में आबादी क्षेत्र से ट्रांसफार्मर स्थानान्तरित करने व आबादी क्षेत्र के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों के स्थानान्तरण करने हेतु किये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। सिद्धार्थ तारा भण्डारी के कानपुरा स्थित कृषि कुएं के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा जमा की गयी राशि, किये जाने वाले कार्य एवं कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रानीवाड़ा में लम्बित कृषि कनेक्शन

17. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में किसानों को किस-किस योजना में कितने-कितने कृषि कनेक्शन जारी किये गए? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के किस-किस विद्युत उपखण्ड कार्यालय में कृषि कनेक्शन के कितने-कितने आवेदन, कब-कब से लम्बित हैं? उपखण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में विगत 3 वर्षों में (माह अप्रैल 2018 से जनवरी 2022 तक) जारी किये गये श्रेणीवार कृषि कनेक्शनों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में माह जनवरी 2022 के अंत में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु लम्बित आवेदनों का उपखण्डवार, श्रेणीवार लम्बित रहने के समय सहित विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

चूरू वृत्त में प्रीपेड मीटर लगाने की कार्ययोजना

18. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल, 2020 के अंतर्गत तीनों डिस्काम कंपनियों में वर्ष 2020-21 में कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया व कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए? तालिकावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रीपेड मीटर लगवाने पर उपभोक्ता को प्रति यूनिट विद्युत खपत में कोई रियायत देय है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चूरू वृत्त में कुल कितने स्मार्ट मीटर लगे हैं? उनमें से कितनों में प्रीपेड सुविधा उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी राइट्स आफ कंज्यूमर रूल 2020 के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। यद्यपि तीनों डिस्काम कम्पनियों में भारत सरकार की आई.पी.डी.एस. योजना एवं एनएसजीएम योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने के कार्यादेश के तहत लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	**डिस्काम का नाम**	**कार्यादेश आधारित लक्ष्य**	**लगाए गए स्मार्ट मीटर**
1.	जयपुर	430871	39678
2.	अजमेर	190832	503
3.	जोधपुर	102182	1495
कुल		**723885**	**41676**

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

उक्त स्मार्ट मीटर प्रीपेड/पोस्टपेड दोनों विकल्पों (उपभोक्ता के चयन पर निर्भर) के साथ उपलब्ध हैं एवं मार्च, 2021 तक कोई भी स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड़ में नहीं लगाये गये।

(2) जी हां। वर्तमान में प्रचलित टैरिफ आदेशानुसार प्रीपेड मीटर पद्धति अपनाने वाले सभी उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट दिये जाने का प्रावधान है।

(3) जोधपुर डिस्काम अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग हेतु मैसर्स ई.ई.एस.एल. को जारी वर्तमान कार्यादेश के अनुसार केवल जोधपुर नगर वृत्त में ही स्मार्ट मीटर लगाये जाने थे। अतः चूरू वृत्त में जोधपुर डिस्काम द्वारा कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया है।

चाकसू के जगन्नाथ विश्वविद्यालय के विरुद्ध शिकायतें

19. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जगन्नाथ विश्वविद्यालय चाकसू, जिला जयपुर द्वारा यूजीसी के नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया अपनाई जाती है? यदि हां, तो जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक कौन-कौनसे कोर्स के लिए कितने-कितने प्रवेश हुए? कोर्स का नाम, छात्र के नाम सहित वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विश्वविद्यालय के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किनके द्वारा कब-कब शिकायतें प्राप्त हुईं व उक्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जगन्नाथ विश्वविद्यालय चाकसू, जिला जयपुर में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक प्रवेशित विद्यार्थियों की नाम पते सहित वर्षवार एवं कोर्सवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। जगन्नाथ विश्वविद्यालय चाकसू, जिला जयपुर के संबंध में विभाग को प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओपन बोर्ड की पुस्तकों की प्रूफ रीडिंग

20. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ओपन बोर्ड की पुस्तकें विषयवार एवं कक्षावार अंतिम बार कब अपडेट की गई थीं? उक्त की प्रूफ रीडिंग अंतिम बार कब करवाई गई? वर्तमान में पुस्तकों में प्रिंटिंग संबंधित त्रुटियों की क्या स्थिति है तथा तथ्य कब तक के अद्यतन किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ओपन बोर्ड की पुस्तकें विषयवार एवं कक्षावार अपडेट करने संबंधी सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम-01 में अंकित है। इनकी प्रूफ रीडिंग संबंधी सूचना परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 02 में अंकित है।

वर्तमान में पुस्तकों में प्रिटिंग संबंधी त्रुटियों को सही करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा अद्यतन के साथ-साथ त्रुटियों को सही कर पाठ्यक्रम मुद्रित करवाया जाएगा। वर्तमान तथ्यों को पाठ्य सामग्री अद्यतन में सम्मिलित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा का माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष/सभापति महोदय,

हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 3 वर्ष पहले गठित राज्य सरकार ने आमजन को केन्द्र में रखकर जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की और जन घोषणा को आधार बनाकर जनता से किये गये वादों के क्रियान्वयन की शुरुआत की जिसमें 70 प्रतिशत सफलता इस बात का द्योतक है कि सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।

हमारी सरकार का विकास का मॉडल और चिंतन आम आदमी के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी। समाज के हर व्यक्ति को विशेषकर पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, कमजोर, वंचित, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, दिव्यांग सबको सम्मानजनक तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना प्रमुख ध्येय रहा है।

फ्लैगशिप योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रगति	योजना का संक्षिप्त विवरण
1.	मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना	7.11 लाख मरीजों के इलाज पर 892 करोड़ रु. व्यय 59.71 लाख परिवार, एन.एफ. एस.ए. के 45.29 लाख परिवार, लघु एवं सीमांत कृषकों के 14.99 लाख परिवार, कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले 2.97 लाख परिवार, संविदा कार्मिकों के 72,413 परिवार एवं अन्य परिवार (प्रीमियम का 50 प्रतिशत) 9.19 लाख, कुल 1.34 करोड़ परिवार लाभार्थी	एन.एफ.एस.ए. एसईसीसी-2011 के पात्र परिवार संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक तथा कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवारों को निःशुल्क तथा शेष परिवार प्रीमियम का 50 प्रतिशत (850 रु. प्रति परिवार प्रति वर्ष) का भुगतान कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रगति	योजना का संक्षिप्त विवरण
			सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रु. का बीमा कवर। योजना में अब तक 788 राजकीय एवं 607 निजी अस्पताल सम्बद्ध हैं। इनमें सामान्य बीमारी से लेकर हार्ट बार्यपास कैंसर और कोरोना तक के 1579 पैकेज शामिल किये गये हैं। इस योजना से 01 करोड़ 33 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है। 7 लाख 41 हजार से अधिक मरीजों के इलाज पर लगभग 930 करोड़ रुपये की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।
2.	मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना	3 वर्षों में 2246 करोड़ रु. व्यय।	मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, हदय रोग एवं डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी शामिल की गई हैं। 713 प्रकार की दवाइयों, 181 सर्जिकल एवं 77 सूचर्स को सम्मिलित करते हुए कुल 971 औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रगति	योजना का संक्षिप्त विवरण
3.	मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना	3 वर्षों में 764 करोड़ रु. व्यय (मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में प्रतिदिन 01 लाख 25 हजार से एक लाख 50 हजार जांचें नि:शुल्क की जा रही हैं)	राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों तथा मेडिकल कालेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में 90, जिला उपजिला, सेटेलाइट चिकित्सालयों में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व डिस्पेंसरी चिकित्सालयों में 15 प्रकार की जांचें नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।
4.	राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019	16,679 पीड़ित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए 417 करोड़ रु. की सहायता	पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए 3 लाख रु. की सहायता एवं रु. 1500/- प्रतिमाह मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन का लाभ पीड़ित की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को 2 लाख रु. की सहायता एवं पत्नी को विधवा पेंशन व पालनहार योजना का लाभ
5.	मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	52.30 लाख वृद्धजन को 14,667 करोड़ रु. की सहायता	75 वर्ष से कम आयु को रु. 750/- प्रतिमाह। 75 वर्ष से अधिक आयु को रु. 1000/- प्रतिमाह।

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रगति	योजना का संक्षिप्त विवरण
6.	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना	5.91 लाख विशेष योग्यजन को 1,487 करोड़ की सहायता	55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को रु. 750/- प्रतिमाह। 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु. 1000/- प्रतिमाह। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रु. 1250/- प्रतिमाह। किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को रु. 1500/- प्रतिमाह
7.	पालनहार योजना	5.24 लाख बच्चो को 1,384 करोड़ रु. की सहायता (वर्ष 2021-22 में 395 करोड़ रुपये से 5 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित)	0-6 आयु वर्ग के बच्चो हेतु 500 रु. प्रतिमाह। 6-18 आयु वर्ग के बच्चों हेतु 1000 रु. प्रतिमाह। वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000 रु. वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त सहायता
8.	जन सूचना पोर्टल-2019	13 सितम्बर, 2019 को शुभारम्भ किया। 10 करोड़ से अधिक लोगों ने विजिट किया है। इस पर 115 विभागों से जुडी 258 योजनाओं एवं 561 विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।	प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध करवाना।
9.	मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना	324 करोड़ रु. की सब्सिडी से 9.4 लाख किसान लाभान्वित। 5.00 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हुआ।	मई, 2021 से प्रतिमाह एक हजार रु. तक अनुदान। सालाना 1450 करोड़ रु. की अतिरिक्त सब्सिडी
10.	इंदिरा रसोई योजना	योजना में 5 करोड़ 5 लाख लोगों को लाभान्वित, कोरोना की द्वितीय लहर में 71 लाख को नि:शुल्क भोजन।	आमजन को 8 रु. प्रति थाली में दोपहर/रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 12 रु. से बढ़ाकर 17 रु. प्रति थाली अनुदान।

राज्य सरकार के तीन वर्षों (2018-2021) की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :-

कोविड काल में जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए निराश्रित परिवारों का सर्वे भी करवाया। ऐसे जरूरतमंद 33 लाख परिवारों को 5 हजार 500 रुपये प्रति परिवार सहायतार्थ दिये गये। इसके लिए राजकोष से 1 हजार 815 करोड़ रुपये खर्च हुए।

प्रदेश में न सिर्फ निःशुल्क आरटीपीसीआर टैस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई बल्कि 1 लाख 45 हजार टैस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की।

40 हजार आक्सीजन कान्सन्ट्रेटर खरीदे।

राज्य में मार्च 2020 में मात्र 5 हजार 909 आक्सीजन बैड एवं एक हजार 211 आईसीयू बैड उपलब्ध थे।

अब प्रदेश में 28 हजार आक्सीजन बैड और 6 हजार आईसीयू बैड की क्षमता है।

नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-5 (2019-21) के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में संस्थागत प्रसव 94.90 प्रतिशत हो गया है, जबकि देश में ये 88.6 प्रतिशत है।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु आरजीएचएस योजना प्रारम्भ की गई।

शिक्षा विभाग :-

बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की पहल। अब तक 560 विद्यालय संचालित, 88 हजार के समीप नामांकन।

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अध्यापकों के लिए अलग से कैडर सृजन करेंगे।

वर्तमान सरकार ने शिक्षकों के रिक्त पद भरने को विशेष प्राथमिकता दी है। अब तक 61 हजार 625 शिक्षकों को नवीन नियुक्तियां। 2589 से अधिक अनुकम्पा नियुक्तियां। अब भर्तियां-62,000 तृतीय श्रेणी, 10,000 द्वितीय श्रेणी, 6000 व्याख्याता, कम्प्यूटर अनुदेशक-10157. शा०शिक्षक-922, पुस्तकालयाध्यक्ष-460, प्रयोगशाला सहायक-461, विशेष शिक्षक-1000 कुल 91,000 की भर्तियां की जायेंगी।

राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन

कम्प्यूटर अनुदेशक एवं उप प्रधानाचार्य के कैडर का सृजन

भर्तियों के न्यायिक प्रकरणों का निपटारा-शिक्षक भर्ती 2006, 2013, 2016 व 2018 का निपटारा कर 28 हजार 862 पदों पर नियुक्तियां दी गईं।

2689 विद्यालय क्रमोन्नत, 223 अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त विषय-302, कृषि संकाय-3581।

कक्षों एवं नवीन भवनों का निर्माण-1581 करोड़ रु. स्वीकृत कर 972 करोड़ खर्च।

निःशुल्क पोशाक वितरण-60 लाख से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क पोशाक

इन्सपायर अवार्ड योजना 2020-21 में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रहा है।

वार्षिक उत्सव सरकारी विद्यालयों में।

विद्युत विभाग -

5 वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय।

गत 3 वर्षों में 2 लाख 41 हजार से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये।

गत 3 वर्षों में 2 हजार 970 मेगावाट की वृद्धि से राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 23 हजार 309 मेगावाट हो गयी है।

16 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किये।

किसानों को बिजली के बिलों में गत तीन वर्षों में 43 हजार 870 करोड़ रुपये का अनुदान देकर राहत प्रदान की गयी है।

पर्यटन विभाग -

500 करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष के गठन का निर्णय

सहकारिता विभाग -

सहकारी बैंकों के 8 हजार 181 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किये गये। गत सरकार के लम्बित 6 हजार करोड़ रुपये का भुगतान, कुल मिलाकर 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि के किसानों के ऋण माफ किये।

गत 3 वर्षों में 36 हजार 357 करोड़ रुपये से अधिक के अल्पकालीन ऋण, 846 करोड़ रुपये से अधिक के मध्यकालीन एवं 362 करोड़ 70 लाख रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किये गये हैं।

कृषि एवं पशुपालन विभाग -

877 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जा चुके हैं।

166 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किए गए।

समस्त 198 पशु औषधालय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किए गए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत 97 करोड़ रुपये व्यय कर 178 अनाथ बच्चों, 8 हजार 609 विधवा महिलाओं तथा 5 हजार 640 विधवा महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है।

पालनहार योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 395 करोड़ रुपये से 5 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग-

अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना 2021 तीन चरणों में लागू कर प्रथम चरण में 5 हजार 149 ऋणियों को 40 करोड़ 33 लाख रुपये का ऋण माफ।

महिला एवं बाल विकास विभाग-

नई महिला नीति अप्रैल 2021 से लागू की गई।

आई.एम. शक्ति उड़ान योजना का 19 दिसम्बर, 2021 को शुभारम्भ किया।

इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ कर ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

राजस्व विभाग-

प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक पट्टे जारी किये गये।

स्वायत्त शासन विभाग-

- पट्टे उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 चलाया गया। इसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में अब तक एक लाख 50 हजार से अधिक पट्टे वितरित किये जा चुके हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग-

ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर इस वित्तीय वर्ष में 390 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय कर 7 हजार 515 कार्य किये गये।

पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं में 3 हजार 557 करोड़ रुपये व्यय कर 86 हजार 659 कार्य पूर्ण करवाये गये।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में अब तक 7 हजार 873 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 62 लाख 86 हजार परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाते हुए 29 करोड़ 13 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं।

राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 736 करोड़ रुपये व्यय कर 58 हजार 107 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

गृह विभाग-

- प्रदेश के प्रत्येक थाने में एक स्वागत कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 711 थानों में स्वागत कक्ष बनाये जा चुके हैं एवं 110 में निर्माणाधीन हैं।
- बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में औसत अनुसंधान समय वर्ष 2017-18 में 274 दिन था, हमारी सरकार की हर पीड़ित को न्याय देने की मंशा के कारण यह सिर्फ 79 दिन रह गया है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग -

- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 35 हजार से अधिक गांवों में 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत के 86 लाख से अधिक हर घर जल कनेक्शन जारी करने हेतु स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। अब तक प्रदेश में 22 लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को हर घर जल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग -

हमारी सरकार के कार्यकाल में 16 हजार 935 करोड़ रुपये व्यय कर

5 हजार 794 किलोमीटर लम्बाई में नवीन सड़कों का निर्माण 860 किलोमीटर लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, 4 हजार 689 किलोमीटर लम्बाई में राज्य राजमार्गों का विकास व 28 हजार 548 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किये गये हैं।

राज्य में 29 हजार 885 किलोमीटर लम्बाई में राज्य की सड़कों का विकास किये जाने के लिए 17 हजार 500 करोड़ रुपये लागत के 7 हजार 407 कार्यों की नवीन स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

इस वर्ष प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये लागत के कार्य करवाने की दिशा में 1 हजार करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 336 किलोमीटर लम्बाई में मिसिंग लिंक व 522 किलोमीटर लम्बाई में नोन पेचेबल सड़कों के 1 हजार 487 कार्य राज्य सड़क निधि व नाबार्ड योजना में स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग -

गत 3 वर्षों में 123 नवीन राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही 17 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर पर क्रमोन्नत किया गया। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 25 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 39 नवीन विषय शुरू किये गये हैं।

युवा एवं रोजगार विभाग-

बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 5 हजार 175 डेयरी बूथ खोले गये।

राज्य में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में दी जाने वाली बेरोजगारी भत्ते की राशि को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये एवं 3 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 4 हजार 500 रुपये किया गया है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग-

हमारी सरकार द्वारा मार्च 2019 से अब तक 275 करोड़ रुपये व्यय कर बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अन्त्योदय के लाभार्थियों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है।

राशन डीलर्स के आश्रितों को अनुकम्पात्मक डीलरशिप प्रदान किये

जाने की शर्तों का सरलीकरण कर 625 प्रकरणों में अनुकम्पात्मक नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राशन डीलर की कोरोना से मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि आश्रितों को दिये जाने का प्रावधान किया गया। उचित मूल्य दुकान आबंटन में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय-

2022-23 के राज्य बजट में पृथक् से कृषि बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को आउट आफ टर्न नियुक्ति नियम में पैरा खेलों को भी सम्मिलित किया गया।

3 हजार करोड़ रुपये के कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया गया।

विशेष योग्यजन कर्मचारियों को पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 2 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है।

विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सम्बल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना" लागू की गई है।

आउट आफ टर्न नियुक्ति नियमों के तहत 182 अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन किया गया एवं इनमें से 164 खिलाड़ियों को "आउट आफ टर्न" नियुक्तियां दी गई हैं।

181 हैल्पलाइन की मदद से 24 घंटे लोगों की सुनवाई की और उन्हें तुरन्त राहत पहुंचाई।

राज्य सरकार द्वारा जनहित में निर्णय

राज्य सरकार द्वारा यह संकल्प लिया गया कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोये एवं सभी श्रेणी के लोगों विशेषकर गरीबों, असहायों, दिहाड़ी मजदूर परिवारों, छोटे फल, सब्जी वाले वैण्डर्स को राज्य सरकार द्वारा सहायता पैकेज घोषित किये गये।

असहाय, गरीब, दिहाड़ी मजदूर परिवारों व स्ट्रीट वैण्डर्स के 33 लाख परिवारों को प्रति परिवार राशि रुपये 5500 उपलब्ध करवाये गये।

- मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता (अनाथ बालक/बालिका)-प्रत्येक बालक/बालिका को एक लाख रुपये एकमुश्त दिया गया तथा प्रत्येक बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 2500 रुपये प्रतिमाह तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जा रही है।
- मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता (विधवा महिलाओं के बच्चों हेतु)- 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक प्रतिमाह 1000 रुपये प्रति बालक/बालिका दिया जा रहा है।

  इसके अतिरिक्त 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विद्यालय पोशाक, पाठ्य-पुस्तक आदि हेतु 2000 रुपये प्रति बालक/बालिका वार्षिक एकमुश्त वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता- विधवा महिला को एक लाख रुपये एकमुश्त सहायता दी जा रही है। विधवा महिला को पेंशन हेतु 1500 रुपये प्रतिमाह दी जा रही है।
- कोरोना वारियर सहायता अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उचित मूल्य दुकानदार, अधिस्वीकृत पत्रकारों को, जिनकी कोरोना के कारण असामयिक मृत्यु हो गई, राज्य सरकार द्वारा उनके आश्रित परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता प्रदान कराई गई।

शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वैण्डर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई हैं, जिसमें 5 लाख परिवारों को रुपये 50 हजार तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इस तरह हमारी सरकार द्वारा उक्त मुख्यमंत्री सहायता पैकेज के अन्तर्गत लगभग रुपये 5 हजार करोड़ की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

केन्द्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान में कमी किया जाना

वैश्विक महामारी कोराना के दौरान राज्य सरकार ने विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इस कठिन दौर में भी विकास के पहिये को निरन्तर गतिमान रखा है। आपदा को अवसर में बदलते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ ही सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये।

इस कारण राज्य के व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जबकि कोविड-19 के प्रभाव से राज्य की राजस्व आय में भारी गिरावट आई है। फलस्वरूप राज्य के राजस्व घाटे में कमी होना संभावित नहीं है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य को वर्ष 2021-22 में रुपये 9 हजार 878 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 के लिये रुपये 4 हजार 862 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान स्वीकृत करने की अभिशंसा की गई थी।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें कोविड-19 की द्वितीय लहर शुरू होने से पहले ही प्रस्तुत की दी गई थी, जिसके कारण द्वितीय लहर के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव का अनुमान वित्त आयोग की रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतः उक्त विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व घाटा अनुदान वर्ष 2021-22 के समान ही वर्ष 2022-23 एवं आगामी वर्षों में भी जारी रखे जाने हेतु केन्द्र सरकार को लगातार अनुरोध किया जा रहा है किन्तु केन्द्रीय बजट 2022-23 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने में चुनौतियां - कोविड के बावजूद अच्छा बजट

महोदय, इस अवसर पर अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने में जो चुनौतियां आ रही हैं, उस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। चुनौतियों के कारण देश जो आर्थिक अराजकता भुगत रहा है उसका सूत्रपात योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाने के अदूरदर्शी निर्णय से हुआ। योजना आयोग जहां राज्य और केन्द्र के सहकारी संघवाद के अधीन सुनियोजित आर्थिक विकास का पहिया था वहीं नीति आयोग भ्रमित नीतियों एवं राष्ट्रीय सम्पत्तियों को निजी हाथों में देने की एजेन्सी बन गया है। ये आर्थिक अराजकता अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में गहराई से महसूस की जा रही है जिसकी आंच अब राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं तक रिसने लगी है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में दो वर्ष का काल कोविड का रहा, जिसने जन जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इस संकट काल के बावजूद भी हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री के कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण राजस्थान सरकार ने आम जन को सुविधायें प्रदान

करने के लिये बजट में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। गत भाजपा सरकार के द्वारा पेश किये गये बजट के बाद राजस्थान सरकार के तीन बजट का आकलन किया जाये तो साफ प्रतीत होता है कि कृषि, ग्रामीण विकास, विद्युत, उद्योग, खनिज, यातायात, सामाजिक सामुदायिक सेवाओं में अधिक बजट का प्रावधान किया गया। कोरोना काल के बावजूद बजट में कोई कमी नहीं की गई।

राशि करोड़ों में

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**2018-19 (भाजपा सरकार)**	**2021-22**
1	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	6744.84	9818.74
2	ग्रामीण विकास	14473.29	15935.19
3	विद्युत	12053.42 (27053.42-15000 करोड़ के ऋण का अनुदान में परिवर्तन)	18943.23
4	यातायात	6601.88	7941.39
5	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	44135.20	69026.26

बजट प्राप्तियां:- अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सभी जानते हैं कि पिछले दो साल कोविड के कारण अत्यन्त विकट परिस्थितियों में गुजरे हैं। इसके बावजूद भी कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य की आय को अधिक हानि नहीं होने दी।

क्र. सं.	**2018-19 (प्राप्तियां)**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1.	21232511.94 इक्कीस हजार दौ सो तिरासी करोड़	23300640.03	22576467.26	25083202.77 पच्चीस हजार तिरासी करोड़

गत भाजपा सरकार एवं कांग्रेस के प्रथम तीन वर्षों की तुलना

ऊर्जा- भाजपा सरकार के समय कुल विद्युत उत्पादन 17580 मेगावट था, वहीं कांग्रेस सरकार में बढ़कर 23309 मेगावाट हो चुका है।

सड़क- भाजपा सरकार ने जहां अपने कार्यकाल के प्रथम 3 वर्षों में 12,508 करोड़ व्यय किये थे, वहीं कांग्रेस सरकार 16,621.81 करोड़ कर चुकी है।

शिक्षा- भाजपा सरकार के प्रथम 3 वर्षों में नामांकन में 13 लाख की वृद्धि हुई थी। वहीं कांग्रेस सरकार के पहले 3 साल में नामांकन में 15 लाख की वृद्धि हुई है। आप द्वारा वर्ष 2018-19 में शिक्षा पर 31 हजार 456 करोड़ का बजट दिया गया, जिसको हम बढ़ाते हुए 2021-22 में 39 हजार 970 करोड़ पर ले गये।

विगत सरकार के कार्यकाल में निम्न कमियां रहीं :-

राजस्थान रोडवेज का निजीकरण

पीपीपी मोड पर सरकार चलाने की योजना

लक्ष्मी विलास होटल, कनक भवन, खासा कोठी व आनन्द भवन को बेचे जाने की नीति

कम्प्यूटर शिक्षा

हिंगोनिया गौशाला

इनके समय में बाड़मेर की रिफाइनरी का कार्य बंद

स्वास्थ्य सेवाओं / क्षेत्र का निजीकरण

स्कूल बंद किये गये

डाक्टरों की हड़ताल

केन्द्र सरकार द्वारा अनैतिक लिये गये निर्णय

इस सदन में हम सब को जन प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होकर लोकतंत्र को मजबूत करने का जो महती दायित्व मिला है उस पर हमें गर्व है, लेकिन यह पता नहीं कि सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने वाले सौदागर पता नहीं कब इसका भी सौदा कर दें।

नैतिकता की दुहाई देने वाले न तो किसानों की मौत पर रोये थे न बच्चों की मौत पर रोये थे (यूपी में आक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत) और न ही लॉकडाउन पर सड़कों पर चलने वाले प्रवासी

श्रमिकों के दुखों से परेशान हुए थे और उस पर भी इस देश के आम नागरिकों को नोटबंदी, गलत तरीके से लागू की गई जीएसटी भयंकर महंगाई और विकराल बेरोजगारी ने बर्बादी के गर्त में पहुंचा दिया है।

पेगासस से जासूसी

आर्थिक अराजकता

वित्तीय संसाधनों पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा

रफाल खरीद

महंगाई

हवाई अड्डों का निजीकरण

रेल का निजीकरण

जब रेल के डिब्बों में यात्रा करते थे तो गर्व से पढ़ते थे कि रेल राष्ट्र की सम्पत्ति है, इसकी सुरक्षा करें, लेकिन किसने सोचा था कि आप द्वारा यह सम्पत्ति सेठ, मुनीमों के हत्थे चढ़ जायेगी।

उपकर एवं अधिभार की राशि को Divisible Pool में शामिल न किये जाने के कारण राज्यों को वास्तविक हस्तान्तरण में कमी

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय करों की हिस्सा राशि राज्यों को हस्तान्तरित की जाती है। यद्यपि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को केन्द्रीय करों के हिस्से के रूप में 41 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है।

उपकर एवं अधिभार की राशि को Divisible Pool में शामिल न किये जाने के कारण राज्यों को वास्तविक हस्तान्तरण केवल 30-33 प्रतिशत ही प्राप्त होता है।

इस कारण राजस्थान को वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय करों की हिस्सा राशि के रूप में लगभग 11 हजार करोड़ रुपये कम प्राप्त होंगे।

अतः भारत सरकार द्वारा सैस तथा सरचार्ज के रूप में वसूल किये जाने वाले कर राजस्व को राज्यों को हस्तान्तरित किये जाने वाले Divisible Pool में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार को निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है किन्तु अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जारी नहीं किया जाना

केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति के स्थान पर राज्यों को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों में जहां एक ओर कमी हो रही है वहीं दूसरी ओर राज्य के ऋण भार में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को राजस्व हस्तान्तरण में कमी किये जाने के कारण राज्य के राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हो रही है।

वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के स्थान पर रुपये 4 हजार 604 करोड़ का Back to Back ऋण उपलब्ध करवाया गया। उक्त राशि से राज्य के राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप राज्य के ऋण एवं दायित्वों की राशि में भी बढ़ोतरी होने के साथ ही Debt-GSDP Ratio पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

वर्ष 2021-22 में भी केन्द्र सरकार द्वारा रुपये 7 हजार 268 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के स्थान पर Back to Back ऋण के रूप में निरन्तर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे राज्य के वित्तीय मानकों (Fiscal Parameters) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

वर्ष 2019-20 से कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर अत्यन्त ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण राज्य की राजस्व आय में भारी कमी आई है। एसजीएसटी के संकलन में भी कोविड-19 महामारी का प्रभाव लगातार पड़ रहा है। वर्ष 2015-16 से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की गणना से वर्ष 2021-22 में रुपये 37 हजार 662 करोड़ प्राप्त होने थे, जिसके स्थान पर माह सितम्बर, 2021 तक केवल मात्र रुपये 11 हजार 963 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं।

इस संबंध में केन्द्रीय वित्त मंत्री स्तर पर बजट 2022-23 की राज्यों से बजट पूर्व चर्चा में राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को वर्ष 2027 तक जारी रखने का अनुरोध किया गया था लेकिन केन्द्रीय बजट में इस पर कोई प्रावधान नहीं किया गया।

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार की हठधर्मिता

जल जीवन मिशन (JJM) एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है।

जल जीवन मिशन के संदर्भ में केन्द्र सरकार के नवीनतम/निर्देशों के क्रम में केन्द्र सरकार का सारा हिस्सा सीधा ही बैंक को स्थानांतरित किया जायेगा एवं केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप राज्य का हिस्सा भी बैंक के माध्यम से ही व्यय करना होगा।

ये निर्देश संघीय ढांचे की मूल भावना के विपरीत है एवं इस तरह के निर्णय से कोविड-19 के विपरीत प्रभाव के कारण राज्यों के संसाधनों पर जहां पहले ही अत्यधिक दबाव है।

केन्द्र सरकार के इस अदूरदर्शी एवं अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण केन्द्रीयांश व राज्यांश को बैंकों में स्थानांतरण करना पड़ेगा, जिससे राज्यों के संसाधनों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

"जल जीवन मिशन (JJM)" जैसी महत्वपूर्ण योजना में राजस्थान जैसे प्रदेश जहां भौगोलिक स्थिति कठिन एवं दुर्गम होने के कारण Service delivery की लागत अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण केन्द्रीयांश की राशि वर्तमान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निरन्तर अनुरोध के उपरान्त भी केन्द्र सरकार द्वारा कोई राहत प्रदान नहीं की गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (CCS) में राशि समेकित निधि के स्थान पर सीधे बैंक में दिया जाना एवं केन्द्रीयांश निरंतर घटाया जाना

जल जीवन मिशन (JJM) एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है, में केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला केन्द्रीयांश राज्य की संचित निधि के माध्यम से नही दिया जाकर सीधे ही बैंक खाते में दिया जा रहा है जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (CCS) में केन्द्रीयांश निरंतर घटाया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप ऐसी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में जहां पहले केन्द्रीयांश 75 प्रतिशत व 90 प्रतिशत मिलता था, इसे पिछले 6-7 वर्षों में घटाया जाकर 60 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत की सीमा तक कर दिया जाना है। इसमें वृद्धि कर पूर्वानुसार 75 व 90 प्रतिशत किया जावे।

राज्यों पर State Nodal Bank Account थोपा जाना

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में अनिवार्य रूप से State Nodal Bank Account खोलने की बाध्यता राज्य सरकारों पर की है।

इससे जो केन्द्रीय अंश पहले राज्यों के संचित निधि में रहता था एवं वहां से यथा समय (Just in Time) के आधार पर राशि की आवश्यकता होने पर संबंधित एजेन्सी को भुगतान किया जाता रहता था।

अब SNA के केन्द्र सरकार के निर्देशों के क्रम में यह राशि राज्य की संचित निधि/निजी निक्षेप खातों से निकलकर बैंकों के खातों में जमा रहेगी।

इससे न केवल राज्यों की तरलता (Liquidity) प्रतिकूल रूप से बाधित होगी अपितु योजना की राशि Just in Time धारणा के विपरीत बैंकों में निष्क्रिय रहेगी तथा राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

महत्वाकांक्षी Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) को राष्ट्रीय दर्जे का Project घोषित करना

- Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) परियोजना राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है।
- इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार को निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है, किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक इस परियोजना को राष्ट्रीय दर्जे का Project घोषित नहीं किया गया है, जिससे इस क्षेत्र का त्वरित विकास प्रभावित हो रहा है।

पेट्रोल, डीजल पर केन्द्रीय कर भार

अन्तरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम में जब भी कमी आयी है. उसका लाभ आम जनता को देने के बजाय केन्द्र सरकार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Additional Excise Duty) एवं स्पेशल उत्पाद शुल्क (Special Excise Duty) में लगातार वृद्धि कर रही है। मई, 2014 में एनडीए सरकार के गठन के पश्चात् क्रूड के औसत दाम 55 डालर प्रति बैरल से अधिक नहीं रहे, एनडीए-2 सरकार में क्रूड के दाम औसतन 60 डालर प्रति बैरल रहे हैं। जबकि यूपीए-2 (मई. 2009 से

अप्रैल 2014) के कार्यकाल में क्रूड के औसत दाम लगभग 100 डालर प्रति बैरल से अधिक रहे, जो जून 2014 में 109.05 रु प्रति बैरल थे परन्तु यूपीए-2 सरकार ने आम जनता पर बोझ नहीं डालते हुए पेट्रोल के दाम लगभग 70 रु प्रति लीटर तथा डीजल के दाम 50 रु. प्रति लीटर से अधिक नहीं होने दिये थे।

वर्ष 2014 में जब एनडीए की सरकार का गठन हुआ तब डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर रु. 3.46 प्रतिलीटर तथा पेट्रोल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर रु. 9.20 प्रतिलीटर) थी। 2014 में बनी केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में अत्यधिक बढ़ोतरी करते हुए पेट्रोल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी रु. 6 से बढ़ाकर रु 11 प्रति लीटर एवं एडिशनल एक्साइज ड्यूटी रु. 2 से बढाकर रु. 18 प्रति लीटर तथा डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी शून्य से बढाकर रु. 8 प्रति लीटर एवं एडिशनल एक्साइज ड्यूटी रु. 2 से बढाकर रु 18 प्रति लीटर कर दी है। इसी प्रकार 2021 के केन्द्रीय बजट में पेट्रोल पर नवीन उपकर Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) रु. 2.50 प्रति लीटर एवं डीजल पर रु. 4.00 प्रति लीटर लगा दिया है। वर्तमान में पेट्रोल पर केन्द्रीय करों का हिस्सा रु. 32.90 प्रतिलीटर है जबकि राज्य के कर का हिस्सा रु. 31 प्रतिलीटर है। इसी प्रकार डीजल पर केन्द्रीय करों का हिस्सा रु. 31.80 प्रतिलीटर है जबकि राज्य के कर का हिस्सा मात्र रु. 23 प्रतिलीटर है। इस प्रकार केन्द्र सरकार डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले केन्द्रीय करों को लगातार बढ़ाती जा रही है।

बेसिक एक्साइज ड्यूटी (BED) विभाज्य पूल का हिस्सा होती है। इसका 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को मिलता है। इस हिस्से का लगभग 6 प्रतिशत राजस्थान को मिलता है। केन्द्र सरकार द्वारा विभाज्य पूल में लगातार कमी से राज्य को भारी राजस्व हानि हो रही है।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि सितम्बर, 2018 में डीजल पर केन्द्रीय करों का हिस्सा रुपये 15.33 था जो कि वर्तमान में बढ़कर रुपये 31.80 प्रतिलीटर हो गया है, अर्थात् पिछले तीन वर्षों में रुपये 16.47 बढ़ गया है। इसी प्रकार सितम्बर, 2018 में डीजल पर राज्य करों का

हिस्सा रुपये 13.28 था, जो कि वर्तमान में बढ़कर रुपये 23 प्रतिलीटर हो गया है, अर्थात् पिछले तीन वर्षों में लगभग रुपये 10 बढ़ गया है।

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2010 में पेट्रोल की दरों तथा वर्ष 2014 में डीजल की दरों को नियन्त्रण मुक्त किया था। इससे पेट्रोल व डीजल की दरें पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा तय की जाने लगी हैं। मई, 2017 से पेट्रोलियम कम्पनियों को दैनिक आधार पर मूल्य परिवर्तन करने में छूट दी गई है। इससे राज्य द्वारा कर दर नहीं बढ़ाने पर भी कीमतों में वृद्धि हो रही है।

यह उल्लेखनीय है कि पेट्रोल-डीजल के रिफाइनरी मूल्य पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एवं Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) लगने के पश्चात् प्राप्त राशि पर वैट की गणना की जाती है। यदि केन्द्र सरकार उक्त करों को कम करती है तो स्वतः ही वैट कम हो जायेगा तथा पेट्रोल एवं डीजल आमजनों को सस्ता मिलने लगेगा।

अनतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण खुदरा मूल्यों में हुई वृद्धि से जनता को राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा 29.01.2021 को डीजल एवं पेट्रोल की कर दरों में 2 प्रतिशत की कमी की गई तथा 16.11.2021 को डीजल एवं पेट्रोल पर VAT की दरों क्रमश: 5.70 प्रतिशत एवं 4.96 प्रतिशत की कमी की गई। इस कमी के फलस्वरूप अनुमानित रुपये 5000 करोड़ के राजस्व की वार्षिक हानि होगी।

चूंकि क्रूड आयल की दर निरंतर बढ़ रही है और जिसके परिणामस्वरूप Ex Refinery मूल्य भी पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा निरंतर बढ़ाया जा रहा है। यदि राज्य द्वारा वैट दर में कमी की जाती है तो प्रति एक प्रतिशत की कमी पर खुदरा मूल्य में मात्र 80 पैसे की कमी होती है, जो कि बढ़ते Ex Refinery मूल्य से नगण्य हो जाती है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय करों का भार कम करने पर ही खुदरा मूल्य में कमी परिलक्षित हो सकती है। केन्द्रीय कर कम किये जाने पर स्वतः ही वैट का भार कम हो जाता है क्योंकि वैट आरोपण में केन्द्रीय कर भी गणना में शामिल है।

दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2018 तक पेपर लीक के संबंध में सूचनाएं

कुल मुकदमे हुए 25

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2014

कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा

जेल प्रहरी परीक्षा - 925 पदों हेतु आयोजित प्रहरी परीक्षा का डी सीरिज का प्रश्न पत्र वाट्सअप पर हूबहू मिलान होने के कारण पत्र आउट होने की लिखित रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा रद्द की गई।

राजस्थान शिक्षक पात्रता शिक्षक परीक्षा-2016 (रीट-2016)

राजस्थान शिक्षक पात्रता शिक्षक परीक्षा-2018 (रीट-2018)

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2018

प्राध्यापक परीक्षा- 2013 जो दिनांक 12.07.2014 से 20.07.2017 तक आयोजित-की गई, दिनांक 14.07.2014 आयोजित वाणिज्य विषय के पत्र में मुद्रण संबंधी त्रुटि के कारण निरस्त।

आरपीएमटी 2014- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विवि ने 28, 29 व 30 मई, 2014 को आरपीएमटी का आयोजन कराया था। 6 जून को परिणाम आया। प्रश्नपत्र में 86 सवालों में गड़बड़ी पाई गई। बाद में परीक्षा रद्द कर दी गई।

एलडीसी भर्ती 2013- आरपीएससी की ओर से 7 हजार पदों के लिए 11 जनवरी, 2014 को भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। दिसम्बर 2015 में परीक्षा को रद्द कर दिया गया।

कान्स्टेबल भर्ती 2018-पुलिस विभाग की ओर से 15 हजार पदों के लिए 7 मार्च, 2018 से कान्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू हुए थे। पुलिस को 11 मार्च को प्रश्न पत्र के लीक होने की जानकारी मिली। इसके बाद 17 मार्च को परीक्षा रद्द कर दी गई।

शिक्षक भर्ती 2013- तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में काफी कमी थी। कई जिलों में पेपर लीक होने व प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी मिली थी। कई सेंटरों में पेपर दोबारा आयोजित हुआ था।